लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

10 अप्रैल, 1972 | 21 चैत्र, 1894 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
28	` 239 ` के स्थान पर ` 339 ` पढ़िये ।
41	नीचे से पंक्ति 8 में `2212 ` के स्थान पर `2292 `पढ़िये ।
70	नीचे से पंक्ति 12 में , `2254 ` के स्थान पर `2354 ` पढ़िये ।
74	ऊपर से पंक्ति 7 में `2363 ` के स्थान पर `2362 `पढ़िये ।
80	नीचे से पंक्ति 14 में `2375 ` के स्थान पर `2376 ` पढ़िये ।
99	ऊपर से पंक्ति 9 , `2513 ` के स्थान पर `2413 `पढ़िये ।

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20 सोमवार, 10 अप्रैल, 1972, 21 चैत्र, 1894 (शक)
No. 59, Monday, April 10, 1972/Chaitra 21, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
322 दिल्ली में पट्टे वाले प्लाटों का पूर्ण स्वामित्व वाले प्लाटों में बदला जाना	Conversion of lease hold plots into free hold in Delhi	1—2
323 खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के संबंध में कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री का वक्तव्य	Statement by Union Minister of State for Agriculture regarding self-sufficiency in grain ptoduction	2—4
326 हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव	Socio Economic effects of green Evolution	4—6
329 केरल में निर्धन भूमिहीन व्यक्तियों के लिये मकान	Houses for landless poor in Kerala	6—7
3?0 भारतीय नौवहन उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Indian shipping Industry	7—9
334 दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बोतलों के ढक्कनों को बदलना	Replacement of lids of Bottles of D. M. S. Milk	9—11
336 चेकोस्लोवाकिया में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का और भारत में चेकोस्लोवाकिया की भाषा का शिक्षण	Teaching of Hindi and Regional Languages in czechoslovakia and of Czech Language in India	11—12
337 दिल्ली में चल रही मिनी बसों के लिये शर्तें	Terms and conditions for Mini Buses Operating in Delhi	12—14
338 उत्पादन एककों का शैक्षिक प्रशिक्षण के अंग के रूप में स्थापित किया जाना	Setting up of Production Units as Part of Academic Training	14—16
340 केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सरकारी क्वार्टर को अपने पास रखने के लिये अभ्यावेदन	Representation from Retired Central Government Employees for retention of Government Accommodation	16—18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

U. S. Q. Nos.

अल्प सूचना प्रश्न — **Short Notic Question**

महालेखाकार कार्यालय, मद्रास के कर्मचारियों की नौकरी को खतरा — Threat to the jobs of Employees of Accountant Genleral's Office, Madras 18—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर — **Written Answers to Questions.**

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

321 राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का पुस्तक सृजन केन्द्रों के कार्य में विविधता लाने की योजना — Scheme for Diversification of work at book production Centres of NCERT 23

324 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वालों को मधुमेह रोग के लिये ओषधियां सप्लाई न किया जाना — Non issue of medicines for Diabetes to CGHs benefircieseils 23—24

325 दिल्ली में अनधिकृत कालोनियाँ — Unauthorised Colonies in Delhi 24—25

327 ट्रेक्टरों और फालतू पुर्जों की माँग — Requirement of tractors and spare parts 25

328 दिल्ली परिवहन निगम की सेवा में सुधार करने के लिये धन की व्यवस्था — Funds for improving DTC Service 25

331 सफाई कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों की काम की और रहने की दशा — Working and living Condition of persons engaged in Unclean occupations 25—27

332 क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु बैंकों का मार्ग निर्देशक सिद्धान्त — Guidelines to banks for Appraisal of projects for area Development 27

333 केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों की डिग्री पूर्व परीक्षा — Per-degree Examination of kerala and Calicut Universities 27

335 सफदरजंग पुल, नई दिल्ली का डिजाइन — Design of Safdarjung Bridge New Delhi 27—28

339 विभिन्न क्षेत्रों (जोनों) में वनस्पति के मूल्यों में भिन्नता — Disparity in prices of Vanaspati in Different zones 28

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2265 महाराष्ट्र और बिहार में कृषि विकास के लिए विश्व बैंक सहायता — World bank Assistance for Development of Agriculture in Maharashtra and Bihar 28—29

2266 बिहार के आदिवासियों में पाई जाने वाली बीमारी का सर्वेक्षण — Survey of disease amongst the Tribal people in Bihar 29

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2267	विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर बिहार से चिकित्सा पेवा के अधिकारी	Medical servies man from Bihar on Deputation to foreign Countries	29
2268	गन्ना उत्पादकों को ठीक समय पर उनकी देय राशि देना	Payment of dues to cane Growers in time	29—30
2269	गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे मैडिकल कालेजों में शिक्षा का स्तर	Standard of education in Medical colleges run by Private Instituti-ons	30—31
2270	अखिल भारतीय परिवार नियोजन विरोधी संघर्ष समिति का गठन	Formation of all India anti Family Planning action Committee	31—32
2271	विभिन्न विभागों मंत्रालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य की शर्तें	Working Conditions of Staff of DMS booths in various Departments Ministries	32
2272	केरल में विदेशी सहयोग में मत्स्य पालन कालेज की स्थापना	Setting up a fisheries college in kerala with foreign collaboration	32
2273	मिल्क फार मिलियन योजना का मूल्यांकन	Evaluation of Milk for Millions programme	32—33
2274	होवरक्राफ्ट नौका सेवा आरम्भ करने के लिये बम्बई स्थित नौवहन कम्पनी से प्रस्ताव	Proposal from bombay based shipping Co. to introduce hover-caft Ferry service	33
2275	आंध्र प्रदेश की तम्बाकू की फसल	Tobacco crop of Andhra Pradesh	33—34
2276	अहमदाबाद में वैज्ञानिकों की त्रिदिवसीय गोष्ठी	Three day Symposium of scientists in Ahmedabad	34
2277	पटना मैडिकल कालेज के स्नातक	Graduates of Patna Medical College	34—35
2278	धर्म परिवर्तन करने वाले हरिजनों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को सुविधाएं	Facilities to Harijans and Scheduled Tribe Converts	35
2279	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा हंसराज कालेज भवन, दिल्ली का प्रयोग	Use of hans Taj College Building at Delhi by Rastriha Swayamsevak Sangh	35
2280	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की इमारत का प्रयोग	Use of Delhi University Students Union Building by Rashtriya Swayamsevak sangh	35—36
2281	ट्रैक्टरों के आयात में हानि	Loss in Import of tractors	36
2282	वर्ष 1971–72 में तम्बाकू के पत्ते की खरीद	Tobacco leaf purchase during 1971—72	36—37
2283	तम्बाकू विकास परिषद्	Tobacco Development Council	37

U. S. Q. Nos.			
2284	नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल के कमरों में लूट खसोट	Ransacking of Rooms in Willingdon Hospital, New Delhi	36—38
2285	आर० के० पुरम में श्मशान भूमि की व्यवस्था।	Provision of Crematorium in R. K, puram	38
2286	दिल्ली में स्कूटर और टैक्सी चालकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Scooter and Taxi Drivers in Delhi	38—39
2287	दिल्ली में स्त्रियों का अनैतिक व्यापार	Immoral Traffic in women in Delhi	39—40
2288	चीनी पर नियन्त्रण, उसका वितरण और मूल्य	Control Distribution and price of Sugar	40
2289	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की इमारतों पर गणतन्त्र दिवस समारोह पर की गई रोशनी का व्यय	Expenditure on Illumination of Offices of the Central Government Buildings during Republic day Celebrations	40
2290	विकलाँग जवानों तथा जवानों की विधवाओं को रोजगार	Employment to Disabled Jawans and their widows	40—41
2291	सुपर बाजार, कनाट प्लेस में हुई धोखाधड़ी की जाँच	Enquiry into Cheating of Super Bazar connaught Place, New Delhi	41
2292	चालू रबी मौसम में अनाज की उपलब्धि और आवश्यकता	Availability and Requirement of Foodgrains during current rabi season	41—42
2293	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी बिलों का भुगतान	Reinbursement of Medical Bills to Employees of Delhi Administration	42
2294	औषधियों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in the production of suprious drugs	42—43
2295	केन्द्रीय मंत्रियों के निवास स्थानों के नवीकरण पर किया गया व्यय	Amount spent on Renovation of Central Ministries Residences	43
2296	नई दिल्ली की यमुना पार कोलोनियों को वैद्य घोषित करना	Regularisation of Truns-Yamuna Colonies in New Delhi	43
2297	संसद सदस्यों की सलाहकार समिति के कार्यकरण की प्रभावी बनाना	Effective working of Consultative Committees of M. Ps.	43—44
2298	खाद्यान्नों को स्टोर करना	Storage of Foodgrains	44
2299	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Adult Education Centre	44—45
2300	अधिक उर्वरकों की सप्लाई के लिये राज्यों की मांग	Request from States for Increased Supply of Fertiliser	45
2301	अधिक उपज देने वाले बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र	Area under Irrigation and High Yielding Varieties of seeds	45—46

U. S. Q.Nos.			
2302	खाद्यान्नो का उत्पादन और उपलब्धता	Production and Availability of Foodgrains	46—47
2303	बड़ें शहरों में निर्माण कार्य पर व्यय	Expenditure on Construction work in big City Areas	47
2304	साक्षरता	Literacy	47—48
2205	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को अग्रिम राशि का लौटाया जाना	Return of Money Advanced to DDA under Low Income Group	48
2306	नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा राजनैतिक इश्तिहार पट लगाना	Display of Political Hoardings by NDMC	48—49
2307	राष्ट्रीय बीज निगम का कार्य संचालन	Functioning of National seeds Corporation	49
2308	भूमि सुधार के बारे में राज्य में परिचालित विधेयक का मसौदा	Draft Bill on land Reforms Circulate to States	4
2209	मलेरिया उन्मूलन	Eradication of Malaria	49—50
2310	भारत में विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति	Financial Condition of Universities in India	50
2311	अधिक उपज वाले बीजों की बिक्री	Sale of High Yilding varieties of Seeds	50—51
2312	जिला भागलपुर में हरिजनों के गांवों में पेय जल सुविधायें	Drinking water Facilities for Harjan Villages in Bhagallur District	51
2313	ग्रामीण सेवाओं के लिये केन्द्रोय स्वास्थ्य सेवा के अनुरुप योजना	Scheme on the Pattern of C. G. H. S. for Rural Serices	51
2314	इण्डियन ग्रेन स्टोरेन इन्स्टीटयूट द्वारा अनाज का भण्डार करने के लिये धातु की धानियाँ	Metal Bins for Grain storage by Indian Grain Storage Institute	51—52
2315	दूध का उत्पादन और दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध	Production of Milk and Ban on Slaughter of Milk Cattle	52
2316	चीनी के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Sugar	52
2317	नसबन्दी आपरेशनों और लूप लगाने पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on vasectomy Operations and Insertion of Loops	52—53
2318	गेहूँ बोर्ड की स्थापना	Setting up of Wheat Board	53
2319	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी	Seminar by Indian Council of Medical Research	53—54
2320	दक्षिण ताइवान समुद्र में भारतीय मालवाहक जहाज में आग लग जाना	Fire in Indian Gargo Ship in South Taiwan Sea	54—55

U. S. Q. Nos.			
2321	दिल्ली में यमुना पार के क्षेत्रों के लिये मल निकास की सुविधाएं	Sewage Disposal Facilities for Trans-Yamuna Areas in Delhi	55
2322	वनस्पति घी का मूल्य निर्धारित करने का आधार	Basis for Fixing Price cf Vanaspati Ghee	55—56
2323	त्रुटिपूर्ण आर० एस०–09 ट्रैक्टरों का आयात	Import of Defective Rs. 09 Tractors	56
2324	सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण कार्य	Welfare work in Border Areas	56—57
2325	प्रसूति सेवाओं में सुधार	Better Obsteric Services	57—58
2326	वर्ष 1969–70 में रासायनिक उर्वरकों का वितरण	Distribution of Chemical Fertilisers during 1969—70	58—59
2327	भारतीय खाद निगम द्वारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में वसुल किये गये खाद्यान्न	Foodgrains procured by F. C. I. in Tikamgarh, Madhya Pradesh	59
2328	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सहकारी समितियों से खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains by FCI through Co-operative Socieities	59
2229	विक्लांगों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarships to Physicaly Handicappd	59
2330	परिवार नियोजन सम्बन्धी विचार गोष्ठी	Seminar of Family Planning	59—60
2331	कपास और तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये चार सूत्री योजना	4 point Plan for Self Sufficiency in Cotton and Oilseeds	60
2332	रूस से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार	Employment of Persons having done higher studies in Russian	60—61
2233	कटाई, गहाई और संग्रह के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम	Programme for training in harvesting threshing and storage	61
2334	दिल्ली के यमुना पार तथा अन्य क्षेत्रों में अस्पतालों में रोगी शैयाओं की आवश्यकता	Requirement of hospital beds in trans-Yamuna and other areas "of Delhi	61—62
2335	दिल्ली की गंदी बस्तियों तथा अनधिकृत बस्तियों के लिये स्वीकृत धनराशि	Amount sanctioned for slums and unauthorised colonies of Delhi	62
2336	अनाज के लिए राजसहायता	Food Subsidy	62—63
2337	पारादीप पत्तन के लिये भूमि की आवश्यकता	Land required for Paradip Port	63
2338	उड़ीसा के बालासौर जिले में कीर्तनियम नामक स्थान पर समुद्र से मछली पकड़ने की परियोजना	Sea fish catching project at Kirtania Balasore, Orissa	63—64
23 39	फर्मेसी परिषद् दिल्ली राज्य का चुनाव	Election of Pharmacy Council Delht State	64

U. S Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2340	1971–72 वर्ष के बजट में ग्रामीण आवास गन्दी बस्ती सुधार के लिये आबंटित 23 करोड़ रुपए का खर्च न किया जाना	Rs. 23 Crores Allocated for Rural Housing and Slum Improvement in 1971—72 remaining unspent	64—65
2341	बिहार में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry In Bihar	65
2342	दिल्ली में ईंटों की कमी तथा इनकी चोर बाजारी	Shortage and Black-marketing of Bricks in Delhi	65
2343	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में ईंटों के भट्टे बनाना	Setting up of Brick Kilns in Delhi by DDA	65-66
2344	सरकारी भवनों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर	Channel of Promotion for Staff working at DMS Stalls in Govt. Buildings	66
2345	सरकारी कार्यालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार	Improvement in Service Conditions of staff of DMS stalls in DMS stalls in Govt. offices	66-67
2346	सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि का आबंटित किया जाना	Allocation of Funds for Construction of Roads in Border Areas	67
2347	राजस्थान के जयपुर जिले में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति	Implementation of Crash Programme for Rural Employment in Jaipur Rajasthan	67
2348	बिनौला, सोयाबीन आदि से प्रोटीन निकालने के लिये केन्द्रीय खाद्य प्रयोगिकीय अनुसंधान संस्थान मैसूर द्वारा परीक्षण	Test by Central Food Technological Research Institute. Mysore for taking out Protein from Cottonseeds Soyabean etc.	67-68
2349	राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विशुद्ध प्रोटीन के लिये एक संबंध की स्थापना करना	Setting up of a Plant fcr Isolated Protein in Rajasthan and Utter Pradesh	68
2350	डूरंड कप फुटबाल टूर्नामेंट	Durand Cup Football Tournament	68-69
2351	केरल में गोदामों की क्षमता	Capacity of Godywns in Kerala	69
2352	विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जाना	Student's Participalion in University Affairs	69-70
2353	राजधानी में अस्पतालों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति	Appointmnt of Administrators to Supervise the working of Hospital in the Capital	70
2354	1970–72 में उर्वरकों की खपत का लक्ष्य	Target for Consumption of Fertilisers during 1970-72	70-71

अता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
U. S. Q. No,			
23 5	भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी छात्रों छात्रवृत्तियां	Scholarship to Foreign Students getting Education in India	71
2356	उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी संस्थान की स्थापना	Location of Institute of Science & Technology in U. P. & Rajasthan	71
2357	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी सम्मेलन	Conference on Health and Medical Care	71-72
2358	संचेतकों का सम्मेलन	Whip's Conference	72
2359	रेडियो सेटों के माध्यम से शैक्षिक सुविधायें	Educational Facilities through Radio receivers	72-73
2360	शिक्षा विज्ञान में उच्चस्तरीय अनुभव प्राप्त करने के लिए लगाए गए व्यक्ति	Persons deputed to gain Advanced Experience in Educational seience	73
2361	दानापुर पटना से हो कर जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ नं० 31 को पहुंची क्षति की मरम्मत	Repair of damage to National High-way No. 31 passing through Danapur Patna	73-74
2362	ग्रामीण अनाज भंडारों के आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को पी० एल० 480 निधि का दिया जाना	PL 480 Funds to States for Modernisation of Rural Grain Storages	74
2363	निर्धन राज्यों पर नौवहन संहिता थोपने का प्रयास	Bid to Impose Shipping Code on Poor states	74-75
2365	1971–72 के दौरान गेहूं का उत्पादन	Production of Wheat during 1971-72	75
2365	1971 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये दल का दौरा	Visit of team to assess the Needs of Farmers of flood affected areas in 1971	75-76
2366	गांवों में रोजगार जुटाने के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त (मार्जिनल) किसानों और कृषि श्रमिकों को दी गई सहायता	Assistance to small and Marginal Farmers and Agricultural Labour under crash programme for Rural Employment	76-77
2367	एर्णाकुलम के अन्तर्जल में कृत्रिम द्वीप और उसमें बड़े टैंकरों के लिए घाट का निर्माण	Construction of Artificial Island in Ernakulam Backwaters and Super tanker Berth that Island	77
2368	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ पर कोचीन उपमार्ग का निर्माण	Conversion of Cochin by pass on National Highway under Fourth Five Year Plan	77-78
2369	वायनाड, केरल के आदिवासी लोगों के लिये योजनाओं पर किया गया व्यय	Money spent on schemes for Tribal People of Wynad, Kerala	78
2370	आदिवासी लोगों को चिकित्सीय सुविधायें देने संबंधी योजनायें	Schemes for providing Medical Facilities to Tribal Peoples	78

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2371	परिवार नियोजन के अन्तर्गत किये गये आप्रेशनों से हुई मौतें	Deaths due to operation under Family Planning	78-79
2372	भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित खाद्यान्न में परिवहन के दौरान गोलमाल	Bungling of Foograins Imported by FCI during Transporation	79
2373	पटना से गाजीपुर तक अन्तर्राज्यीय जल परिवहन सेवा के कारण रोजगार	Employment due to Inter-State Water Transport Service from Patna to Ghazipur	79
2374	पटना और गाजीपुर के बीच आरम्भ की गई जल परिवहन सेवा को इलाहाबाद तक बढ़ाना	Extension of Water Transport Service introduced between Patna and Ghazipur up to Allahabad	79-80
2275	पटना और अयोध्या के बीच जल परिवहन सेवा	Water Transport Service between Patna and Ayodhya	80
2376	भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय जहाजरानी को हुई क्षति	Losses suffered by Indian Shipping during Indo Pak Conflict	80-81
2377	भिन्न भिन्न राज्यों में डिग्री कालेजों के लेक्चररों के ग्रेडों में असमानता	Disparity in Grades of Lecturers in Degree Colleges in different States	81
2378	बिहार में दरभंगा से फार्व्सगंज तक राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण	Construction of National Highway to Darbhanga to Farbisganj in Bihar	81-82
2379	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा मूल्यांकन की नई प्रणाली सिफारिश	New System of Evaluation Recommended by NCERT	82
2380	बिहार में सार्वजनिक परीक्षा	Public Examination in Bihar	82-83
2381	केन्द्रीय थोक भण्डार	Central Wholesale Stores	83
2382	राज्यों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का रद्द किया जाना	Scrapping of C. D. Programmes in States	83-84
2383	चीनी की सस्ती लागत पर उत्पादन के सम्बन्ध में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधान	Research by Indian Institute of Sugarcane Research regarding production of Sugar at Cheap cost	84-85
2384	नालंदा में ह्यूनसांग स्मारक	Hieum Tsang Memorial at Nalanda	85
2385	दालों का उत्पादन	Production of Pulses	85-86
2386	म्यूनिख ओलम्पिक्स, 1972	Munich Olympics, 1972	86

U. S. Q. Nos.

2387	उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में वर्षा से भूमि की गई क्षति की जाँच	Probe into Damages to Land due to rain in Sundargarh District Orissa	86
2388	दिल्ली के स्कूलों तथा कालेजों और विश्व-विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान	Pay scales of Laboratory Assistants in Schools/Colleges and University of Delhi	87
2389	मध्य प्रदेश को सिंचाई सुविधाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Madhya Pradesh for Irrigation Facilities	87-88
2390	मध्य प्रदेश में बेरोजगारी उन्मूलन	Eradication of Unemployment in Madhya Pradesh	88
2391	जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Jabalpur Agriculture University	88
2392	मध्य प्रदेश में द्रुत कार्यक्रम के कार्यकरण सम्बन्धी रिपोर्ट	Report on Implementation of Crash Programme in M. P.	88
2393	बम्बई कोकन गोआ मार्ग को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना	Bombay Konkan Goa Road as a National Highway	89-89
2394	महाराष्ट्र में पत्तनों के विकास के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Development of Ports in Maharashtra	89
2395	केन्द्रीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य	Research by Central Fodder Research Insritute Jhansi	89-90
2396	झांसी में आयुर्वेदिक साहित्य में उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान कार्यों के लिये केन्द्रीय संस्थान की स्थापना	Setting up of Central Institute of Higher Study and Research in Ayurvedic Literature at Jhansi	90-91
2397	दिल्ली के अस्पतालों में टी० बी० एम० तथा रीढ़ की हड्डी के नीचे से पानी निकालने (लम्बर पंक्चर) के मामले	Cases of T. B. M. and Lumber Puncture in Delhi Hospitals	91
2398	आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियों के द्वारा टी० बी० एम० गठिया और एक्जिमा आदि का इलाज	Treatment of Cases of T. B. M. Gouts and Eczema, etc. through Ayurveda and Homeopathy	91-92
2399	वारसली गंज, बिहार की मोहिनी शूगर मिल्स को पुन: खोलना	Reopening of Mohani Sugar Mills Warsaliganj, Bihar	92
2400	उत्तर प्रदेश में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of Urdu University in U. P.	92-93

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2401	मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Personal Staff of Ministers	93
2402	सरकारी कर्मचारियों को उनके अपने वर्ग के क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Govemment Servants in their own class	93-94
2403	त्रिपुरा और कछार जौन में नये विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of new University in Tripura and Cachar zone	94
2404	त्रिपुरा में मैडिकल कालेज की स्थापना	Setting up of a Medical College in Tripura	94—95
2405	संसद सदस्यों के नौकर घरों में नालियों में सुधार	Improvement in Drains in the Servants Quarters of M. Ps.	95
2406	संसद् सदस्यों के सर्वेन्ट क्वार्टरों में पंखों का लगाया जाना	Installation of Fans in Servant Quarters of Members of Parliament	95
2407	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल अफसरों को रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने के लिये "अनापत्ति प्रमाणपत्र"	No objection Certificates' to Sectioal Officers in C, P, W. D. for Registration with Employmnt Exchange	95—96
2408	अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रधान मंत्री के निवास के सामने प्रदर्शन	Demonstratian by Aligarh Univerity' Students before Prime Minister's Residence	96—97
2409	चीनी उद्योग के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Commission to Study working of Sugar Industry	97
2410	आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा राज्यों को दिये गये ऋण	Loan Advanced to States by Housing and Urban Development Corporation	97—98
2411	परिवार नियोजन कार्यक्रम पर नई दिल्ली में समाज शास्त्रियों का सम्मेलन	Conference of Social Scientists on Family Planning Programme at New Delhi	98
2412	सप्रू हाउस लाइब्रेरी का विभाजन	Division of Sapru House Library	98—99
2413	एग्रो इण्डस्ट्रीज का कारपोरेशन, केरल के कमचारियों से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from the Employees of Agro Industries Corporation, Kerala	99
2414	चालू वष में खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains during Current Year	99
2415	ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के लिये क्विलोन, केरल को केन्द्रीय के लिये क्विलोन, केरल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Quilon Kerala for Crash Pragramme for rural Employment	99—100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2416	कमला नेहरू स्मारक सामूहीय विकासन समाजन के लिये भवन अनुदान	Building Grant to Kamla Nehru Smarka Samoohiya Vikasana Samajan	100
2417	केरल में राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय की गई धन राशि	Amount spent on National Highways in Kerala	100
2418	आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईसेज, नई दिल्ली में तकनीकी सहायक का पद	Posting of Technical Assistant in All India Institute of Medical Sciences, New Delh	100—101
2419	पश्चिम बंगाल के कृषकों को दिये गये उर्वरक तथा बाढ़ ऋणों की माफी	Remission of Fertiliser and Flood Loans Granted to Cultivators and State of West Bengal	101—102
2420	लक्षद्वीप तथा मिनिकाय द्वीपों के तटों पर फास्फेट के बहुत बड़े निक्षेपों का होना तथा कृषि उत्पादन के लिये उनका उपयोग	Huge Deposits of Phosphate on the Beach of Laccadive and Minicoy Islands and it use for Agricultural Production	102—103
2421	दिल्ली के मनोहर पार्क एवं अन्य कालोनियों में दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो खोलना	Opening of DMS Booths in Manohar Park and other Localities of Delhi	
2422	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में टिटेनिस रोग का प्रकोप	Spread of Tetanus Disease in Gorakhpur (U, P.)	103
2423	महानगरों में बस सेवा में सुधार के लिये तमिलनाडु के मंत्री का अनुरोध	Request from Tamilnadu Minlster for Improvement of Bus Service in in Metropolitan Cities	103
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
	अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किये जाने की धमकी के समाचार	Reported threat of use of Nuclear Weapons by USA against North Vietnam	103
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	103
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	104
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	
	टाइम्स आफ इण्डिया द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों को गलत छापना	Misreporting of Lok Sabha Procee dings by the Times of India	108
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
	राज्य सभा के सन्देश	Messages from Rajya Sabha	

U. S. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ग्रवक्रम विधेयक	Hire-Purchase Bill	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	110
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
30 वां ग्रौर 31 वां प्रतिवेदन	Thirtieth and Thirty-first Reports	110
कोचीन तेलशोधक कारखाने में ग्राग लगने की घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Fire in Cochin Refinery	
श्री एच० ग्रार० गोखले	Shri H. R. Gokhale	111
दिल्ली सहकारी सोसाइटी विधेयक	Delhi Co-operative Societies Bill	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	112
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	113—114
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	115
श्री एस० एन० सिंह	Shri Shivnath Singh	115—116
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	116—117
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarain	117—1
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	118—119
श्री दलीप सिंह	Shri Dalip Singh	119
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	119—120
खण्ड 2 से 98 ग्रौर 1	Clauses 2 to 98 and 1	121—123
संशोधित रूप में परित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	123
श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	124
लोक सेवा ग्रायोग के 20 वें ग्रौर 21 वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Twentieth and Twenty-first Reports of the Union Public Service Csmmission	125
श्री रामनिवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	125
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	127—128
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	128
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	129

U. S. Q. Nos.

श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	129
श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C. T. Dhandapani	129—130
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	130
श्री बी० बी० नायक	Shri B. B. Naik	130
श्री एस० एन० सिंह	Shri Shivnath Singh	131
डा० कैलाश	Dr. Kailas	131

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार 10 अप्रैल, 1972, 21 चैत्र 1894 (शक)
Monday, April 10, 1972/Chaitra 21, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में पट्टे वाले प्लाटों का पूर्ण स्वामित्व वाले प्लाटों में बदला जाना

*322. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन के उस प्रस्ताव पर विचार किया है जो पट्टे वाले प्लाटों का पूर्ण स्वामित्व वाले प्लाटों में बदलने के बारे में है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री मुहम्मद शरीफ : इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : हम समझते हैं कि समाज के विकास के हित में तथा अधिक आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि हम नगरीय भूमि की सीमा को बढ़ाया जाये और भूमि संबन्धी पुरानी नीति को बदला जाये और भूमि को 'फ्रीहोल्ड' रखने के बजाये 'लीजहोल्ड' बनाया जाये क्योंकि इसके लिए भूमि के कृषकों से उस मूल्य पर लिया जाता है जो मूल्य नगरीय भूमि से बहुत कम हो ते हैं । इसलिये यह ठीक नहीं होगा कि एक ओर तो भूमि का अर्जन किया जाये दूसरी ओर 'फ्रीहोल्ड' आधार उसको

दे दिया जाये ' समुदाय को महत्व मिलना चाहिए और भूमि पर पूर्ण समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए जिससे नगर क्षेत्र में भूमि के आने से जोलाभ प्राप्त हैं । वह समुदाय को मिले किसी व्यक्ति विशेष को नहीं ।

Shri Ram Chander Vikal : May I know whether Government makes any arrangements for providing any birchhood to these agriculturists whose land is acquried.

Shri I .K. Gujral : Yes sir, whenever we acquire land we give one plot to the land owner whose land we acquire.

खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में कृषि मन्त्रालय के राज्य मन्त्री का वक्तव्य

*323. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 फरवरी, 1971 को कृषि मंत्रालय के राज्य मन्त्री ने नई दिल्ली में कहा था कि भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि मंत्रालय के राज्य मन्त्री द्वारा किये गये इस दावे का आधार क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां । ऐसा वक्तव्य 21 फरवरी, 1972 को एक प्रेस सम्मेलन में दिया गया था ।

(ख) यह दावा कृषि विकास की नई नीति के अन्तर्गत कृषि उत्पादन की भारी उपज की उपलब्धि के आधार पर किया गया है । सरकार के पास खाद्यान्नों का भण्डार काफी बढ़ गया है जिसके फलस्वरूप वर्ष 1972 के शुरू से खाद्यान्नों का आयात बन्द कर दिया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग ने 1971 की खरीफ की फसल के बारे में विचार व्यक्त किया था कि खाद्य उत्पादन में 50 प्रतिशत वृद्धि अच्छी मानसून के कारण हुई थी और क्या 1970-71 में उन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जिसमें पानी की सप्लाई की व्यवस्था नहीं है ? क्या यह भी सच है कि खेती की 20 प्रतिशत भूमि में सिंचाई की सुविधायें नहीं है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं आशा करता हूँ कि देश के आत्म-निर्भर होने पर माननीय सदस्य अप्रसन्न नहीं हैं । मुझे कृषि मूल्य आयोग के रिमार्कों की जानकारी है । परन्तु यह वर्ष हमारे लिये वास्तविक परीक्षा का वर्ष था । इस वर्ष उत्तर में बाढ़ और दक्षिण में सूखा पड़ा था और उसके होते हुए भी उत्पादन में वृद्धि हुई है । इसका अभिप्राय यह है कि जलवायु और मौसम अच्छा न होने पर भी सरकार की योजना के अनुसार उत्पादन बहुत बढ़ गया है । यह सभी जानते हैं कि केवल 22 प्रतिशत भूमि में सिंचाई सुविधायें हैं और शेष में नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था । क्या उत्तर का मेरे प्रश्न से कोई संबन्ध है । मैंने पूछा था कि क्या कृषि मूल्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैंने 'जी हां' कहा था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि जो वर्ष 1965 में 414·8 ग्राम थी अब वर्ष 1971 में 407·5 ग्राम क्यों रह गई है । क्षेत्रीय असमानताओं के बढ़ जाने के क्या

कारण है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य की जानकारी बहुत पुरानी है अभी हाल ही में 1971 में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 416·6 ग्राम हो गई है जो कि चौथी पंच-वर्षीय योजना के आधार वर्ष 1969, 398·3 ग्राम थी, जो चौथी योजना का आधार वर्ष था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने विशेषरूप से कहा था कि यह 1965 में 414·8 ग्राम थी और 1971 में 407·6 ग्राम थी मेरी योग्यता उनसे कम ही हो सकती है परन्तु क्या इन आंकड़ों के बारे में उनको कोई सन्देह है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बहस मत करें।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या यह हरित क्रान्ति सभी राज्यों में हुई है अथवा कुछ ही राज्यों में हुई है और जिसके कारण भारत में अनाज की बहुलता आई है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : स्पस्ट है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि समस्त भारत में एक समान नहीं हुई है। कुछ अनाजों में वृद्धि अधिक हुई है जबकि अन्य राज्यों में यह संतोष-जनक नहीं है। गेहूँ के उत्पादन में प्रर्याप्त वृद्धि हुई है परन्तु यह वृद्धि मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रही है। अब नये क्षेत्र, जैसे बंगाल, बिहार मध्य प्रदेश के कुछ भाग तथा गुजरात भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन बढ़ने लगा है और हमने बंगाल के लिये ग्रीष्म की फसल के बारे में चावल का कार्यक्रम बना लिया है परन्तु विकास एक समान नहीं हुआ है।

श्री सुबोध हंसदा :मैं जानना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के कृषकों को ग्रीष्म ऋतु की फसलों के उत्पादन में क्या कठिनाई है ? क्या सरकार के पास इसकी कोई जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त सामान्य प्रश्न है। मूल प्रश्न का पश्चिम बंगाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में गर्मी की फसल धीरे-धीरे बढ़ रही है। उसी संदर्भ में मैंने उनसे पूछा है कि क्या पश्चिम बंगाल के कृषकों को इस फसल के बारे में कोई कठिनाइयाँ आई हैं—जैसे उर्वरक तथा ऋण आदि न मिलना।

अध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल का नाम आ जाने से यह प्रश्न सामान्य नहीं रह जाता तथा मुझको अन्य प्रश्नों की भी तब अनुमति देनी होगी।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं स्वयं पिछले सप्ताह ग्रीष्म के धान के कार्यक्रम को देखने गया था। ग्रीष्म के धान के कार्यक्रम को 4 लाख एकड़ से बढ़ा कर अब 8 लाख एकड़ कर दिया गया है। हमें आशा है कि ग्रीष्म के धान के उत्पादन में अतिरिक्त 10 लाख टन धान के उत्पादन की आशा है। उर्वरक के संम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं। मैंने इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत की थी। हम ध्यान रखेंगे कि विभिन्न प्रकार के उर्वरक कृषकों को उपलब्ध हैं।

श्रीमती सावित्री श्याम : मैं जानना चाहती हूँ कि हरित क्रान्ति से हमारे सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों जैसे बड़े भूपतियों तथा छोटे कृषकों के बीच असमानता दूर करना आदि की पूर्ति में कहां तक सफलता मिली है।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा ही सामान्य प्रश्न है इस पर कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समय चर्चा की जा सकती है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस बारे में भी एक प्रश्न अभी आ रहा है।

हरित क्रांति के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

* 326. **श्री बक्शी नायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने हरित क्रान्ति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के बारे में कोई प्रतिवेदन तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनेवा स्थित अपने सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान द्वारा "खाद्यान्नों की नई किस्मों के व्यापक प्रचलन के फलस्वरूप पड़ने वाले सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों" के सम्बन्ध में एक विश्वव्यापी परियोजना प्रारम्भ की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का इस परियोजना को भारत सहित कई विकासशील देशों में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। भारत द्वारा इस परियोजना में भाग लेने के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से वार्ता जारी है। यदि इस परियोजना को प्रारम्भ किया गया तो इसका व्यय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वहन किया गया जायेगा और इसे भारत में चुनींदा अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा। इन परिस्थितियों में भारत सम्बन्धी रिपोर्ट परियोजना की संपूर्ति के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री बक्शी नायक : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ इस संबंध में बातचीत करते हुये कितना समय लगा है और कब तक वार्ता सम्पन्न होने की आशा है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अधिकारियों से अभी बातचीत चल रहीं हैं। मूलत: रिपोर्ट अगस्त, 1972 अथवा 1973 के प्रारम्भ में प्रस्तुत की जानी थी। इस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ बातचीत अभी भी जारी है।

श्रीमती सावित्री श्याम : संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के अतिरिक्त भी क्या भारत सरकार ने इसका कोई अनुमान लगाया है कि क्या हरित क्रान्ति से इन सामाजिक–आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता मिली है जैसे छोटे बड़े जमीनदारी तथा श्रमिकों के मध्य असमानता को दूर करना तथा समाज में बढ़ते हुये सामाजिक तनावों को कम करना।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने सामाजिक पहलू के अध्ययन का ही सुझाव दिया था। परन्तु भारत सरकार ने सुझाव दिया कि सामाजिक पहलुओं के अतिरिक्त आर्थिक पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिये। वे इन दोनों

पहलुओं पर विचार करने के बारे में सहमत हो गये हैं। प्रश्न के दूसरे भाग कि क्या हरित क्रान्ति का कुछ आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कई कृषि विश्वविद्यालयों ने इस समस्या का अध्ययन किया है। यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में असमानतायें बढ़ गई है। सरकार को इस समस्या के बारे में बहुत कुछ मालुम है तथा विचार हो रहा है कि किस प्रकार छोटे बीच के किसानों के लिये इस कार्यक्रम को आरम्भ किया जाये। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी असमानतायें मिटाने के लिये और छोटे किसानों की दशा सुधारने के लिये मौलिक परिवर्तन करने की ओर अपना ध्यान लगा रही है।

श्री एन० शिवप्पा : मंत्री महोदय के इस उत्तर पर ध्यान देते हुये एक अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना की जायेगी,, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ क्या संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को ऐसी संस्थायें स्थापित करने के लिये अथवा योजनायें बनाने के लिये कहा गया है और यदि हां, तो वे कोन सी परियोजनायें हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : नई संस्थाओं की स्थापना की कोई योजनायें नहीं हैं। गोखले इन्सटीट्यूट आफ इकनोमिक्स के प्रो० दांडेकर इस परियोजना में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसे बी० आर० कालेज, आगरा, कृषि कालेज, मुज्जफरनगर, बिहार, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, फिरोजपुर, कोटा डी० आर० सी केन्द्र वल्लभ विद्यानगर, टीकमगढ़, जबलपुर, करनाल , आई० ई० आर केन्द्र दिल्ली में क्रियान्वित किया जायेगा। इस अध्ययन के लिये हमारे देश में योग्य अनुसन्धान संस्थायें विद्यमान हैं। इसलिये नयी अनुसंधान संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिये क्या सरकार उन राज्यों को कुछ प्रोत्साहन देगी जो हरित क्रान्ति ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के संबन्ध में है। आप पूछ सकते है क्या संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इसका उल्लेख होगा। यह प्रश्न बहुत संगत नहीं है।

श्री शंकरराव सावन्त : भारत के कौन कौन से राज्यों ने हरित क्रान्ति में भाग लिया है और कौन से राज्य अपेक्षाकृत इससे अलग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप सबसे निवेदन करना है कि पहले प्रश्न की भाषा को पढ़े और बाद में प्रश्न पूछें।

श्री शंकरराव सावन्त : यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : इस संसार में कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है परन्तु उसे प्रश्न की भाषा तक सीमित होना चाहिये।

श्री बी० बी० नायक : क्या हरित क्रान्ति का कोई विपरीत प्रभाव भी पड़ा है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिण्दे : यह प्रश्न एकदम भिन्न है। परन्तु में आपके कहने पर उत्तर देने को तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि प्रश्न की भाषा को पढ़े। दूसरा विकल्प है कि अगले प्रश्न को लिया जाये।

केरल में निर्धन भूमिहीन व्यक्तियों के लिये मकान

*329. **श्री सी० जनार्दन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन भूमिहीन व्यक्तियों के लिये एक लाख मकान बनाने के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना के लिये सरकार ने वित्तीय साहयता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) : केरल सरकार ने सुझाव दिया है कि एक लाख भूमिहीन गरीब परिवारों के लिये आवास-स्थल तथा उनके विकास की लागत भारत सरकार को वहन करनी चाहिये । तथापि, योजना की प्रति एकड लागत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत से अधिक है। केरल सरकार से ब्योरे पर बातचीत चल रही है ।

श्री सी० जनार्दनन : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय द्वारा अभी दिया गया उत्तर निराशापूर्ण है क्योंकि हमें केरल की घनी जनसंख्या और गम्भीर आवास की समस्या पर विचार करना चाहिये । तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि केरल सरकार की योजना मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार की योजना जैसी ही है और उसमें केवल दो तीन बातों में ही अन्तर इसलिये है कि केरल की अपनी ग्रामीण तथा सामाजिक विशेषताएँ हैं और इस बात को भी देखते हुए कि कार्यक्रम के प्रति वहां अत्यधिक उत्साह है और सरकार भी इसे शीघ्र कार्यान्वित करना चाहती है और इस तथ्य को भी देखते हुए कि नवम्बर, 1971 में आवास मंत्रियों के सम्मेलन में भारत सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया था कि यदि राज्य सरकार द्वारा दी गई योजना में कुछ अन्तर होगा तो सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार शीघ्र निर्णय करेगी और राज्य सरकार को शीघ्र ही पर्याप्त धन उपलब्ध करेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि केरल सरकार द्वारा भेजी गई योजना से हमारी पूर्ण सहानुभूति है । हमारा इसके प्रति दृष्टिकोण अत्यन्त सहानुभूति पूर्ण है और हम इसे यथाशीघ्र अन्तिम रूप दे देना चाहते हैं । इस योजना पर हमारे मंत्रालय, योजना आयोग और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में एक साथ विचार हो रहा है और मुझे आशा है कि हम कुछ ही दिनों में किसी परिणाम पर पहुंच जायेंगे ।

श्री सी० जनार्दनन: मैं मंत्री महोदय के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने दो दिन में निर्णय लेने की बात कही है ।

श्री आई० के० गुजराल : कुछ ही दिनों में !

श्री सी० जनार्दनन : मैंने सोचा था कि दो दिनों में । क्या राज्य सरकार पहली मई तक ही भूमिहीन लोगों को आवास स्थल देना चाहती है । पहली नवम्बर तक केरल की आवास योजना पूरी हो जायेगी । उन्होंने यह योजना तैयार की है । पहली मई से पूर्व राज्य सरकार को निधि उपलब्ध कराने के लिये क्या सरकार उससे पूर्व निर्णय कर लेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : क्योंकि मामला केवल आवास मंत्रालय में ही विचाराधीन नहीं है अपितु योजना आयोग और वित्त मंत्रालय में भी इस पर विचार हो रहा है । इसलिये मेरे लिये तिथि बताना बहुत कठिन है । फिर भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा प्रयत्न इसे यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने का है । हमें पता है कि केरल सरकार इस योजना को पहली मई से पूर्व शुरू करना चाहती है । हम उनसे सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं ।

योजना के अनुसार पहले वर्ष में वे 4700 एकड़ भूमि अर्जित करके आवास स्थल 96000 बना लेंगे इसके लिये उन्हें पहले वर्ष में 8 करोड़ रुपए चाहिये । अब वर्तमान बजट में वित्त मंत्रालय ने सम्पूर्ण देश के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है ।

इसलिये कुछ समायोजन करना पड़ेगा । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री दोनों ही इस मामले में बड़ी सहानुभूति रखते हैं । मुझे विश्वास है कि उनकी सहानुभूति और समर्थन से हम कुछ ही दिनों में इसको अन्तिम रूप दे सकेंगे ।

श्री वयालर रवी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने वक्तव्य जारी किया है केरल सरकार ने यह योजना उनके मंत्रालय की सहमति से तैयार की है। यदि ऐसी बात है तो मंत्रालय इसे अंतिम रूप देने में अब विलम्ब क्यों कर रहा है ? क्या मंत्री महोदय ध्यान रखेंगे कि इस पर पहली मई से पूर्व निर्णय लिया जाये ? मंत्री महोदय उत्तर को टाल रहे हैं।

श्री आई० के० गुजराल : मैं उत्तर को टाल नहीं रहा हूँ । वित्तीय मामलों पर आवास मंत्रालय का नियंत्रण नहीं है । उन पर नियंत्रण अन्यत्र ही है । इसलिए हमें अन्य मंत्रालयों को भी अपने साथ लेना है । जिस प्रकार केरल सरकार ने मामले को आगे बढ़ाया है तथा जैसे वे इस समस्या को हल करना चाहते हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ । वास्तव में केरल के आवास मंत्रालय जानते हैं कि उन्हें हमारा समर्थन प्राप्त है । हम चेष्टा कर रहे हैं कि वे यह न अनुभव करें कि उनकी उपेक्षा की जा रही है ।

श्री वयालर रवी : क्या यह निर्णय पहली मई से पूर्व लिया जायेगा ?

श्री आई० के० गुजराल: वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से परामर्श किये बिना तिथि बताना मेरे लिये बहुत कठिन है ।

भारतीय नौवहन उद्योग का आधुनिकीकरण

*330. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय नौवहन उद्योग का आधुनिक बनाने के लिये कोई योजना तैयार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो जो कार्यवाही की जा रही है उसकी मुख्य बात क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) भारतीय नौवहन के विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम में पहले ही से मौजूदा जहाजों के स्थान पर

और आधुनिक ढंग से बने जहाज लिये जाने पर विचार किया गया है । इस उद्देश्य के लिये, सरकार शिपिंग डिवेलप्मेंट फंड समिति की मारफत रियायती शर्तों पर ऋण देती है ।

श्री रामसहाय पांडे : नौवहन क्षेत्र की कम टन भार क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्या आधुनिक पोत खरीदने के लिये क्या कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों में वृद्धि हो गई है इसलिये पुराने पोत खरीदने हेतु और आगे कौनसे प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

श्री राजबहादुर : नौवहन क्षेत्र में हमारी टन भार क्षमता को कम नहीं कहा जा सकता. 25 लाख जी. आर. टी. हमारे परिवहन में है तथा 10 लाख जी. आर. टी. के आदेश हमारे पास है । हमें आशा है कि परिवहन तथा आदेश दोनो की टन भार क्षमता सहित 40 लाख जी. आर. टी. का योजना लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा ।

जहाँ तक प्रोत्साहन देने का प्रश्न है, जहाँ तक मैं माननीय सदस्य की बात को समझ पाया हूँ कि पुराने पोतों की खरीद के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहनों की तुलना में नये पोत खरीदने के लिये क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं । जहाँ तक नये पोतों का प्रश्न है यदि उनको खरीदने के लिये क्रयादेश भारतीय शिपयार्ड को दिये जाते हैं तो ऋण चुकाने के लिये 17 वर्ष की अवधि दी जाती है और सिद्धान्त रूप में अदायगी के लिये 2 वर्ष की कानूनी मोहलत और दी जाती है । यदि क्रयादेश किसी विदेशी शिपयार्ड को दिये जाते हैं तो ऋण चुकाने के लिये 16 वर्ष की अवधि दी जाती है तथा इस पर एक वर्ष की कानुनी छूट और दी जाती है । इसकी तुलना में पुराने पोतों की खरीद के लिये पोत के मूल्य का 75 प्रतिशत ऋण दिया जाता है जबकि नये पोतों की खरीद के लिये पोत के मूल्य का 95 प्रतिशत ऋण दिया जाता है । भारतीय शिपयार्ड के लिये क्रमादेश देने पर 95 प्रतिशत ऋण दिया जाता है और विदेशी शिपयार्ड से खरीदने के लिये 90 प्रतिशत । ऋण चुकाने के लिये पोत की आयकर दायित्व सम्बन्धी शेष अवधि की दो तिहाई अवधि दी जाती है । पुराने पोतों की खरीद के लिये यह प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तथा नये पोतों को खरीदने के लिये यह अच्छा प्रोत्साहन है ।

श्री रामसहाय पांडे : मंत्री महोदय का उत्तर संतोषप्रद नहीं है । छोटे देशों की टन भार क्षमता अधिक है । यह जो कुछ भी यदि इससे कुछ उपलब्धि होती है तो ठीक है । हमारे बेड़े में 10 वर्ष से कम पुराने पोतों की प्रतिशतता क्या है ?

श्री राजबहादुर : हमारे नौवहन बेड़े की बड़े देशों के नौवहन बेड़े से तुलना नहीं की जा सकती है । **(व्यवधान)**

श्री रामसहाय पांडे : हमारे बेड़े में 10 वर्ष से कम पुराने पोतों की प्रतिशतता क्या है ?

श्री राजबहादुर : पांच वर्ष से कम पुराने पोतों की प्रतिशतता 24·33 है तथा पांच वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम के पोतों की प्रतिशतता 38·39 है । मेरे विचार से दोनों के योग से माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को पता है कि आधुनिकीकरण के नाम में

सार्वजनिक क्षेत्र अथवा भारतीय जहाज रानी निगम ने अपने बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय में, हाल ही में, कार्य के लिये कुछ कम्प्यूटर लगाये हैं इससे बम्बई तथा कलकत्ता के कर्मचारियों के मध्य यह धारणा बन रही है कि कम्प्यूटरों के सूत्रपात के परिणाम स्वरूप श्रम व्यर्थ जायेगा तथा बेरोजगारी में वृद्धि होगी। क्या जहाजरानी निगम ने इन कम्प्यूटरों के लगाने से पूर्व मंत्रालय से परामर्श किया है कि क्या इस स्थिति में इनका लगाया जाना आवश्यक है ? मंत्री महोदय ने बताया है कि हमारे बेड़े की अन्य देशों से तुलना नहीं की जा सकती तो क्या देश की नौवहन क्षमता का विकास करने के लिये इस स्थिति में कार्यालयों में कम्प्यूटरों का लगाया जाना नितान्त आवश्यक है ?

श्री राजबहादुर : मैंने यह नहीं कहा है कि हमारे बेड़े की अन्य सभी देशों से तुलना नहीं की जा सकती है। वास्तव में विश्व में हमारी स्थान 16वीं है। यह बहुत बुरी स्थिति नहीं है।

दूसरे हमें दो विरोधी बातों में सामंजस्य स्थापित करना है। पहले देश में उपलब्ध रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उसका अधिकतम उपयोग करना तथा दूसरे जहाँ तक सम्भव हो सके रोजगार के अवसर प्रदान करना अर्थात हम कार्य कौशल तथा प्रोद्योगिक विकास में दूसरे देशों से पीछे न रहें। रोजगार के अवसरों में अबाध्य कम्प्यूटरों की जो भी उपलब्धि है काय संचालन में इतनी स्वायत्तता हमें निगम को देनी पड़ेगी क्योंकि निगम पद्धति का आधार स्तम्भ है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : विकास छूट वापस ले लेने के सरकारी निर्णय से नौवहन उद्योग के आधुनिकीकरण में बाधा पड़ेगी। क्या कम से कम नौवहन उद्योग के सम्बन्ध में सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी।

श्री राजबहादुर : विकास छूट वापस लेने से नौवहन उद्योग में जो निराशा आयी है मैं उससे अवगत हूँ। इस मामले पर ध्यान रखा जा रहा है और हम इसका ध्यान रखेंगे कि नौवहन टन भार क्षमता के विकास की गति में आशातीत बाधा न आये।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या यह सच है कि हमारे बहुत से पोत विशेषतया सार्वजनिक उपक्रमों में तथा जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन में पुराने है तथा बेकार है और यदि हो, तो उन्हें बदलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजबहादुर : मैंने अभी बताया है कि सरकार के नये पोत खरीदने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था, की हुयी हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं सार्वजनिक क्षेत्र की बात कह रहा हूँ।

श्री राजबहादुर : जैसे ही वे बेकार समझे जायेंगे उनके स्थान पर नये पोतों की व्यवस्था की जायेगी। यह हमारी सामान्य प्रक्रिया है।

Replacement of Lids of Bottles of D. M. S. Milk

***334. Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to sate :

(a) Whether there have been regular complaints of replacement of lids of bottles

cntaining milk supplied by the Delhi Milk Scheme, and

(b) If , the action taken to check this ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Prof Sher Singh) : (a) Yes Sir.

(b) A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

Investigations of the eomplaints of replacement of caps of the milk bottles supplied by D. M. S. reveal that the caps become loose or get removed due to a variety of reasons. The main reasons and the remedial action taken in each case are briefly indicated below :

(1) **Technical defects in the Bottling Machines resulting in the caps of some of the bottles remaining loose.** The staff on duty have instructions that bottles with loose caps should not be distributed and should be removed for rebottling. The vast majority of loosely capped bottles are thus refilled and not issued for distribution.

(2) **While stacking crates containing milk bottles in the cold store, milk vans and in the milk depots, sometimes the bottom of the top crates scrape against the cape of the bottles in the lower crates during handling or due to jerks in the course of transportation to the depots.** The majority of cases in which the the bottle caps turn loose are due to this reason, The Delhi Milk Scheme has recently re-disigned their crates with a view to minimising this defect, As and when the new crates, which are progressively being brought into use, replace the old ones, the incidence of loosely capped or without cap bottles would be substantially reduced.

(3) **Transport or depot Agents of Delhi Milk scheme or privately engaged homedelivery men. May sometimes tamper with the bottle caps with mala fide intentions, either to adulterate the milk or sell lower priced milk as higher priced milk.** Under the present capping arrangements which are in use in many bottling plants all over the world, it is possible to remove and replace the capes of the bottles, although the caps of such bottles would present a some what distorted appearance. however, in order to minimise incidents of this nature, the Delhi Milk Scheme is introducing bottles with serrated necks which would make it mors difficult for persons to tamper with the caps of the bottles. Meanwhile as and when cases of this nature are reported, immediate enquiries are made by the Delhi Milk Scheme and if the allegations are found to be correct, very strict action is taken against the persons in default.

Shri Shiv kumar Shastri : I thinik the first two parts of the statement placed on the table are misleading. It is not a fact that the caps of Bottles are loose due to technical defects. Had it been so there could have been a complaint at anlarlier stage. The second reason that the caps turn loose while stacking crates, scrape against the caps of the bottles in rorur crates, is not correct because it is a long going processe the third reason appears to be correct. May I know the departmental procedure adopted to enquire into the fault of tampering the caps of the bottles, and the persons arrested and puishment given to them ?

Shri Sher Singh : The first two reasons are also not wrong. They are also the reasons. If any cap is found loose the bottle is refilled. We always take this precaution. Some times caps turn loose due to scrape of crates. But the complaint regarding tampering with the caps is eorrect. We receive complaints and in last six months number of these have gone to 129. the enquiry was made. Ten complaints were prored correct and the defaulters were punished.

Shri Shiv kumar Shastri : I am not satisfied with the answers. I have asked about

the procedure adopted for the enquiry of such matters. Is there any provision of flying squad or the enquiry is made on the spot.

Shri Sher Singh : There are surprize checks also. The surprize visits are made to see that every thing is in order and even if there is any complaint enquiry is made. Punishments is given after the enquiry.

Shri Shiv Kumar Shastri : Secondly, there is difference of 16 or 17 Paise in the cost of a bottle of toned milk and a bottle of standerd milk. May I know whether it is not practicable that both the booths are seperate so that there may be no tempering ? On one booth standerd milk should be sold and on the other toned milk.

Shri Sher Singh : It will cause difficulty to the people there are people who would like to purchase both types of milk toned as well as standerd milk. It the distinct booths are situated at good distances it may cause difficulty to the people.

Shri R. S. Pandey : May I know whether the milk supplied from the dairy of buffalos or of cows.

Mr. Speaker : the question is how the cap is turned loose irrespective of the fact that it is cow's milk or buffalo's milk.

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : बोतलें बन्द करने के लिये जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है वे कितनी पुरानी है ? यदि वे बहुत पुरानी है तो सरकार इन्हें कब तक बदलेगी ?

Shri Sher Singh : Some of the machines are old. But the replacement is made when the old machines goes out of order.

चैकोस्लोवाकिया में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का और भारत में चैकोस्लोवाकिया की भाषा का शिक्षण

*336. †**श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया सरकार ने चैकोस्लोवाकिया में हिन्दी तथा भारत की अन्य प्रादेशिक भाषायें पढ़ाने के प्रबन्ध किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत में चैकोस्लोवाकिया की भाषा पढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा भी ऐसे ही प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) स्थिति का पता लगाया जा रहा है और तथ्यों को यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) भारत में चैक तथा स्लोवाक भाषाओं के अध्यापन हेतु प्रबन्ध करने के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : चैकोस्लोवाकिया जैसे देश ने हिन्दी पढ़ाने के लिए प्रबन्ध किए हैं । क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि स्वयं अपने देश में कई राज्य हिन्दी के प्रति बहुत उदासीन है और उन्होंने हिन्दी अध्ययन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल चैकोस्लोवाकिया के बारे में है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या यह बात······

अध्यक्ष महोदय : आप एक पृथक प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : प्रश्न यह था कि क्या चैकोस्लोवाकिया सरकार ने चैकोस्लोवाकिया में हिन्दी तथा भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाएं पढ़ाने के प्रबन्ध किए हैं । उत्तर में मंत्री महोदय ने केवल यह कहा है कि स्थिति का पता लगाया जा रहा है । मैं उनसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि क्या यह प्रबन्ध किया गया है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया है ।

श्री डी० पी० यादव : इस पर अभी विचार हो रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश की है कि हम कुछ विश्वविद्यालयों में चैक भाषा पढ़ाना शुरू कर सकते हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन् : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या चैकोस्लोवाकिया में हमारी कुछ प्रादेशिक भाषाएँ भी पढ़ाई जाती हैं ।

श्री डी० पी० यादव : चैकोस्लोवाकिया में इस समय हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती है ।

दिल्ली में चल रही मिनी बसों के लिये शर्तें

*337. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मिनी बसें चलाने के परिमिट दिये जाने की क्या शर्तें हैं । तथा उनमें बैठने और खड़े होने की निर्धारित क्षमता क्या है और परमिट की अवधि क्या है,

(ख) क्या उन्हें पता है कि उनमें सुबह और शाम की, विशेषकर भीड़ के समय, निर्धारित क्षमता से बहुत अधिक यात्री होते हैं; और

(ग) यदि हा, तो निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री ले जाने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1689/72]**

(ख) मिनी बसों में निर्धारित संख्या से अधिक यात्री बढ़ाने के उदाहरण दिल्ली प्रशासन की सूचना में लाए गए हैं ।

(ग) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत उन मिनी बसों के मालिकों । चालकों का चालान किया जाता है जिनमें निर्धारित संख्या से अधिक यात्री चढ़ाये जाते हैं । ऐसे दोषी परिचालकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई भी की जाती है ।

Shri Amar Nath Chawla : It has been stated in the statment laid on the table of the house in reply that the seating capacity of the mini bus should not exceed 25 and no standing passengers should be allowed but do the instances of overloading in mini buses have come to the notice of Delhi adminisiration. May I kuow whether there has been

any Violation of the rule, if so, to, what extent. What is the maximum nomber of passengers so detected and the atcion taken thereupon.

श्री ओम मेहता : जो सवाल पूछा है उसके डीटेल्स हमारे पास नहीं है। दोषी परिचालकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है। 1–4–71 से 31–3–72 तक की अवधि के दौरान 270 चालान किए गए। मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत 8 परमिट होल्डरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

Shri Amar Nath Chawla : I want to know whether cancellation of permit of some bus operaters is also included in this action , If so how many permits have been cancelled uptill now. In answer to the question number 222 it was said that the orders have been given for cancel lation. I want to know the number of permits cancelled uptille now.

Shri Om Mehta : The permits are not cancelled permanently. They were suspended for few weeks only.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने बताया है कि कई चालकों को बस में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर दण्ड दिया गया है अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन प्रबन्धकों को या अन्य लोगों को क्या दण्ड दिया जायेगा यदि वह समुचित बसों की व्यवस्था नहीं करते।

श्री ओम मेहता : मुख्य प्रश्न मिनी बसों के बारे में है जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है। हम नई बसों की व्यवस्था कर रहे हैं और शीघ्र ही 300 बसें और आने वाली हैं।

Shri Shashi Bhushan : Mini Buses are much popular in Delhi. I want to know whether permits for mini buses are given to private people only and whether Government itself propose to ply mini buses for public convienence.

Shri Om Mehta : Yes sir, the permits that have been issued earlier are given to 38, cooperative societies, 18 to private ltd companies and 9 to exservice men. It was decided that 100 permits will be given for mini buses and 35 applications were asked for in this regard. Now D. T. C. has decided that they would also ply mini buses and they have also placed orders for 30 buses and they are expected soon.

Shri B. S. Bhaura : May I know whether Government is aware of the fact that inspite of suspension some mini buses had been plying even when they are under suspension.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं अतः इसे अनुपूरक प्रश्न के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता।

Shri Panna Lal Barupal : I want to know the number of permits for these buses issued to scheduld caste and scheduled tribes.

Mr. Speaker : This question does not arise out of it.

Shri Panna Lal Borupal : Mr. speake , sir these permits are issued only to big persons. Such permits are not issued to harijans.

Mr speakear: Ask a seperate question how does it arises out of it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether such permits have also been given to cooperative societies and ex-soldiers society.

Shri Om Mehta : I have already said that 38 permits were given to cooperative societies.

Shri Panna Lal Barupal : These cooperative societies are of big persons and not of the poor.

Shri Om Mehta : I have no defacts that whether these societies are of big persons or poor persons.

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोक सभा के सदस्यों के लिये भी मिनी बसें होनी चाहिये ।

श्री ओम मेहता : सदस्यों को एक सहकारी परिवहन समिति बनानी चाहिये ताकि हम राज्य प्राधिकरणों को यह सिफारिश कर सकें कि वह इस समिति को परमिट दे सकें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नार्थ एवन्यु को जाने वाली बड़ी बसें प्राय: खाली जाती है । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार को लोक सभा के सदस्यों के लिए मिनी बसें चलाने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया गया था, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री ओम मेहता : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि यह बसें मिनी बसें ही हैं ।

उत्पादन एककों का शैक्षिक प्रशिक्षण के अंग के रूप में स्थापित किया जाना

*338. **श्री बी० के० दास चौधरी :**

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शक्षिक प्रशिक्षण के अंग के रूप में उत्पादन एकक स्थापित करने का निर्णय किया है जिससे कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक कार्य का अनुभव कराया जा सके और अंशकालिक कार्य जुटाए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार स्थापित किये जाने वाले उत्पादन एककों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा,समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : 'उत्पादन और कार्य अनुभव' को शिक्षा के एक भाग के रूप में लागू करने का प्रश्न विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों कालेजों की सहायता के लिये मार्ग दर्शक रूप रेखायें तैयार करने के हेतु एक समिति की नियुक्ति की गई है । समिति की रिपोर्ट मिलने पर ब्यौरे तैयार किये जायेंगे ।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक प्रकार के प्रशिक्षण एवं उत्पादन एकक की स्थापना करने के लिये इस वर्ष के आरम्भ में एक प्रमुख परियोजना के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है और उसका चयन कर लिया गया है ताकि विद्यार्थी सीखने के साथ-साथ धन का अर्जन भी कर सके ।

प्रो० नुरुल हसन : आयोग के दिनाँक 2 फरवरी 1972 के संकल्प में यह कहा गया है "आयोग की यह इच्छा है कि इस योजना पर गौर करने के लिये और ऐसी परियोजनाओं के लिये विश्वविद्यालय के सहायतार्थ सामान्य मार्ग निर्देशन तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये । यह बात भी पाई गई कि ऐसी योजनाओ के लिये आयोग पूंजी व्यय में 50 प्रतिशत भार वहन करेगा । यह योजना सामान्यत: ऐसी होनी चाहिये कि जहाँ तक आवर्ती व्यय का सम्बन्ध है यह स्वयं समर्थक हो" समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस

पर और आगे निर्णय लिया जाएगा ।

श्री बी० के० दास चौधरी : यह समिति शिक्षा मंत्रालय के आधीन है अथवा वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक उपसमिति है। साथ ही इसके निर्धारित निदेश पद क्या है ?

प्रो० नुरुल हसन : यह समिति विश्वविद्यालयों कालेजों की कालेजों में शिक्षा और उत्पादन अनुभव में समन्वय बनाये रखने सम्बन्धी परियोजना के लिये सहायता देने के लिये मार्ग निर्देशन तय करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई है ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्योंकि हम अभी भी पुरानी ईस्ट इण्डिया कम्पनी की पद्धति पर विश्वविद्यालयों को क्लर्क निर्माण कारखाना ही समझ रहे है, क्या सरकार देश की समूची शिक्षा पद्धति पर विचार करेगी जिससे हम विद्यार्थियों को क्लर्क बनाने के बजाय तकनीकी शिक्षा दे सकें ।

प्रो० नुरुल हसन : मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें तकनीकी शिक्षा की अधिक व्यवस्था करनी चाहिये परन्तु दुर्भाग्यवश वर्ष 1966 के बाद से आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी हो गई है जिसके फलस्वरूप बहुत से तकनीकी व्यक्ति बेकार रहे । वर्ष 1968 में इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाए गए ताकि तकनीकी शिक्षा कम आदमियों को दी जाए । मंत्रालय यह प्रयत्न कर रहा है कि इस बारे में शीघ्र कदम उठाए जायें ताकि तकनीकी कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या उनकी क्षमता के अनुरूप हो । परन्तु यह योजना की क्रियान्विति पर और इस बात पर निर्भर करता है कि योजना में तकनीकी व्यक्तियों को किस प्रकार काम पर लगाने की व्यवस्था की जाये ।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या इस समिति के निदेश पदों में देश में कृषि शिक्षा भी शामिल है ।

प्रो० नुरुल हसन : इस समय कृषि शिक्षा के विस्तार के प्रश्न पर कृषि मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है । अतः मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह समिति कृषि सम्बन्धी किसी योजना की क्रियान्विति पर भी विचार करेगी अथवा नहीं । परन्तु प्रश्न मूलतः उत्पादन एककों के बारे में था और मेरे विचार से उत्पादन एककों से अभिप्रायः मूलतः औद्योगिक उत्पादन से था ।

श्री बी० वी० नायक : क्या यह सच है कि ये उत्पादन-एकक विश्वविद्यालय-प्रांगणों तक ही सीमित रहेंगे, अथवा विद्यार्थी उन सभी वर्तमान उत्पादन-एककों में भी जा सकेंगे जहां उत्पादन चल रहा है । क्या यह कार्य कक्षाओं में ही होगा ?

प्रो नुरुल हसन : जहाँ तक इन उत्पादन:एककों का प्रश्न है यह मामला इस दृष्टि से विचाराधीन है कि क्या कालेजों या विश्वविद्यालयों को ऐसे एकक स्वयं स्थापित कर लेने चाहिये । जहाँ तकपहले से ही वर्तमान उत्पादन एककों में छात्रों को ले जाने का प्रश्न है, इस बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के साथ पहले ही विचार–विमर्श कर लिया गया है पाठ्यक्रम सम्बन्धी एक योजना तैयार करली गई है । मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी विशेष रूप से विज्ञान-छात्रों को कार्य का अनुभव प्रदान करने के लिये

कोई योजना बनायेगा।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या ये एकक छात्रों की संख्या के आधार पर वितरित किये जायेंगे अथवा किसी राज्य के छात्रों की संख्या के आधार पर न बनाये जाकर केवल राज्यवार वितरित किये जायेंगे ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जब तक मुझे इस समिति का प्रतिवेदन नहीं मिलेगा तब तक में इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ ?

श्री कार्तिक उरावे : मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ सका कि शिक्षा मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं बताया है कि क्या यह अवकाशवर्ती-प्रशिक्षण होगा, या कि सैन्डविच पाठ्यक्रम होगा अथवा कि स्नातक-प्रसिद्ध, पाठ्यक्रम होगा, और

अध्यक्ष महोदय : उरांव साहेब, मंत्री महोदय स्वयं प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में हैं।

श्री कार्तिक उरावे : यदि वह कहते हैं कि ये केवल उत्पादन एकक हैं तो मेरी समझ नहीं आया कि विशेष रूप से उनमें किस चीज का उत्पादन होगा क्योंकि कितने ही हजार इंजीनियर बेकार हैं। इस योजना से क्या फर्क पड़ेगा ? ये उत्पादन एकक किस प्रकार से हैं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे प्रतिवेदन तथा विश्व-विद्यालय अनुपात आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो पहले एक मुख्य इन्जीनियर रह चुके हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : इन प्रस्तावित उत्पादन एकको में छात्रों को रोजगार के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा या इनके द्वारा रोजगार ढूँढ़े जायेंगे।

प्रो० नुरुल हसन : मैं अभी कैसे बता सकता हूँ जबकि मुझे प्रतिवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि केवल एक प्रश्न को छोड़ कर कोई प्रश्न नहीं बचा है। इसीलिये मैं अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे रहा हूँ।

श्री बसंतराव पुरुषोत्तम साठे : क्या विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को क्रियान्वित करने के संबंध में तकनीकी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को इन एकको में प्रशिक्षण देने सम्बन्धी आवश्यकताओं को समन्वित करने के कोई उपाय किये गये हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : इस सम्बन्ध में योजना आयोग एक समन्वित नीति बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सरकारी क्वार्टर को अपने पास रखने के लिये अभ्यावेदन

*340. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि सरकारी सेवा के दौरान उन्हें अलाट हुए क्वार्टर उनके पास ही रहने दिये जायें;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) क्या अभ्यावेदन की इस बीच जांच कर ली गई है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, some body has edited my question. Though this, editing is very good but in this a part of my question has omitted. I want to know the period for which a retired Government employees is permitted to retain this Govt, accommodations alloted to him during his service ?

Secondly, may I know whether there is any scheme to rehabilitate the retired Govt. employees.

Thirdly, several times representation have been made by the retired employees in this regard but the same have not been brought to your notice, what is the reason there fore ? I my self had forwarded three letters but they never reached you ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को समझता हूँ क्योंकि उनकी आय-क्षमता घट जाती है और उन्हें मकान खाली करने को भी कहा जाता है । दिल्ली में हम सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की एक योजना बना रहे हैं । हम यह चाहते हैं कि सेवानिवृत्त होने से कुछ वर्ष पूर्व कर्मचारी स्वयं को मकान के लिये पंजीकृत करा लें तथा मकान मिलने पर नॉम मात्र की किस्में देते रहें । अपने उप-दान तथा भविष्य निधि में से भी कुछ खर्च दे दें तथा किराया-खरीद के आधार पर मकान प्राप्त कर लें । बम्बई के बारे में हमारी कठिनाई भिन्न प्रकार की है । कुछ सरकारी कर्मचारियों की ओर से कुछ अभ्यावेदन मिले हैं । उनका प्रश्न कुछ भिन्न प्रकार का हो गया था । इसीलिये मैंने नहीं में उत्तर दिया है । ऐसा नहीं है कि इन संगठनों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं । उस अभ्यावेदन में उन्होंने कहा है कि जिन मकानों में वे रह रहे हैं वे उन को ही दे दिये जायें । यह बड़ा कठिन है क्योंकि यदि हम उन मकानों को जो कि सेवारत कर्मचारियों के लिये बनाये गये हैं, इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम कर दें तो सेवारत कर्मचारियों का असन्तोष और बढ़ जायेगा । इस समय में 5–7 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं जबकि दिल्ली में सर्वाधिक प्रतिशतता है अर्थात् 43 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियो के एक बहुत बड़े भाग के पास आवास नहीं है । अतः हम एक पृथक योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं । बम्बई में मैंने आवास बोर्ड से बात-चीत की है कि क्या वे इस उद्देश्य से कोई पृथक योजना आरम्भ कर सकते हैं । मैं इस समस्या से अनभिज्ञ नहीं हूँ । हमें स्थिति का पता है ।

Shri Shashi Bhushan : Mr. speaker, sir. I want to know the period for which a retired Government employee is permitted, to retain his accomodation.

Secondly you have said about giving facilities to house who would retire after 3 Years, but may I know what about those who are retiring just now would the government provide them a plot and loan for construction

श्री आई० के० गुजराल : यह बात हमें याद रखनी चाहिये कि सरकारी कर्मचारियों की आवास समस्या भी देश की समूची आवास समस्या का ही एक अंग है। अतः इसको पृथक नहीं किया जा सकता है। हम किसी वर्ग के साथ किसी सीमा तक ही सहानुभूति दिखा सकते हैं। हमें समझना चाहिये कि भारत के पांच में से चार व्यक्ति या तो बेकार हैं या निम्न स्तर के मकान में रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिये हम इस समस्या को थोड़ा-थोड़ा करके हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने तक मकान में रहने की अनुमति दी हुई है। परन्तु कुछ परिस्थितियों में जैसे बच्चे की परीक्षाओं तथा स्वास्थ्य आदि के आधार पर कुछ अवधि बढ़ा दी जाती है।

Shri Shiv Chandika : May I know whether a Government employee means only Government employee or a public sector employee and a railway employee also.

श्री आई० के० गुजराल : अन्ततः तो हमें यथा-संभव अधिकतम लोगों की कठिनाई दूर करनी है। परन्तु मैं एक दम सभी के लिये व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि इससे तो किसी का भी भला नहीं होगा।

Shri S. M. Banerjee : It is Said that some colony is being built but quite often one has to vacate the house within six months after the retirement. But I want to know that since these govt. employees have sacrified their entire young age in government, service whether their sons or any relatives in govt. service would be alloted that accommodation which the retired employees were leaving in case the son or the relative gives in writing that he would keep the said retired man in his house ? would this be provided clearly in the allotment rules.

श्री आई० के० गुजराल : वर्तमान नियमों के अनुसार हम उन पुत्रों या आश्रितों को मकान अलाट करे देते हैं जो कि सेवा में हैं तथा सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। यह अलाटमेंट उसी श्रेणी के मकान की कि जाती है जिसके लिये सेवारत वह पुत्र अथवा आश्रित पात्र है न कि सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी वाली श्रेणी का। जहां तक अन्य आश्रितों का सम्बन्ध है प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर निर्णय किया जाता है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

महालेखाकार कार्यालय, मद्रास के कर्मचारियों की नौकरी को खतरा।

अ० सू० प्र० 1. श्री बालदन्डयुतम :

श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु राज्य सरकार का विचार मद्रास स्थित महालेखाकार कार्यालय के लेखानुभाग को अपने नियंत्रण में लेने का है जिससे लगभग 2500 कर्मचारियों की नौकरी को खतरा है और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं। उन्होंने बजट नियन्त्रण को बेहतर बनाने के लिए डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के० बालदन्डायुतम : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किये हैं। एक संख्या 1205/71/4 दिनांक 17 जनवरी, 1972 जिसमें कहा गया है कि उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि से सम्बन्धित लेखे अपने अधिकार में कर लिये हैं, तथा दूसरा आदेश संख्या जी० ओ० 1125 दिनांक 30 जुलाई, 1971 जिसके अनुसार उन्होंने डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर को अधिकार में लेकर वहां संगणक का उपयोग आरम्भ कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया है कि महालेखाकार के कार्यालय को वाउचर कुछ समय तक तो भेजे जाते रहने चाहिये। तत्पश्चात इस प्रणाली की जांच करने के बाद और इस प्रणाली के सफल होने के पश्चात् ये वाउचर महालेखाकार को भेजना बन्द कर दिया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 150 के आधीन यह स्पष्ट है कि लेखों को एकत्रित करना तथा उनकी जांच करना एवम् उनके रख-रखाव का कार्य नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से किया जायेगा और इसमें राष्ट्रपति की सलाह लेनी होगी। अतः केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही वे उन फार्मों में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। इस दृष्टि से क्या राज्य सरकार ने डाटा प्रोसैसिंग सैन्टर में अथवा भविष्य निधि के लेखा-रखने की प्रणाली में परिवर्तन करने तथा इन लेखों को महालेखाकार के कार्यालय से अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरित करने के लिये केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होगी ?

श्री के० आर० गणेश : मैं वह छोटा सा पत्र पढ़ूंगा जो तमिलनाडु सरकार ने लिखा था। वह कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार महालेखाकार के लेखानुभाग को अपने अधिकार में नहीं ले रही है। यह सरकार बजट-पूर्व प्रक्रिया को सुधारने तथा विभागीय आंकड़ों की बजट-अनुमानों से तुलना करने तथा और अच्छा दिनियमन-नियंत्रण तथा अनुशासन स्थापित करने हेतु एक योजना बना रही है। बजट बनाना राज्य सरकार का दायित्व है और यह कार्य महालेखाकार कभी नहीं करता है। इस कार्य को सरकार का बजट आंकड़ा केन्द्र करता है जो कि हैदराबाद स्टाफ कालेज की सिफारिशों के अनुसार स्थापित किया गया है। सरकार ने महालेखाकार को यह आश्वासन दिया है कि राजकोष के लेखों का संकलन करने के सम्बन्ध में महालेखाकार के लेखा-कार्य को अपने अधिकार में लेने का उनका कोई विचार नहीं है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा व्यक्त यही स्थिति वास्तविक है।

श्री के० बालतंडायुतम : उन्होंने कहा है कि अभी वाउचर महालेखाकार के कार्यालय को भेजे जायें और जब यह डाटा प्रोसैसिंग सैन्टर सफल सिद्ध हो जायेगा तो वे इन्हें भेजकर बन्द कर दें। यदि वह चाहें तो मैं उन्हें वह आदेश पढ़कर सुना सकता हूँ। यह

बहुत ही स्पष्ट है। अतः क्या केन्द्र सरकार या वित्त मंत्री स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति को हटाया नहीं जायेगा और नौकरी की सुरक्षा बनी रहेगी। न केवल नौकरी की सुरक्षा बल्कि रोजगार के अवसर, पदोन्नति के अवसर आदि के बारे में महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों की राज्य सरकार की इस योजना से सुरक्षा की जायेगी जो कि अप्रत्यक्ष रूप से संगणकों का उपयोग आरम्भ कर रही है तथा लेखों के संकलन का कार्य भी अपने हाथ में लेती जा रही है। राज्य सरकार द्वारा भविष्य निधि के लेखों के आंकड़े ग्रहण के बारे में वह क्या कहना चाहते हैं। यह कार्यवाही कहाँ तक संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुरूप है ?

श्री के० आर० गणेश : प्रश्न का पहला भाग तो सर्वथा कल्पना पर आधारित है। ऐसी स्थिति आने पर सरकार उचित कार्यवाही करने का अवश्य विचार करेगी। ऐसी स्थिति इस समय नहीं है। यह बात राज्य सरकार से सम्बन्धित है और किसी कल्पना पर आधारित प्रश्न पर अपने विचार देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

जहाँ तक भविष्य निधि के लेखों को बनाने का प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार भी अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि सम्बन्धी पास बुकें बनाने का विचार कर रही है। इस सरकार ने राज पत्रित कर्मचारियों के लिये तो पहले ही ऐसी प्रणाली आरम्भ कर रखी है। इस प्रणाली का अभिप्राय: महालेखाकार से लेखों को अधिग्रहण करना नहीं प्रत्युत जमा नहीं हुई राशियों को लिख देने की सुविधा प्रदान करने वाली एक किताब बनाने से है। क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने अनुभव किया है कि भविष्य निधि की लेखे ठीक से नहीं रखे जा रहे हैं इसलिये सरकारी कर्मचारियों के लिये पास बुकें रखने का विचार किया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों से भविष्य निधि की राशि वसूल करना तथा उनके खाते रखने का भी विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में महालेखाकार मद्रास ने राज्य सरकार को लिखा है कि उनकी राय में पास बुक बनाना ठीक रहेगा। साथ ही उन्होंने विभागाध्यक्षों की एक बैठक बुलाने का भी सुझाव दिया ताकि परस्पर कठिनाइयाँ दूर की जा सकें। वह बैठक संभवतया हो नहीं पाई है। यही वर्तमान स्थिति है।

श्री के० बालतंडायुतम् : क्या राज्य सरकार द्वारा डाटा प्रोसैसिंग सैन्टर की स्थापना करना तथा भविष्य निधि के लेखे अपने पास रखना कार्य को दुगुना करना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक काल्पनिक प्रश्न पूछ रहे हैं जिसकी एक अनुपूरक प्रश्न के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। फिर मँत्री महोदय को स्पष्ट करने की अनुमति दी गई। मेरे विचार से मुझे इसकी और आगे अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मँत्री महोदय ने इस बारे में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के विचार जान लिये हैं तथा क्या उन्होंने यह देख लिया है कि इससे रोजगार के अवसरों पर कुप्रभाव नहीं पड़े ?

श्री के० आर० गणेश : इस समय तमिलनाडु सरकार का इन लेखों को अपने अधिकार में लेने का कोई विचार नहीं है। यह कार्य महालेखाकार के कार्यालय में हो रहा है और इसलिये यह प्रश्न तो उठता ही नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या नियत्रक और महालेखा परीक्षक के विचार मालूम किये हैं अथवा नहीं ?

श्री के० आर० गणेश : वह मालूम कर लिये गये हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस स्थिति में वह सभा को विश्वास में लें । उक्त प्राधिकारी के इस बारे में क्या विचार हैं ? क्या वह इस मूल्यांकन से सहमत हैं कि इससे रोजगार के अवसरों पर कुप्रभाव पड़ेगा ?··· ··· ···अध्यक्ष महोदय आप मेरे साथ न्याय करें ।

Mr. Speaker : For justice sake I have asked you to sit down.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In the name justice I am prepared to sitdown. But firstly the home Minister did stated whether the views of the C & A. G. were ascertained, and later on be agreed. So it is very natural to be anxious to know the views of the C & A. G. It is a very innocent question.

Mr. Speaker : Not so innocent.

Shri R. V. Bade : Mr. Vajpayee's question is very important and it should be replied to.

Mr. Speaker : I have not permitted that.

श्री जी० विश्वनाथन : महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों का आन्दोलन बड़ा ही रोचक है । क्या मंत्री महोदय को भविष्य निधि खातों के रख-रखाव में विलंब तथा गोल-माल और इस तथ्य का पता है कि भविष्य निधि खातों में न जमा की गई राशि करोड़ों रुपये बनती है और इसी कारण राज्य सरकार ने यह कार्यवाही की है ? महालेखाकार ने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है क्योंकि आन्दोलन-कर्त्ता उपस्थिति लगाकर मिटिंग में चले जाते हैं, वहां लाउडस्पीकर उपलब्ध है, कार्यालय की ओर से मिलना उपलब्ध है और इसके लिये कुछ स्वयं को साम्यवादी कहने वाले लोग प्रेरणा दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न किस प्रकार संगत है

श्री जी० विश्वनाथन : यह प्रश्न महालेखाकार के कार्यालय में कर्मचारियों के आन्दोलन के बारे में है । वस्तुत: यह आन्दोलन द्रमुक सरकार के विरुद्ध है किसी मांग के समर्थन में नहीं । यह एक राजनैतिक आन्दोलन है कोई वास्तविक कर्मचारी–आन्दोलन नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय स्वयं उस सरकार का पक्ष ले रहे थे । **(व्यवधान)**

श्री जी० विश्वनाथन : वह भविष्य निधि खातों के रख-रखाव के बारे में उत्तर दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इस पास बुक जारी करने की अनुमति दे दी है ।

श्री जी० विश्वनाथन : महालेखाकार के कार्यालय में विलंब के बारे में क्या कहना है ?

अध्यक्ष महोदय :वह कहते हैं कि पासबुक जारी होते ही वह खत्म हो गया है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या यह सच है कि मद्रास जिन महालेखाकार के कार्यालय को दो विभिन्न कार्यालय बना देने पर उनके 400 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल जायेंगे । क्या यह भी सच है कि महालेखाकार कार्यालय में खाते रखने की प्रक्रिया सर्वथा दोषपूर्ण है । क्या यह सच है ?

अध्यक्ष महोदय : सच यह है कि ऐसे प्रश्न अनुपूरक प्रश्न नहीं है अपितु पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले मुख्य प्रश्न है । मैं इन्हें अनुपूरक नहीं मान रहा हूँ ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या यह सच है कि राज्य सरकार के कर्मचारी इस बात के लिये आन्दोलन कर रहे हैं कि नई प्रणालियां आरम्भ करके इस अनुभाग के कार्य को बेहतर बनाया जाये । क्या यह सच है कि करोड़ों रुपये की राशि को लेखों में दर्ज नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इनकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ । इसे अनुपूरक प्रश्न के रूप में पूछिये । मैं आपका ध्यान संबंधित नियम की ओर आकर्षित कराता हूँ । आप पुराने सदस्य हैं यदि कोई नया सदस्य इस प्रकार पूछता तो कोई बात नहीं थी ।

श्री सी० टी० दन्डपाणि : मेरा प्रश्न है कि क्या यह सच ह कि व्यक्तिगत भविष्य निधि लेखों में करोड़ों रुपये की राशि दर्ज नहीं की गई है ? क्या यह भी सच है कि कुछ समाज-विरोधी तत्व जो कि पहले भूमिगत हो गये थे अब फिर बाहर आकर महालेखाकार कार्यालय में समस्यायें पैदा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह जानकारी माननीय मन्त्री को दी जा रही है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब श्री वाजपेयी ने पूछा कि क्या नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक से सरकार ने कोई सलाह ली है, तो आपने उसकी अनुमति नहीं दी । मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सच नहीं है कि संगणकों का कहीं भी उपभोग चाहे तमिलनाडु में हो या केरल में, रोजगार के अवसर भविष्य में पदोन्नतियां तथा यहां तक कि वर्तमान रोजगार-स्थिति भी में बाधा सिद्ध होगा ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने यह पता लगा लिया है कि इस कारण नौकरी की सुरक्षा पर किसी भी स्थिति में आंच नहीं आयेगी । क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार अथवा तमिलनाडु सरकार ने कोई आश्वासन दिया है ? मेरा आरोप तो दोनों सरकारों के बारे में है एक के नहीं ।

श्री के० आर० गणेश : जहां तक प्रश्न का पहला भाग है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इस तथ्य से सन्तुष्ट हैं कि महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों को कोई खतरा नहीं है ।

श्री सी० टी० दण्पाणि : तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने स्पष्ट रूप से विधान सभा में बताया है कि रोजगार के अवसरों पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, आपने तो अनुमति नहीं दी परन्तु मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे ही दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह यह प्रश्न नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वही प्रश्न श्री बनर्जी ने पूछा और आपने उसको अनुमति दे दी ।

अध्यक्ष महोदय : इस समस्या का हल तो अध्यक्ष या मन्त्री महोदय के लिये भी मुश्किल है ।

श्री के० आर० गणेश : प्रश्न के दूसरे भाग में...

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्हें अभी पहले प्रश्न का उत्तर देना है।

श्री० के० आर० गणेश : इस समय उनके रोजगार को कोई खतरा नहीं है। मैं नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी : दूसरे प्रश्न का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से दूसरा प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता।

— ——

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पुस्तक सृजन केन्द्रों के कार्य में विविधता लाने की योजना

*321 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षित बेरोजगारों को, विशेषकर कस्बों में, प्रशिक्षण और रोजगार देने के विचार से अपने पुस्तक सृजन केन्द्रों के कार्य में विविधता लाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस योजना का अनुमोदन कर दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वालों की मधुमेह रोग के लिए औषधियां सप्लाई न किया जाना

*324. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वालों की मधुमेह रोग के लिए प्रारम्भ के तीन महीनों बाद औषधालयों से औषधियां सप्लाई नहीं की जाती हैं यद्यपि वे अपना अंशदान नियमित रूप से करते हैं ;

(ख) क्या ऐसे रोगियों को तभी औषधियां सप्लाई की जाती है जब उन्हें दिल के गम्भीर रोग लग जाते हैं और उनका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाता है जबकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा से लाभ न पाने वाले रोगियों को सफदरजंग अस्पताल, विलिंग्डन अस्पताल तथा अन्य आम अस्पतालों से निःशुल्क औषधियां मिलती रहती है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वालों के साथ इस प्रकार का भेदभाव पूर्ण व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के हितग्रहियों को प्रारम्भिक तीन महीने के लिये तथा उसके बाद विशेषज्ञों द्वारा सिफारिश किये जाने पर किसी भी अवधि के लिये मधुमेह निरोधी औषधियों की सप्लाई केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा की जाती है। प्रारम्भिक 3 महीनों के पश्चात् ये औषधियां तभी दी जाती हैं यदि मधुमेह रोग पर नियंत्रण न हो सकने के कारण अन्य तकलीफ बढ़ जाने की सम्भावना हो तो विशेषज्ञ द्वारा सलाह दिये जाने पर ये औषधियाँ दी जाती हैं।

जहां तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत न आने वाले अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनके मामलों में मधुमेह रोग का पता चलने पर तीन महीने तक प्रारम्भिक अवस्था में माना जाता है और मधुमेह का पता चलने की तिथि से प्रथम तीन महीनों में उपचार सम्बन्धी खर्च की प्रतिपूर्ति के दावे केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के अधीन स्वीकार कर लिये जाते हैं। प्रारम्भिक अवस्था से आगे रोग के होने पर उपचार सम्बन्धी अतिरिक्त प्रतिपूर्ति करने अथवा न करने एवं प्रतिपूर्ति की राशि के विषय में निर्णय के लिये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को भेजे जाते हैं।

सफदरजंग अस्पताल के मधुमेह क्लिनिक में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से लाभ न पाने वाले रोगियों को मधुमेह निरोधी औषधियां मुफ्त दी जाती हैं यदि रोगी की आय 250/– रुपये प्रति मास से कम हो। इसके अतिरिक्त, सफदरजंग अस्पताल, विलिंगडन अस्पताल तथा अन्य सामान्य अस्पतालों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के हितग्राहियो अथवा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत लाभ न पाने वाले रोगियों को कोई भी मधुमेह निरोधी औषधियां नहीं दी जाती है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

***325. श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी की अनधिकृत कालोनियों को स्वीकृति देने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कालोनियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) : सरकार ने 204 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का पहले ही निर्णय कर लिया है। इनमें से, 162 को अब तक नियमित किया जा चुका है और 36 कालोनियों के बारे में कोई नियमितीकरण प्लान तैयार नहीं किए जाने हैं क्योंकि वे नान-कन्फर्मिंग क्षेत्रों में हैं अथवा उन क्षेत्रों में हैं जहाँ कोई संरचनाएं नहीं है। शेष कालोनियों को नियमित करने की कार्यवाई दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। इन कालोनियों के नामों का एक विवरण सभा पटल पर रखा हैं।

विवरण

उन अनधिकृत कालोनियों के नाम जिनका नियमितीकरण विचाराधीन है।

1. पटपड़ गंज रोड पर शास्त्री नगर,

2. अनारकली साउथ खुरेजी खास ।।

3. चन्दू पार्क खुरेजी खास ।।

4. न्यू गोविन्दपुरा खुरेजी खास ।।

5. अमृत नगर कालोनी, कोटला मुबारिक पुर,

6. वजीर नगर कालोनी कोटला मुबारिक पुर,

Requirement of Tractors and Spare Parts.

*327. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the requirement of tractors at present as also their estimated requirement during the next three years in the country ; and

(b) the action taken so far and proposed to be taken to meet this requirement and the demand for spare parts ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The total demand of tractors as on 1-6-1971 was assessed at 1,14,905 nos. The assessment of the demand of tractors based on a detailed and scientific market survey during the current Plan period and Fifth Plan period has been entrusted to the National Council of Applied Economic Research. In view of this, the demand of tractors during the next five years would be known only after the report is received from the Council.

(b) It has been decided to import 20,000 tractors, Besides, import of tractors as gift from Indian relations living abroad is also allowed with a view to easing the supply position. Ministry of Industrial Development are taking steps to step up and increase indigenous production of tractors.

Import of spare parts to the extent of 10%—15% is also allowed for new tractors. Import of spare parts for old models is also allowed liberally to the various State Agro-Industries Corporations etc.

दिल्ली परिवहन निगम की सेवा में सुधार करने के लिए धन की व्यवस्था

* 328. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की सेवा में सुधार करने के लिए अतिरिक्त धन का नियतन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : दिल्ली परिवहन उपक्रम । दिल्ली परिवहन निगम को 1971-72 के दौरान 350 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत किये गये । इसमें से 197 लाख रुपये की राशि 294 बस चैंसिस के विक्रेताओं को 145 लाख रुपए भुगतान के लिए और 52 लाख रुपये वाडी निर्माताओं को भुगतान के लिए पूंजीगत व्यय था । शेष 153 लाख रुपये भारतीय तेल निगम और फालतू पूर्जों के विक्रेताओं, मोटर गाड़ी बीमा की और बाकी देयताओं को पूरा करने और रोकड़ कमी को पूरा करने के लिए अर्थोपाय प्रयोजन के लिये थे ।

सफाई कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों की काम की और रहने की दशा

* 331. **श्री सी० चिट्टिबाबू** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सफाई कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के काम की ओर रहने की दशा में सुधार करने की योजना की धनराशि का वितरण राज्य-वार क्या है; और

(ख) इस योजना के लिए आवंटित धनराशि केवल इस योजना पर ही खर्च की जाये, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) राज्य का नाम	चतुर्थ योजना का बटवांरा (रुपये लाखों में)
आंध्र प्रदेश	20.00
असम	30.00
बिहार	20.00
गुजरात	7.00
हरियाणा	6.00
हिमाचल प्रदेश	8.00
जम्मू तथा काश्मीर	7.00
केरल	16.00
मध्य प्रदेश	20.00
महाराष्ट्र	35.00
मैसूर	4.00
उड़ीसा	6.00
पंजाब	7.00
राजस्थान	13.00
तामिलनाडु	47.00
उत्तर प्रदेश	20.00
पश्चिम बंगाल	22.00
मणिपुर	2.50
त्रिपुरा	1.50
संघ राज्य क्षेत्र	
दिल्ली	6.00
गोआ, दमन और दीव	1.00
पांडिचेरी	1.00
	300.00

(ख) निधियां राज्य महालेखाकार द्वारा दी जाती है जो राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का लेखापरीक्षा भी करता है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त तथा पिछड़े वर्ग कल्याण के क्षेत्रीय निदेशकों के संगठन यह देखभाल करते हैं कि केन्द्रीय सरकार

द्वारा विशेष योजना के लिए प्रदान की गई निधियों को उस कार्य के लिये प्रयोग में लाया गया है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने की भी आवश्यकता होती है।

क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजनाओं के मल्यांकन हेतु बैंकों का मार्ग निर्देशक सिद्धान्त

* 332. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी परियोजना के प्रत्येक मामले को मूल्यांकन करने हेतु सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों को सहायता देने के लिये कृषि वित्त निगम में मार्ग निर्देशक सिद्धांत बनाये है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बाते क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : कृषि वित्त निगम वाणिज्यिक बैंकों को कृषि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में सहायता करता है। इसकी ओर से सहकारी बैंकों को सहायता नहीं दी जाती। कृषि वित्त निगम ने परियोजनायें और योजनायें तैयार करने के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धांत बनाए हैं जिनका कृषि वित्त निगम/वाणिज्यक बैंक अपने मूल्यांकन के लिए भी प्रयोग कर सकते है।

(ख) परियोजनायें और योजनायें तैयार करने के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य बातें कृषि वित्त निगम द्वारा प्रकाशित समूल्य प्रकाशन में दी गई हैं।

केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों की डिग्री पूर्व परीक्षा

* 333. **श्री झारखंडे राय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों की डिग्री-पूर्व परीक्षा को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने के लिये पुरानी इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष नहीं माना जाता है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केरल की सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

Design of Safdarjang Bridge, New Delhi

*335. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether according to a senior architect of his Ministry the present design of the Safdarjang Bridge is totally defective ; and

(b) if so, the objections raised by him and the reaction of Government thereto ?

The Minister of works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) No, Sir.

(c) The Chief Architect of the Central Public Works Department has sent certain comments on the model of the proposed over-bridge near Safdarjang Airport. These concern the architectural design of the over-bridge. This matter is, at present, under consideration.

विभिन्न क्षेत्रों (जोनों) में वनस्पति के मूल्यों में भिन्नता

* 239. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में वनस्पति के मूल्य पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के मूल्यों से भिन्न है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है कि विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य एक समान हो ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे वनस्पति तेलों के मूल्यों में घट-बढ होने के कारण वनस्पति के मूल्य प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होते हैं ।

(ग) : प्रत्येक क्षेत्र में वनस्पति के मूल्य अन्य बातों के साथ साथ उस क्षेत्र में कच्चे तेल के मूल्यों के संदर्भ में निर्धारित किये जाते हैं और इसलिये सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों के मूल्य कच्चे तेल के मूल्यों में अन्तर-क्षेत्रीय समानता को दर्शाते हैं । तथापि, विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति के मूल्यों में अन्तर को उचित सीमा तक काम करने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं ।

महाराष्ट्र और बिहार में कृषि विकास के लिए विश्व बैंक सहायता

2265. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने महाराष्ट्र और बिहार में कृषि विकास योजना के लिए 340 लाख डालर की सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है तथा इसका राज्यवार अलग अलग ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोनों राज्यों के अलग-अलग अनुमानतः कितने किसानों तथा अन्य व्यक्तियों को लाभ होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) जी हाँ । हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने महाराष्ट्र तथा बिहार में कृषि विकास योजनाओं के लिये सहायता के रूप में 440 लाख डालर दिये हैं ।

(ख) महाराष्ट्र के लिए यह सहायता 300 लाख डालर है, जो मुख्यतः लघु सिंचाई के संसाधनों में विकास तथा भूमि विकास के लिये है । बिहार के सम्बन्ध में यह सहायता 140 लाख डालर है, जो सारे राज्य में 50 नियंत्रित कृषि मंडियों के विकास के लिए होगी ।

(ग) इन दो परियोजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले कृषकों की संख्या के संबंध में इस समय जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

बिहार के आदिवासियों में पाई जाने वाली बीमारियों का सर्वेक्षण

2266. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के छोटा नागपुर तथा देश के विभिन्न भागों के आदिवासियों में पाई जाने वालीं विशिष्ट बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन और सर्वेक्षण कराया है ? और

(ख) यदि हां, तों उसका क्या निष्कर्ष निकला तथा ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : किये गये सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप उड़ीसा तथा तमिल नाडु राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में "या" रोग की व्यापकता का पता लगा है। इन राज्य सरकारों द्वारा एक "यौज' उन्मूलन कार्यक्रम" पहले से ही क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार से असम, त्रिपुरा और मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों में गलगण्ड, रोहे तथा कुष्ठ के मामलों का पता चला है, जहां पर इन बीमारियों के नियंत्रण के लिये समुचित उपाय कर दिये गये है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार शेष राज्य सरकारों ने, जिसमें बिहार और संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित है, अपने-अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस प्रकार का कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण नहीं किया है।

विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर बिहार से चिकित्सा सेवा के अधिकारी

2267. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से 1971 तक बिहार राज्य के विदेशों में परिवार नियोजन, स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रतिनियुक्ति मांग पर भेजे गये चिकित्सा सेवा के अधिकारियों के नाम क्या है ;

(ख) उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उन अधिकारियों के नाम तथा योग्यताएं क्या है जिन्होंने इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन-पत्र भेजें ; और

(ग) उनके चयन के बारे में क्या कसौटी अपनाई गई और बिहार सरकार तथा भारत सरकार ने उनके प्रशिक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

गन्ना उत्पादकों को ठीक समय पर उनकी देय राशि देना

2268. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था। जिसमें गन्ना उत्पादकों को 14 दिन के अन्दर उनकी देय राशि देने के लिए कहा गया है, को कठोरता से लागू किया जाये और बकाया राशि में वृद्धि न होने दी जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपरोक्त कानूनी व्यवस्था का कठोरता से पालन किया है और वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने या तो केन्द्रीय सरकार के परामर्श पर ध्यान नहीं दिया है अथवा उनको लागू करने में अपनी कठिनाइयां बताई हैं ? और

(ग) यदि हाँ, तो उन्होंने क्या कठिनाइयां बताई हैं और दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) : राज्य-सरकारों को समय समय पर यह परामर्श दिया गया है कि वे कारखानों द्वारा गन्ने के बकायों का शीघ्र अति शीघ्र भुगतान करवाने की व्यवस्था करें और गन्ने के मूल्य का तुरन्त भुगतान करवाने के उद्देश्य से चूक कर्ता कारखानों के विरुद्ध उन पर मुकदमा चलाने सहित कड़ी कार्यवाही करें। जिन राज्यों के कानून में गन्ने के मूल्य के बकायों को भूराजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, उनको परामर्श दिया गया है कि वे ऐसी व्यवस्था करने की दिशा में विचार करें।

(ख) और (ग) : 6 राज्यों अर्थात, उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा के कानूनों में गन्ने के मूल्य के बकायों को भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने की व्यवस्था है। अन्य चीनी उत्पादक राज्य अर्थात्, मैसूर, तमिल नाडु, महाराष्ट्र और पांडिचेरी जहां गन्ने के मूल्य के बकायों की समस्या है भी अपने कानूनों में ऐसी ही व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है।

1970-71 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 48 चूककर्त्ता चीनी कारखानों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये थे, 19 कारखानों के बारे में रिसीवर नियुक्त किए थे, 6 मिलों को नीलाम किया था, लेकिन न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही को रोक दिया गया था, एक चीनी मिल मालिक को राजस्व की कैद में रखा गया था और 13 मिलों से 1971-72 सीजन के लिए अपरिवर्तनीय साख-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। बिहार सरकार ने चूककर्त्ता मिलों के विरुद्ध आपराधिक तथा सर्टिफिकेट कार्यवाही शुरू की थी। पंजाब, हरियाणा तथा उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में बकायों का भुगतान इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि किसान भुगतान लेने ही नहीं आये थे। गुजरात और केरल ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में ऐसी कोई समस्या नहीं है।

गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे मैडिकल कालेजों में शिक्षा का स्तर

2269. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे मैडिकल कालेजों में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है ;

(ख) यदि हां, तो उनके स्तर में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या प्रति व्यक्ति शुल्क के आधार पर चलाए जा रहे सभी गैर-सरकारी मैडिकल कालेजों को अधिकार में लिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक चिकित्सा कालेज की स्थापना करना तथा उसका रख-रखाव एक ऐसा काम है जिसमें बहुत अधिक खर्चा निहित है। ऐसे गैर-सरकारी मैडिकल कालेजों में जहां पर्याप्त धन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं

होती है और जहां प्रति व्यक्ति शुल्क अधिक कालेज शुल्क आदि उपायों को अपनाया जाता है, वहां शिक्षा स्तर पर प्रभाव पड़ना निश्चित हैं।

(ख) चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाये रखने की जिम्मेदारी सांविधिक रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद की है तथा यह परिषद इन संस्थानों में शिक्षा स्तर पर कड़ी निगरानी रख रही है। इस परिषद के निरीक्षक समय समय पर निरीक्षण करते हैं तथा पाये गये दोषों तथा कमियों को दूर करने के उद्देश्य से वे इनको प्रबन्धकों के ध्यान में लाते हैं।

(ग) प्रतिव्यक्ति शुल्क आदि पर निर्भर गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों को अपने अधिकार में लेने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सा शिक्षा समिति की सिफारिश पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया है। इस काम के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। धन की कमी को देखते हुए गैर-सरकारी कालेजों को अपने अधिकार में लेने के प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है। तथापि राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रति व्यक्ति शुल्क को वसूल करने के आधार पर किसी भी नये गैर-सरकारी मैडिकल कालेज को खोले जाने के बारे में हतोत्साहित करें।

अखिल भारतीय परिवार नियोजन विरोधी संघर्ष समिति का गठन

2270. **श्री शशि भूषण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय परिवार नियोजन विरोधी संघर्ष समिति नामक एक संस्था के गठन के बारे में जानकारी है जिसे पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद प्राप्त है ;

(ख) क्या नवगठित संस्था ने भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में सवाल उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। सरकार को अखिल भारतीय परिवार नियोजन विरोधी आन्दोलन समिति के अन्तरिम प्रधान, श्री सुधीर लक्ष्मन हेन्द्रे के उस परिपत्र की प्रतियां प्राप्त हुई हैं जिसमें उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपयोगिता और कार्यक्रम को चलाने के तरीके के बारे मे संशय प्रकट किया है। उन्होंने इसके साथ एक छपा हुआ परचा भी भेजा है, जिसमें पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य ने एक बयान में अन्य बातों के साथ-साथ उपर्युक्त संगठन की स्थापना और श्री हेन्द्रे की अन्तरिम प्रधान के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है।

(ग) सरकार ने इस समिति द्वारा कही गई बातों की ध्यानपूर्वक जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस कार्यक्रम के लक्ष्यों उद्देश्यों तथा कार्यक्रम के संचालन को ठीक तौर से न समझ पाने के कारण ये आपत्तियां की गई हैं। श्री हेन्द्रे को उत्तर भेज दिया गया है।

विभिन्न विभागो/मंत्रालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य की शर्तें

2271. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या कृषि मन्त्री विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों में कार्य करने वाले कर्मचारियो के कार्य के घंटों के बारे में 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 647 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों के कार्य के घण्टे क्या हैं जहां दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन के लिये दुग्ध केन्द्र हैं ;

(ख) क्या इन मंत्रालयों के कार्य के घण्टों की तुलना में दुग्ध केन्द्रों के कार्य के घण्टे लगभग 45 मिनट अधिक हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली दुग्ध योजना के उन कर्मचारियो को जिन्हें अनुसचिवीय कर्मचारी माना जाता है, केन्द्र सरकार के मन्त्रालयों के इसी श्रेणी के कर्मचारियों को निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्य करने के लिये प्राप्य समयोपरि भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में, जहां दिल्ली दुग्ध योजना के पूर्ण दिन के लिये मिल्क स्टाल स्थित हैं, 2 अप्रैल, 1972 तक उनके कार्य करने का समय 7½ घंटे और 3अप्रैल, 1972 से 7 घण्टे कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार ड्यूटी के सामान्य घण्टों के अलावा, एक घण्टे तक जो अतिरिक्त समय ड्यूटी की जाती है, उसके लिये कोई अतिरिक्त समय भत्ता नहीं दिया जाता है। मंत्रालयों और कार्यालयों में 3-4-72 से कार्य करने के घण्टों में कमी किये जाने के फलस्वरूप, दिल्ली दुग्ध योजना के पूर्ण दिन मिल्क स्टालों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के कार्य करने के घण्टों में 11-4-72 से–10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.30 बजे अपराह्न तथा बीच में 12.50 बजे अपराह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक लंच ब्रेक सहित संशोधन किया जा रहा है।

केरल में विदेशी सहयोग से मत्स्य पालन कालेज की स्थापना

2272. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक मत्स्य पालन कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और वह कहाँ स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) क्या उसकी स्थापना के बारे में कोई देश सहयोग देने के लिये सहमत हो गया है और यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) केरल में मत्स्य पालन महाविद्यालय स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नही है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

मिल्क फार मिलियन योजना का मूल्यांकन

2273. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहायता प्राप्त मिल्क फार मिलियन कार्यक्रम की प्रगति के

मूल्यांकन के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो उनके मुख्य निष्कर्ष क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से प्रारम्भ की गई दुग्ध वितरण तथा डेरी विकास (आपरेशन फ्लड) परियोजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में खाद्य और कृषि संगठन/विश्व खाद्य कार्यक्रम का एक मूल्यांकन सम्बन्धी मिशन आजकल (27 मार्च से 14 अप्रैल 1972 तक) भारत में है। यह मिशन परियोजना के प्रथम चरण (प्रथम 18 माह) में किये गये कार्य के मूल्यांकन के साथ साथ द्वितीय चरण (36 माह के अन्त तक) तथा तृतीय चरण (अन्तिम 24 माह) की योजनाओं का मूल्यांकन भी करेगा।

(ख) मिशन के निष्कर्ष उनकी टीम द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त ही ज्ञात होंगे।

होवर क्राफ्ट नौका सेवा आरम्भ करने के लिए बम्बई स्थित नौवहन कम्पनी से प्रस्ताव

2274. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में देश के अन्दर के नदी मार्गों पर होवरक्राफ नौका सेवा आरम्भ करने के लिए बम्बई स्थित नौवहन कम्पनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) : बम्बई स्थित एक फर्म ने भारत सरकार से भारतीय नदी मार्गों पर होवर क्राफ्ट के परिचालन की शक्यता की जांच के लिए एक ब्रिटिश दल को भारत आने की अनुमति मांगी थी। राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तर्देशीय जलमार्गों के कुछ भागों के सर्वेक्षण के लिए एक प्रस्ताव इस शर्त पर मान लिया गया है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई खर्च वहन नहीं करेगी। सर्वेक्षण के परिणाम मालूम होने पर होवर क्राफट फिरी सेवाएं शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

आन्ध्र प्रदेश की तम्बाकू की फसल

2275. **श्री शशि भूषण :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में कुल कितनी मात्रा में तम्बाकू का उत्पादन हुआ और उक्त अवधि में इंडियन लीफ टोबेको डिवलेपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तम्बाकू की खरीद की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : आन्ध्र प्रदेश में 1968-69 और 1970-71 के दौरान उगाये गये कुल तम्बाकू की मात्रा निम्नलिखित है। 1971-72 के लिए अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष	उत्पादन
	(000 मीटरी टनों में)
1968-69 *	182.2
1969-70 *	124.5
1970-71 **	129.2

* अंशिक संशोधित

** अन्तिम अनुमान

सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय लीफ तम्बाकू विकास को० लिमिटेड द्वारा 1969 से 1971 के दौरान वार्षिक खरीदे निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

वर्ष	मात्रा
	(लाख कि० ग्रा०)
1969	610
1970	490
1971	620

अहमदाबाद में वैज्ञानिकों की त्रिदिवसीय गोष्ठी

2276. **श्री प्रसन्न भाई मेंहता**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में हाल में वैज्ञानिकों की त्रिदिवसीय गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा क्या निर्णय लिए गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नरूल हसन) : **(क) और (ख)** : अहमदाबाद की वातावरण सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याओं पर एल० डी० इन्जीनियरी कालेज, अहमदाबाद में 11-12 मार्च, 1972 को एक सेमिनार आयोजित किया गया था। इस सैमिनार में जल-पूर्ति, जल प्रदूषण, ठोस कूड़ाकरकट के निपटारे तथा वायु प्रदूषण की समस्याओ पर चर्चा की गयी थीं। सैमिनार के प्रमुख निष्कर्ष ये थे : शहर के द्रुत विकास के कारण शहरी प्राधिकारियों द्वारा जल सप्लाई की वृद्धि को मनुष्यों और मवेसियों पर घटिया दर्जे के पानी के कुप्रभाव के अध्ययन दूषित मलजल को इकट्ठा करने, उसकी अभिक्रिया और निपटान की व्यवस्था की ध्यानपूर्वक आयोजना तैयार करने और औद्योगिक अवशेष जल को बहाने इत्यादि की समस्याओं को सर्वोच्च अग्रता दी जानी चाहिये। सैमिनार ने यह भी सिफारिश की कि शहर में साबरमति नदि में जल को अवरुद्ध करने की किसी भी योजना की पूरी छानबीन होनी चाहिए और राज्य के नदी मार्गों और जल-साधनों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वायु प्रदुषण की सीमा को निर्धारित करने के लिए शहर में कई स्थानों पर वायु-मानीटरिंग कार्यक्रमों को हाथ में लिया जानां चाहिए, और उद्योगों को स्थापित करते समय वायु-प्रदूषण के प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

पटना मैडिकल कालेज के स्नातक

2277. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश मैडिकल कौंसिल ने पटना मैडिकल कालेज के स्नातकों का ब्रिटेन में अपना व्यवसाय करने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार का विचार भारत में मेडिकल कालेजों के स्तर में सुधार करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) देश में चिकित्सा शिक्षा के यथेष्ट मानक बनाए रखने के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् जिम्मेदार है जो कि एक साविधिक निकाय है। इस प्रयोजन के लिए परिषद चिकित्सा कालेजों का नियमित रूप से निर्धारित समय पर निरीक्षण करती है और उनके दोषों तथा कमियों को आवश्यक सुधार के लिए सम्बन्धित संस्था तथा विश्वविद्यालय के ध्यान में लाती है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में किसी चिकित्सा अर्हता की मान्यता वापिस लेने का प्रावधान भी है यदि उसका स्तर अपर्याप्त पाया जाये।

धर्म परिवर्तन करने वाले हरिजनों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सुविधाएं

2278. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि हरिजन और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को उपलब्ध सुविधाएं उन हरिजनों और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नहीं दी जानी चाहिए जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) कुछ संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है कि ईसाई धर्म को मानने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं; वे उन्हें नहीं दी जानी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के लिए विधेयक को पेश करते समय सरकार की प्रतिक्रिया बताई जायगी।

Use of ans Raj College Building at Delhi by Rashtriya Swayamsevak Sangh

2279. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Delhi University has not been able to prevent the building and campus of Hans Raj College from being used by Rashtriya Swayamsevak Sangh ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government will advise the University to take action without delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) : According to the information furnished by the University of Delhi, the building and campus of Hans Raj College are not now being used by Rashtriya Swayamsevak Sangh.

(c) Does not arise.

Use of Delhi University Students Union Building by Rashtriya Swayamsevak Sangh

2280. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Rashtriya Swayamsevak Sangh has been using the building of the Delhi University Students' Union for the last few months;

(b) if so, whether the University authorities are aware of it; and

(c) if so, the reasons for not taking any action by the University authorities?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) : Some students have written to the Vice-Chancellor, Delhi University complaining, **inter-alia**, about the use of the building of the Delhi University Students' Union for the Rashtriya Swayamsevak Sangh activities.

(c) The Vice-Chancellor has appointed a Committee to look into these charges, The report of the Committee is awaited.

ट्रैक्टरों के आयात में हानि

2281. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 मार्च, 1972 के "फाइनेंशियल ऐक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार ट्रैक्टरों का आयात करने में देश को विदेशी मुद्रा के रूप में, लगभग 120 लाख रुपये की हानि होने की संभावना है ;

(ख) क्या इस हानि का कारण यह है कि पंजाब और गुजरात कृषि उद्योग निगम कुछ किस्म के ट्रैक्टरों के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा तय किये गये मूल्यों से अधिक मूल्य देने पर सहमत हो गये थे ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच करवाई है कि ये निगम राज्य व्यापार निगम द्वारा तय किये गये मूल्यों से अधिक मूल्य देने पर कैसे सहमत हुए और राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात न करवाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त पंजाब कृषि ऋण परियोजना के लिए अभी तक किसी ट्रैक्टर के लिए आदेश नहीं दिया गया है। गुजरात ऋण परियोजना के विषय में, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है, करार में की गई 2200 ट्रैक्टरों की व्यवस्था में से जुलाई, 1971 में 800 ट्रैक्टरों के लिए आदेश दिए गए थे। इन ट्रैक्टरों की अधिप्राप्ति की व्यवस्था विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार की गई थी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में निर्मित किए जा रहे ट्रैक्टरों या जिनका निर्माण करने का प्रस्ताव है, से घनिष्ट सम्बन्धित ट्रैक्टरों के मेक। माडलों के लिए पात्र सम्भरण कर्ताओं से भाव मंगवाने और अलग-अलग कृषकों में इन मेकों। माडलों के मूल्यों का प्रचार करने की व्यवस्था की गई है जिससे कि वे राज्य और विकास बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं से ट्रैक्टर खरीदने के लिए अपनी राय बना सकें।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

वर्ष 1971-72 में तम्बाकू के पत्ते की खरीद

2282. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में कितनी मात्रा में तम्बाकू के पत्ते की खरीद की गई यह खरीद किस प्रकार की गई तथा इसके लिये किस्मवार कितना मूल्य दिया गया ;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्पादकों के पास बची तम्बाकू की बाकी फसल को खरीदने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका मूल्य और खरीदने का तरीका क्या होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य आन्ध्र प्रदेश में फ्लू-क्योरड वर्जीनियां तम्बाकू की खरीद के बारे में जानकारी चाहते है।

इस वर्ष मार्च के मध्य तक, प्रमुख तम्बाकू कम्पनियों द्वारा फ्लू-क्योरड वर्जीनियां (1971-72 की फसल) की 500 लाख किलोग्राम मात्रा क्रय की गई थी।

इस क्रय का ग्रेड-वार ब्यौरा उपलब्ध नही है।

तम्बाकू कंम्पनियां वर्धन क्षेत्रों के मुख्य केन्द्रों पर "क्रय प्लेट फार्मों" की सचाल व्यवस्था करतीं है। उत्पादक कच्चा ग्रेड तम्बाकू को इन "क्रय प्लेटफार्मों" पर लाते हैं, जहाँ खरीदार या उनके एजेंट माल की जाँच करते हैं और वे उत्पाद की श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने के पश्चात् विभिन्न किस्मों की तम्बाकू की कीमत निर्धारित कर देते हैं।

चालू वर्ष के दौरान फ्लू-क्योरड वर्जीनियां के विभिन्न ग्रेडों के लिये जो कीमत अदा की गई वह अनुबन्ध—में दी हुई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1690/72**]

(ख) राज्य व्यापार निगम को मण्डी में प्रवेश करने और उत्पादकों से तम्बाकू खरीदने के निर्देश दे दिये गये हैं। निगम ने आन्ध्र प्रदेश में खरीदने का कार्य आरम्भ कर दिया है और उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार उसने 3.52 करोड़ रुपये की कीमत का लगभग 92.5 लाख किलोग्राम तम्बाकू खरीदा है।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने खरीदारी के लिये जो कीमतें अदा की है, वह निम्न प्रकार है :—

	मूल्य प्रति क्विन्टल
कच्चा ग्रेड 1 V	450–500 रुपये
कच्चा ग्रेड 2 V	300–450 रुपये

निगम उत्पादकों से तम्बाकू की खरीदारी, अपने एजेंटों (जोकि तम्बाकू उत्पादक और/या प्राधिकृत पैकर है) के माध्यम से तथा साथ ही साथ आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कर रहा है।

तम्बाकू विकास परिषद

2283. **श्री सतपाल कपूर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तम्बाकू की फसल के विकास में तम्बाकू विकास परिषद् का क्या योगदान है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): भारतीय तम्बाकू विकास परिषद एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई है, जिसमें उत्पादक, व्यापार तथा उद्योग आदि जैसे तम्बाकू के विकास से सम्बन्धित पदों के प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारो के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। यह परिषद केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र में तम्बाकू विकास कार्यक्रमों पर विचार करती है तथा अनुसंधान सम्बन्धी उपलब्धियों, तम्बाकू विकास योजनाओं की प्रगति तथा मूल्य नीति सहित विपणन तथा व्यापार से सम्बन्धित समस्याओ का पुनरीक्षण करती है और तम्बाकू के सब पहलुओं पर विकास को बढ़ाने के लिये उपायो की सिफारिश करती है।

नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल के कमरों में लूट–खसोट

2284. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल के कमरों में 8 मार्च, 1972 को की गई लूट–खसोट के बारे में कोई जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) और (ख) : यह मामला मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया गया है तथा उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

आर० के० पुरम में श्मशान भूमि की व्यवस्था

2285. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० के० पुरम, नई दिल्ली, राजधानी में सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी कालोनी हैं ;

(ख) क्या आर० के० पुरम, नई दिल्ली, में कोई श्मशान भूमि नहीं है जिससे वहां के निवासियों को बहुत असुविधा होती है क्योंकि उन्हें मृतकों को बहुत दूर ले जाना पड़ता है ; और

(ग) निवासियों की कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार का विचार आर० के० पुरम के निकट किसी स्थान पर श्मशान बनाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि आर० के० पुरम, नई दिल्ली में कोई श्मशान भूमि नही है तथापि निकटवर्ती क्षेत्रों में कुछ श्मशान भूमियाँ हैं जिनमें एक दाह घाट भी है ।

(ग) दिल्ली की वृहद् योजना में आर० के० पुरम के निकट बसन्त बिहार कालोनी के दक्षिण में श्मशान भूमि के लिए एक स्थान का सुझाव दिया गया है । इस स्थान का विकास दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है ।

Complaints Against Scooter and Taxi Drivers In Delhi.

2286. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether the campaign launched in Delhi by the Anticorruption Department against the defaulting scooter and taxi drivers has resulted improvement in their behaviour ;

(b) whether complaint is the only source to know the shortcomings of these persons or whether some other measure is also adopted by this Department therefor ;

(c) whether the operators of scooters, which do not have meters showing actual fare, even now charge arbitrarily ; and

(d) The number of scooters without meters showing actual fare and the number of those against whom action has been taken by the department ?

The Minister of Parliamentary affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No such campaign has been launched by the Anti-Corruption Department, Delhi.

(b) No. The enforcement staff of the Transport Department, Delhi, carries out periodical checking at important points to ensure that all the transport vehicles plying in the capital conform to the provisions of the Motor Vehicles Act and the rules made thereunder. Special drives and raids are also organised by the Delhi traffic Police. Any persons found infringing these provisions is prosecuted. During the period from 1.4.71 to 31.3.72, prosecutions were launched in 9057 cases for refusal to carry passengers, misbehaviour and overcharging by taxi and scooters operators.

(c) No. The three-wheeler scooter which have not yet been fitted with revised fare meters and are plying with the old meters are required to carry the conversion charts in the vehicles. On receipt of complaints from the public about overcharging by any scooter operator, prompt action is taken by the enforcement staff of the Directorate of Transport, Delhi, Delhi Traffic police too launch prosecution against the persons concerned.

(d) 7969 scooters do not have recalibrated meters. The controller of Weights and Measures, Delhi, has given time to owners of these vehicles upto the 31st July, 1972, to get the meters changed, as they cannot be recalibrated.

दिल्ली में स्त्रियों का अनैतिक व्यापार

2287. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली की होटलों, क्लबों और फैशनेबल बस्तियों में स्त्रियों के अनैतिक व्यापार में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में गत दो वर्षों में कितनी स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) दिल्ली में स्त्रियों में अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1970 तथा 1971 में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के अधीन 87 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया।

(ग) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक दमन अधिनियम दिल्ली में पहले से लागू है। छापे मारने के बुराई-विरोधी स्कवाड बनाये है। जिन स्थानों पर अनैतिक पण्य होता है, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिये मुखवर नियुक्त किये गये हैं तथा कुक्यात स्थानों पर विशेष निगरानी करने के लिये पुलिस अधिकारी तैनात किये गये हैं। स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन सम्बन्धी सलाहकार समिति की कभी-कभी बैठकें होती है और उनके द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

Control, Distribution and Price of Sugar

2288. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether partial control has been imposed on sugar in the country,

(b) Whether after this partial control was imposed prices of sugar have considerably gone up,

(c) The monthly quota of sugar (for distribution under partial control) allotted to various states by Government; and

(d) The criterian for proportionate distribution of sugar in rural and urban areas ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) There is no statutory control on price or distribution of sugar. However, the sugar industry, both in the joint-stock and co-operative sectors, has agreed on an informal basis to make available 60 percent of the sugar released every month at a fixed price to meet emergent requirements and for distribution to domestic consumers through fair price shops. They have also agreed to earmark 3·5 percent of the monthly releases at the same price for export of sugar. The balance 36.5 percent of the released quota is for sale by the sugar factories in the open market.

(b) Fair price distribution scheme on voluntary basis came into force from the 1st of January, 1972 price of sugar distributed under this scheme has not gone up thereafter. However, the price of sugar in the open market has gone up, mainly because of speculation about (i) substantial increase followed by the actual increase in tariff value from Rs. 150/—to Rs- 165/—per quintal from the 1st February, and from Rs- 165/—to Rs. 190/— per quintal from the 1st of March, 1972, and (ii) increase in the rate of excise duty on sugar in the recent budget for 1972—73.

(c) A statement showing the State-wise allocations of fair price sugar for the month of April is attached. **[Plcaed in the Library See No L. T—1691/72]**

(d) The distribution of fair price sugar within a state is arranged by the State Government concerned, after taking into account the local conditions nd circumstances, but they have been advised to ensure that the scale of distribution nowhere exceeded 1 kilogram per head per month or be less than 1 kilogram per family per month.

Expenditure on Illumination of Offices of the Central Government Buildings During Republic day Celebrations

2289. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to State the expenditure incurred on illumination of various offices of the Central Government on the occasion of the Republic day cele-brations in 1972 ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) Rs. 1.32 lakhs.

विकलांग जवानों तथा जवानों की विधवाओं को रोजगार

2290. **श्री अर्जुन सेठी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल के युद्ध के कारण विकलांग हुए जवानों और जवानों की विधवाओं को रोजगार देने के लिये बड़े पैमाने पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने क्या अवसर उत्पन्न किये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वयस्क स्त्रियों के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों तथा सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम की वर्तमान योजनाओं की सुविधाएं 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयों में मारे गये और विकलांग हुए जवानों की विधवाओं और परिवारों को भी प्रदान कर दी हैं। शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने वालों को मूल साधारण शिक्षा दी जाती है। उन्हें रोजगार और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए तैयार किया जाता है तथा सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत काम और वेतन के लिए अवसर प्रदान किये जाते है।

सुपर बाजार, कनाट प्लेस में हुई धोखाधड़ी की जांच

2291 **श्री नवल किशोर शर्मा**

श्रीमती सावित्री श्याम

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार के साथ 16000 रुपये की धोखा-घड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं; और यदि हां, तो प्रति-वेदन के कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भॉवना है; और

(ग) देश में बढ़ रही इस प्रकार की धोखा-धड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार), नई दिल्ली के प्रबन्धकों ने इस मामले की जांच की है, लापरवाही के लिये जिम्मेदारी नियत की है और सम्बन्धित कर्मचारी को हानि की पूर्ति करने के लिये कहा है। सुपर बाजार ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस छानबीन कर रही है।

(ग) सुपर बाजार, दिल्ली की वर्तमान उधार-बिक्री पद्धति का विस्तृत रूप से पुनर्वि-लोकन किया गया है और सुपर बाजार के प्राधिकारियों ने तत्काल अपनाने के लिये एक संशो-धित कार्यविधि तैयार की है, ताकि इस प्रकार की घटनायें पुनः न हो पाए।

चालू रबी मौसम में अनाज की उपलब्धि और आवश्यकता

2212. **श्री पी० के० देव:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू रबी मौसम में देश में कुल कितना अनाज उपलब्ध होगा ; और

(ख) इसी अवधि में देश को कुल कितने अनाज की आवश्यकता होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चालू सीजन के दौरान सभी खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि खरीफ सीजन के गल्ले को खपत के प्रयोजन हेतु रबी सीजन में दिखाया जाता है। तथापि, 1970-71 में खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता 940 लाख मीटरी टन थी।

(ख) उसी अवधि के दौरान देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता का ठीक-ठीक अनुमान

लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह बात आय, मूल्यों का सापेक्ष स्तर, जनसंख्या में वृद्धि आदि जैसे कुछेक विभिन्न तत्वों पर निर्भर करेगी । तथापि, सरकारी वितरण प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए लगभग 80 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है ।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों की चिकित्सा सम्बन्धी बिलों का भुगतान

2293. **श्री जी० वाई कृष्णन् :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली प्रशासन में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक के प्रत्येक वर्ग को चिकित्सा बिलों के लिये कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) क्या सरकार का विचार चिकित्सा बिलों में बारे में राशि की कोई सीमा निर्धारित करने का है अथवा इनको केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय) : दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली प्रशासन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अधिकारियों तक केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944 तथा उसके अधीन जारी किए गये आदेशों के अन्तर्गत आते हैं । पूर्वोक्त नियमों के अनुसार, राजपत्रित अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के इलाज पर किये गये चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति राशि उनके द्वारा अपने वेतन बिलों के माध्यम से लेनी होती है और जो प्रतिपूर्ति राशि अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को देय होती है उसका भुगतान उनके स्थापना वेतन बिलों के माध्यम से उन्हें किया जाता है । वर्तमान नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या और उपचार के खर्च की राशि वेतन एव स्थापना वेतन बिलों में –भत्ता तथा पारिश्रमिक नामक उप-शीर्षक के नाम लिखी जाती है । इस उप-शीर्षक का नियंत्रण विभागाध्याक्षों । कार्यालय अध्यक्षों द्वारा किया जाता है । क्योंकि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि को अलग से नामांकित करने के लिये कोई भिन्न उपशीर्ष नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में केन्द्रीय राजस्व से इस प्रयोजन के लिये वहन किए जाने वाले खर्च की राशि की सही-सही जानकारी होना सम्भव नहीं है ।

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये कोई सीमा निर्धारित करने अथवा उनको केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है ।

Increase in the Production of Spurious Drugs

2294. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Plannig** be pleased to state :

(a) Whether the production of spurious drugs is increasing day-by-day; and

(b) If so, the scheme formulated by Government to check it and the results achieved ?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhay) : (a) No,

(b) Does not arise, It may be mentioned, however, that the import, tmanufacture distribution and sale of drugs and cosmetics is regulated uuder the drugs & cosmetics act 1940 and rules thereunder, The drugs standards control organszation of the central Govern-

ment and the drugs controllers of various states and union territories enforce the provisons of the act and the rules.

केन्द्रीय मंत्रियों के निवास स्थानों के नवीकरण पर किया गया व्यय

2295. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान केन्द्रीय मन्त्रियों के निवास स्थानों के नवीकरण, बगीचों के रख-रखाव और निवास स्थानों एवं कार्यालयों में नये फर्नीचर आदि पर कितना व्यय किया गया ; और

(ख) प्रत्येक मंत्री के लिये प्रत्येक मद पर क्या व्यय हुआ ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) . सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली की यमुनापार कालोनियों को वैध घोषित करना

2296. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में (यमुना-पार) कौन-कौन सी कालोनियों को नियमित घोषित कर दिया गया है;

(ख) उन कालोनियों के नाम क्या हैं जिन्हें नियमित किये जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) उन्हें कब तक नियमित घोषित कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1692/72]**

(ख) (i) न्यू गोविन्द पुरा ।

(ii) अनारकली साउथ ।

(iii) चन्दू पार्क ।

(iv) शास्त्री नगर ।

(ग) समय सीमा बताना सम्भव नहीं है । तथापि, यह मालूम हुआ है कि दिल्ली नगर निगम इन कालोनियों के नियमितीकरण के नक्शे अपनी स्थाई समिति के सम्मुख शीघ्र ही पेश करेगा ।

संसद् सदस्यों की सलाहकार समिति के कार्यकरण को प्रभावी बनाना

2297. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या संसदीय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सलाहकार समितियों को अधिक व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रस्ताव है ताकि संसद-सदस्यों का अधिक प्रभावी योगदान सुनिश्चित किया जा सके और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) विभिन्न सलाहकार समितियाँ पहले से ही व्यावहारिक ढंग में कार्य कर रही हैं। इन समितियों के सदस्यों से सामान्यत: चर्चा के लिए अपने सुझावों। मदों को भेजने का अनुरोध किया जाता है और टिप्पणियों के साथ एजेंडा तैयार कर उनमें परिचालित कर दिया जाता है। सलाहकार समिति की बैठक में सदस्यगण एजेंडा के मदों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और, यों, सदस्यों का प्रभावी योगदान सुनिश्चित हो जाता है। इन समितियों के कार्यकरण को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के अभिप्राय से चर्चा के संक्षिप्त विवरण प्राय: समिति के सदस्यों में परिचालित किये जाते हैं। इन समितियों का गठन और कार्यकरण सरकार और विपक्षी दलों के बीच आपसी रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इन सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1693/72]**

(ख) उपरलिखित (क) को देखते हुए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खाद्यान्नों को स्टोर करना

2298. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के समक्ष अन्न को स्टोर करने की समस्या है तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में केन्द्र से सहायता मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्त बातें क्या हैं तथा इस मामले में उनकी सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** . खाद्यान्नों विशेषकर गेहूँ का पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारी उत्पादन होने और साहाय्य मूल्य परिचालन में वृद्धि होने से और इसके फलस्वरूप भन्डारण स्थान की आवश्यकता में वृद्धि होने के कारण ये राज्य सरकारें और अन्य राज्य सरकारें भण्डारण की कठिनाई महसूस कर रही हैं और उन्होंने निधि सुलभ करने, इस्पात, टयूबलर ट्रसेस, जी० सी० आई० शीट, पोलीथीन कवर आदि जैसी बिल्डिंग सामग्री निर्मुक्त करने और इन राज्यों से अधिक मात्रा में खाद्यान्न भेजने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सहायता करने के लिए अनुरोध किया है। इस संबन्ध में भारत सरकार इन राज्य सरकारों की सभी सम्भव सहायता कर रही है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम और उपर्युक्त तीनों राज्य सरकारों की अधिप्राप्ति करने वाली एजेंसियां भी गोदाम बनाकर और अतिरिक्त गोदाम किराये पर लेकर तथा कवर एण्ड प्लिथ स्टोरेज की व्यवस्था कर अपने भण्डारण स्थान में तेजी से वृद्धि करने हेतु प्रत्येक प्रयास कर रही हैं।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्थापना

2299. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 17 मार्च, 1972 को नई दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में हुए एशियन साउथपैसी-फिक सेमिनार में किये गये प्रस्ताव के अनुसार सरकार ने

एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अधिक उर्वरकों की सप्लाई के लिए राज्यों की मांग

2300. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र से उन्हें अधिक उर्वरकों की सप्लाई किये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा राज्यों को अधिक उर्वरकों की सप्लाई किये जाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां । राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से उन्हें अधिक उर्वरकों की सप्लाई किए जाने की मांग की है ।

(ख) वस्तुतः सभी राज्यों ने केन्द्रीय उर्वरक पूल से यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सी. ए. एन. डी. ए. पी. तथा एन. पी. के. की सप्लाई में वृद्धि करने का अनुरोध किया । मुख्यतया दो कारणों से माँग में वृद्धि हुई :

(क) पूर्वानुमानित उत्पादन की अपेक्षा उर्वरकों का देशीय उत्पादन कम हुआ ।

(ख) अनुकूल मौसम की परिस्थितियों के कारण वर्ष 1971-72 में व्यापक रबी तथा रबी ग्रीष्म कार्यक्रमों की क्रियान्विति ।

भारत सरकार उर्वरकों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सभी सम्भव उपाय कर रही है । बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयातित उर्वरकों की मात्राओं को यथा सम्भव बढ़ाने और उपलब्ध करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । मौजूदा एककों का पूर्णतया उपयोग करके उर्वरकों के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं । वर्ष 1971-72 के प्रथम 10 महीनों के दौरान, पूर्ववर्ती वर्ष में की गई सप्लाई की अपेक्षा केन्द्रीय उर्वरक पूल से और देशीय उत्पादन से उर्वरकों की सप्लाई 76 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत अधिक थी ।

अधिक उपज देने वाले बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र

2301. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 से 1970–71 तक, राज्यवार तथा वर्षवार कितनी भूमि में अधिक उपज देने वाले बीजों की खेती हुई ।

(ख) वर्ष 1968–69 से 1970–71 तक राज्यवार तथा वर्षवार कृषि के अन्तर्गत कुल भूमि में से कितनी भूमि में अधिक उपज देने वाले बीजों की काश्त की गई ।

(ग) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1966–67, 1968–69 और 1970–71 में कितनी भूमि के

लिये सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध रही तथा वर्ष 1966–67, 1968–69 और 1970–71 में प्रत्येक राज्य में कृषि के अन्तर्गत कुल भूमि तथा सिंचाई सुविधा प्राप्त भूमि में अनुपात क्या है, और

(घ) वर्ष 1966–67, 1968–69 और 1970–71 में कितनी भूमि एक से अधिक बार दिखाई गई तथा वर्ष 1966–67, 1968–69 और 1970–71 में प्रत्येक राज्य में कृषि के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि के अनुपात में कितनी भूमि एक से अधिक बार दिखाई गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) तथा (ख) वर्ष 1968–69 तथा वर्ष 1969–70 के सम्बन्ध में जानकारी विवरण 1 में दी गई है। वर्ष 1970–71 के निवल फसल क्षेत्र के सम्बन्ध में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ) बोये गये निवल क्षेत्र तथा सिंचित क्षेत्र के आंकड़े भूमि उपयोग आंकड़ों के अंग के रूप में एकत्रित किये जाते हैं और कुछ समय उपरान्त उपलब्ध होते हैं उपलब्ध नवीनतम भूमि उपयोग के आंकड़े वर्ष 1969–70 के सम्बन्ध में हैं। वर्ष 1966–67 1968–69 तथा 1969–70 के सम्बन्ध में निवल सिंचित क्षेत्र, बोया गया निवल क्षेत्र तथा एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र संलग्न विवरण 2, 3 तथा 4 में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी–1694/72]

खाद्यान्नों का उत्पादन और उपलब्धता

2302, **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1970–71 और 1971–72 में चावल, गेहूँ, अन्य अन्न तथा दालों का कितना उत्पादन हुआ ?

(ख) प्रत्येक राज्य में 1968–69, 1969–70 और 1970–71 में चावल, गेहूँ, अन्य अन्न और दालों का कितना उत्पादन हुआ।

(ग) 1970 और 1972 में अन्न, दालों और कुल खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता क्या है, और

(घ) 1970–71 और 1971–72 में अन्न तथा कुल खाद्यान्नों की कितनी बचत अथवा कमी रही ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चावल, गेहूँ, अन्य अनाज और दालों के 1970–71 के अखिल भारतीय उत्पादन अनुमान, संलग्न विवरण (सं० 1) में दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–1695/72** वर्ष 1971–72 के लिये उत्पाद के अन्तिम अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति, जुलाई—अगस्त, 1972 तक उपलब्ध होंगे।

(ख) चावल, गेहूँ, अन्य अनाज और दालों के 1968–69, 1969–70 और 1970–71 के राज्यवार उत्पादन के अनुमान एक संलग्न विवरण (सं० 2) में दिये गये हैं। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी**—1695/72।

(ग) देश में वर्ष 1970 और 1971 में अनाजों, दालों और कुल खाद्यान्नों की प्रति

व्यक्ति दैनिक औसत उपलब्धता के अनुमान निम्नलिखित हैं :—

(ग्रामों में)

वर्ष	अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1970	403·5	51·9	455·4
1971	416·6	50·4	467·0

(अस्थायी)

प्रति व्यक्ति उपलब्धता के अनुमान उत्पादन, बीजों की आवश्यकता, दाना और छीजन निवल आयात, सरकारी भंडारों में तबदीलियां और आबादी का हिसाब लगाकर लगाये गये हैं।

(घ) अनाजों और कुल खाद्यान्नों में कमी या फालतूपन की मात्रा के आकार को बताना सम्भव नहीं है, परन्तु 1971 में देश में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, देश की भीतरी खपत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त थी। वर्ष 1971 के अन्त से खाद्यान्नों का रियायती शर्तों पर आयात समाप्त कर दिया गया है।

बड़े शहरों में निर्माण कार्य पर व्यय

2303. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969–70 से 1971–72 तक (1) कलकत्ता मैट्रोपोलिटन, प्लानिंग एरिया (2) ग्रेटर बम्बई (3) ग्रेटर दिल्ली और (4) मद्रास में प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्य पर उनके मंत्रालय द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बर्ष 1969–70 से 1971–72 के दौरान विचाराधीन शहरों में निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी—1696/72]**

साक्षरता

2304. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के कितने कितने जिलों में साक्षरता की प्रतिशतता (1) 15 प्रतिशत तथा (2) 20 प्रतिशत से कम है।

(ख) प्रत्येक राज्य में 1961 और 1971 में (1) नगरीय तथा (2) ग्रामीण क्षेत्रों में। (1) पुरुषों तथा (2) स्त्रियों में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है., और

(ग) केन्द्र सरकार ने 1969 से 1971 तक, वर्षवार, प्रौढ़ शिक्षा के सम्वर्धन के लिये प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि मंजूर तथा वितरित की तथा प्रत्येक राज्य ने 1969 से 1971 तक, वर्षवार, वास्तव कितनी धनराशि खर्च की।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क), से (ग) : विवरण संलग्न हैं। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1697/72]**

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को अग्रिम राशि का लौटाया जाना

2305. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली ने निम्न आय वर्ग के लोगों को 500 रुपये जमा करवा कर लाटरी के आधार पर मकान देने की एक योजना बनाई थी ।

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत पहले 500 रुपये जमा करवाने थे और जिन्हें यह राशि, अब तक वापिस नहीं मिली है और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी राशि ब्याज सहित लौटाने के लिये अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 1100 व्यक्तियों ने अभी तक रकम वापस नहीं ली है यद्यपि उनके लिए चैक तैयार करके रखे हैं ।

(ग) जमाकर्ताओं को जल्द चैक देने के लिये, जब कभी वे लेने आते हैं, पृथक कांउटर खोले गये हैं । धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है ।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा राजनीतिक इश्तिहार–पट लगाना

2306. **श्री बक्शी नायक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिनाँक 23 फरवरी, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में नई दिल्ली नगरपालिका के बारे में-दी स्टेबिलिटी राइम-शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) . प्रश्न में अंकित प्रेस रिपोर्ट में नई दिल्ली नगरपालिका के विरुद्ध एक आरोप लगाया गया है कि प्रधान मन्त्री की एक होडिंग का, जिसके कनाट प्लैस में लगाने की अनुमति नगरपालिका ने दी थी, राजनैतिक प्रयोजनों के हेतु दुरुपयोग किया गया है । नई दिल्ली नगरपालिका ने बतलाया है कि यह होडिंग दिसम्बर 1971 में देश पर पाकिस्तान के आक्रमण के दिनों के दौरान लगाया था जिसमें प्रधान मन्त्री की ओर से एक उपयुक्त संदेश दिया गया था । इस होडिंग को उसी स्थान पर लगा रहने दिया गया और संदेश समय समय पर बदले जाते हैं । उन संदेशों का सम्बन्ध राष्ट्रीय विषयों से है तथा इनका किसी राजनैतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं है । नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बतलाये गये तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए सरकार के विचार से इस मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

राष्ट्रीय बीज निगम का कार्य संचालन

2307. **श्री बक्शी नायक :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार का ध्यान राष्ट्रीय बीज निगम के कार्य में अदक्षता के बारे में 24 फरवरी, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?.

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार इस रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं है। राष्ट्रीय बीज निगम देश में आधुनिक बीज विकास के विषय में बहुमूल्य योगदान दे रहा है।

Draft Bill on Land Reforms Circulated to States

2308. Dr. Laxminarain Pandey :

Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether any draft bill on land reforms have been circulated by the central Government to the states; and

(b) If so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb p. Shinde) : (a) No, sir.

(b) Does not arise.

Eradication of Malaria

2309. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) The names of the states where malaria has not been eradicated completely;

(b) Whether Government of Madhya Pradesh had declared their state as Malaria-free state under the national anti-malaria programme; and

(c) If so, the amount allocated by the central Government to Madhya Pradesh under the said programme during the last three years ?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhya) : (a) Except in the state of Kerala and Union Territories of chandigarh, Delhi, and Goa, which have entirely entered into Maiatenance phase, the Malaria Eradication programme is still continuing in all other states and Union territories.

(b) No,

(c) The following assistance has been given to the Government of Madhya Pradesh for National Malaria Eradication programme during the last three years:—

(Rs. in lakhs)

Years	Operational Subsidy	Material and Equipment	Total
1969-70	229·13*	57·30	286·43

* Provisionally released. This was found to be in excess of the amount due to the extent of Rs. 99·88 lakhs.

1970-71	41·95‡	117·53	159·48
1971-72	167·30	151·47	318·77

Financial Condition of Universities in India

2310. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the financial condition of the universities in the country is not good and they have been demanding more grants from the central Government; and

(b) If so, Government's policy in this regard ?

The Ministry of state in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) . The Central Government does not pay any grant, maintenance or development, to the state universities. The central universities receive both maintenance grant and development grant for specified dovelopment projects from the universities grants commission. As regards the state universities the commission provides only development grants and the maintenance grants are paid by the concerned state Government.

According to the information available in the U. G. C, the universities of Patna, Bihar, Ranchi, Jabalpur, calcutta and osmania had made references to the commission about their serious financial difficulties. Since the financial diffIculties of state universities arise mainly out of inadequate maintenance grant. It is hoped that the state Governments would make adequate provision for it.

अधिक उपज वाले बीजों की बिक्री

2311. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज वाले बीजों की बिक्री के लिये राज सहायता दी जाती है, और यदि हाँ, तो कितनी; और

(ख) क्या बिक्री से कोई लाभ कमाया जाता है, और यदि हां, तो प्रति किलोग्राम बीज पर कितना लाभ होता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। भारत सरकार अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम में सम्मिलित किये गये बीजों की किसी भी किस्म के विक्रय पर राज-सहायता नहीं देती। परन्तु, जूट की उन्नत किस्म पर 50 प्रतिशत तथा सोयाबीन के बीजों की उन्नत किस्म पर 25 प्रतिशत राज-सहायता दी जाती है। ज्ञात हुआ है कि कुछ राज्य सरकारें कुछ अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों के विक्रय के लिये राज-सहायता दे रही हैं।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, बाजार की कीमतों तथा अपनी उत्पादन-लागत को दृष्टि में रखते हुए समय-समय पर निर्धारित की गई प्रतियोगी दरों पर अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम में सम्मिलित की गई फसलों के बीजों का विक्रय करता है।

‡ This amount was released after adjusting the excess paid during 1969-70.

जिला भागलपुर में हरिजनों के गावों में पेय जल सुविधाएं

2312. **श्री शिव चन्डिगा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भागलपुर जिले के बांका सब-डिवीजन में अनेकों हरिजन गावों में सरकारी खर्चे पर पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर पेय जल की व्यवस्था के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है और यह व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). यह जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

ग्रामीण सेवाओं के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अनुरूप योजना

2313. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक पृथक योजना के बारे में विचार कर रही; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन ग्रेन स्टोरेज इन्स्टीट्यूट द्वारा अनाज का भण्डार करने के लिये धातु की धानियां

2314. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ग्रेन स्टोरेज इन्स्टीट्यूट ने अनाज रखने के लिये धातु की नई किस्म की धानी का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे चूहों और कीड़ों से कितना अनाज नष्ट होने से बचाया जा सकेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय अनाज संचयन संस्थान, हापुड़ ने धात्विक बिन बनाए हैं। घरों में रखे जाने वाले गेहूँ के भण्डारण ढांचों की क्षमता 0·3 मी० टन से 2·27 मी० टन तक है जबकि धान और मिलेट के भण्डारण ढांचों की 0·2 मी० टन से 0·7 मी० टन तक है। ये बिन छोटे किसानों के प्रयोग के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।

(ख) इन बिनों का डिजाइन इस ढंग से तैयार किया जाता है ताकि चूहों और कीड़ों से खाद्यान्नों की होने वाली क्षति, जोकि अनुमानतः खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का 5 प्रतिशत होती है, को पूर्णतया रोका जा सके।

Production of Milk and ban on slaughter of Milch Cattle

2315. **Shri Shiv kumar Shastri** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether Production of Milk in India is less in comparison to her population and

(b) If so, whether Government are considering any proposal to impose a statutory ban on the slaughter of all milch cattle and particularly of cows with a view to increasing the milk production in the country ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh : (a) Yes. According to the recommendation of the nutrition Advisory Committee of the Indian Council of Medical Research, the optimum milk requirement is 283 grams per capita per day. According to the last cattle census of 1966, the daily per capita availability of milk in the country is 105 grams.

(b) A large majority of States, which alone are competent to enact necessary legislation on the subject, have enacted laws imposing complete or partial ban on cow slaughter. A few of the States have not enacted any legislation in the matter. However, for a comprehensive study of the question and in view of the popular sentiments the Government of Indian appointed on 29th June, 1967, a Committee on Cow Protection under the chairmanship of a retired Chef Justice of India, The Committee will go into the question of cow protection, including the question of total ban on the slaughter of cow and its progeny and recommend to Government appropriate practical steps for the protection of cows, calves, bulls and bullocks, after having considered the matter in all its aspects, namely, constitutional, legal, economic and other relevant aspects. The Committee will also suggest ways and means for the effective implementation of the provisions of Article 48 of the constitution and give full consideration to any suggestion that the constitution be amended to bring about a total ban on the slaughter of cow and its progeny. The matter will be considered further by Government on the receipt of the report of the Committee

There is no proposal before the Government of India to consider imposition of a statutory ban on slaughter of other milch cattle such as buffaloes.

Rise in price of Sugar

2316. **Shri Shrv Kumar Shstri** : Will the Minister of **Agriculure** be pleased to state :

(a) Whether the Sugar is being sold in the markets of Delhi at te rate of more than Rs. 3.50 per K. G. these days; and

(b) If so, whether Gnvernment are taking any effective steps to bring down its price for providing relief to the consumers ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Prof Sher Singh) : (a) The retail price of sugar sold to domestic consumers through fair price shops under the voluntary distribution scheme is between Rs. 2·07 to Rs. 2·09 per kg. The current retail price in the open market is Rs. 3·25 per kg. For C-30 grade (on the 4thApril, 1972).

(b) A reasonable portion of the requirement of domestic consumers is being met at a fixed price. The position is, however, constantly under review and further action will be taken as considered necessary.

Expenditure Incurred on vasectomy operations and Insertion of loops

2317. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) The total annual expenditure incurred by Government on vasectomy operations and insertion of loops during last three years; and

(b) Efforts made by Government to educate the people by producing and propagating healthy literature in this regard ?

The Ministery of State in the Ministery of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) Seperate figures of expenditure incurred by Government on vasectomy operations and insertion of loops are not available. The Central Government normally allows an expenditure of Rs. 11/—, Rs. 30/— and Rs. 40/— per case of IUCD insertion, Vasectomy and tubectomy respectively, for payment of compensation money to the volunteer concerned, the motivator and/to meet expenditure on drugs and dressings, payment for doctor's professional fees, etc. Higher amounts are allowed for sterilisation in camps. The total expenditure incurred on the above during the last three years has been as follows-—

Year	Rs. (in lakhs)
1969—70	498·92
1970—71	560·56
1971—72	1100·00 (estimated)

(b) Simple illustrated leaflets and other printed materials, highlighting the advanages of spacing and limitation of children and the simplicity and safety of vasectomy operation have been produced and distributed. Messages and slogans have recently been modified so as to associate family planning with the health of the mother and welfare of child and the family. Extension Education through group and individual approach supports and supplements the mass education strategy.

गेहूं बोर्ड की स्थापना

2318. **श्री पम्पन गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गेहूं बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और प्रस्तावित बोर्ड की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने एक भारतीय गेहूं तथा गेहूं उत्पादन विकास परिषद गठित की है। परिषद को गठित करने से सम्बन्धित संकल्प की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी—1698/72**]

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी

2319. **श्री डो० पी० जदेजा** :

श्री वैकारिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये थे; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) स्वास्थ्य और चिकित्सा परिचर्या अनुसंधान के क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रशासकों और सामाजिक विज्ञानिकों का अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए उपाय खोजने और ऐसा करके लोगों के बारे में उनकी आकाक्षाओं एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय प्रक्रियाओं सम्बन्धी दृष्टिकोण की अच्छी जानकारी हासिल करने की दृष्टि से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से 15 से 18 मार्च, को स्वास्थय और चिकित्सीय परिचर्या सम्बन्धी व्यावहारात्मक अनुसंधान पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) विचार विमर्श के दौरान जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए वे इस प्रकार हैं :-

(1) स्वास्थ्य और चिकित्सीय देख-रेख के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञानियों का अधिक सहयोग पाने के लिये उपायों का खोजना।

(3) चिकित्सीय परिचर्या को एक सामाजिक सेवा के रूप में अध्ययन करने तथा चिकित्सकों को पुनः स्थितिज्ञान देने की आवश्यकता है ताकि जनता की व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(4) लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का किस हद तक उपयोग कर रहे हैं, उनकी क्या आशाएं हैं, क्या अनुभव है तथा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं से कितने संतुष्ट हैं इसका अध्ययन करने और अपेक्षताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा संगठन में सुधार और संशोधन करने की आवश्यकता है।

(4) व्यावहारात्मक विज्ञान के अनुसंधान सम्बन्धी निष्कर्षों को समस्त चिकित्सा और स्वास्थ्य संगठनों में प्रयोग करने हेतु क्रियाविधियां तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञानियों और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में परस्पर संयुक्त और सहकारी अनुसंधान की आवश्यकता है।

(5) अनुसंधान के प्राथमिक क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान द्वारा उच्च स्तरीय अध्ययन दल बनाया जाना चाहिए जिसमें सामाजिक विज्ञानी और प्रशासक शामिल हों।

(6) स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य शुरु करने के लिये विश्व-विद्यालयों को सामाजिक विज्ञान विभाग में विशेष कक्षों को खोलने के लिये कहा जाए। इस प्रयोजन के लिये प्रख्यात सामाजिक विज्ञानियों को प्रोत्साहन देने होंगे ताकि वे चिकित्सीय और स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में अनुसंधान करें।

(ग) इस गोष्टी की अन्तिम रिपोर्ट जिसमें सिफारिशों का विस्तृत ब्यौरा भी होगा, अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

दक्षिण ताइवान समुद्र में भारतीय मालवाहक जहाज में आग लग जाना

2320. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री वकारिया :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण ताइवान समुद्र में एक भारतीय मालवाहक जहाज के एक भाग में आग लग गई थी,

(ख) यदि हां, तो उस मालवाहक जहाज का नाम क्या है, और

(ग) आग लगने के क्या कारण हैं और इस अग्निकांड से कितने माल और जान की हानि हुई ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) एम० वी० विश्वरक्षा

(ग) स्पष्टतया आग, विद्युत लघु परिपथ के कारण लगी थी । आग के कारण कोई जीवन हानि नहीं हुई । स्थारा को पहुंची क्षति का कम्पनी निर्धारण कर रही है । जहाज के ढांचे को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं हुआ ।

दिल्ली में यमुना पार के क्षेत्रों के लिए मल निकास की सुविधायें

2321. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री दिल्ली में यमुना पार के क्षेत्रों के लिए मल निकास की सुविधाओं के बारे में 7 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसको कब तक एकत्रित कर लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : सभापटल पर रखने के लिए अपेक्षित सूचना का विवरण विहित फार्म में पहले ही संसदीय कार्य विभाग को भेज दिया गया है । विवरण की एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—1699/72]**

वनस्पति घी का मूल्य निर्धारित करने का आधार

2322. **श्री ईश्वर चौधरी :**

श्री के० सूर्यनारायण :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनस्पति घी का मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या है; और

(ख) यदि ऐसा कोई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त है जिसके आधार पर घी का मूल्य आमतौर पे कम किया जाता है तो वह क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पिछले पखवाड़े के दौरान सम्बन्धित क्षेत्रों में कारखानों द्वारा खरीदे गए देशी कच्चे तेल के भारित औसत मूल्य, अगले पखवाड़े के दौरान जिस आयातित तेल के प्रयोग की अनुमति दी गई हो उसके सम्मिश्रण की मात्रा और निर्धारित लाभ जिसमें विधायन तथा पैकिंग लागत, भाड़ा और पूंजी पर

मुनाफा शामिल है के संदर्भ में वनस्पति के मूल्य क्षेत्रवार आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

[ख] स्थिति की समीक्षा प्रत्येक पखवाड़े में की जाती है और प्रत्येक क्षेत्र में पिछले पखवाड़े के दौरान देशी तेल के खरीद मूल्यों में उतार-चढ़ाव अथवा उसी क्षेत्र में आगामी पखवाड़े के दौरान आयातित तेल की मिलावट की मात्रा के कारण जिस हद तक आवश्यक समझा जाता है स्थिति अनुसार वनस्पति के मूल्य घटाए अथवा बढ़ाए जाते हैं।

Import of Defective Rs-09 Tractors

2323. **Shri Anant Prasad Dhusia :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The number of Rs-09 tractors imported from abroad so far;

(b) Whether the experts of the Department of Agriculture examined these tractors on their arrival in India with a view to finding out as to which of them were suitable and which were defective; and

(c) If so, the reasons for not returning the said defective tractors immediately ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A total number of 1,998 Rs-09 tractors was imported from G. D. R.

(b) and (c) : On receipt of complaints, Technical Teams consisting of senior Technical officers of the Ministry were sent to make an on-the-spot study of the performance of these tractors in Andhra Pradesh, Punjab and Gujarat where these tractors had been distributed in fairly large numbers. In the light of the reports submitted by these Teams, a series of discussions were held by this Ministry with the G. D. R. Delegation and the State Trading Corporation. The G. D. R. Suppliers agreed to replace free of cost defective componens by new/modified components in all the tractors sold to the farmers or held in stocks by the State Agro-Industries Corporations. They also agreed to extend the warranty period suitably, Modified tractors were put to field tests at different places with a view to assessing the overall utility of these tractors for Indian conditions. The performance of even the modified tractors did not prove satisfactory. There upon the G. D. R. Suppliers agreed to the return of modified Rs-09 tractors. A Protocol in this regard was signed between the State Trading Corporation of India and the G. D. R. Suppliers on 21st February, 1971 and tractors modified upto 21-2-71 are being returned to the Agents of the foreign suppliers. Efforts are also being made for the return of the remaining tractors.

सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण कार्य

2324. **श्री वी० मायावन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 और वर्ष 1971–72 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण कार्य की क्रियान्विति के लिये सीमावर्ती राज्यों को कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण कार्यों के लिए अनुदान सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इन दो वर्षों में सीमावर्ती राज्यों में स्वयं सेवा संगठनों को कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ग) यह निर्धारित राशि केवल कल्याण कार्यों पर ही खर्च की जाये, इसको सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 1970–71 तथा 1971–72 के वर्षों में सीमावर्ती राज्यों को दी गई कुल धनराशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	राशि
1970–71	1,39,67,000 रुपये
1971–72	3,26,45,000 रुपये

सीमा क्षेत्रों में विशेष रूप से कल्याण कार्य के लिये कोई विशिष्ट राशि नहीं दी गई है ।

(ख) सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण सेवाओं के लिए सहायक अनुदान कार्यक्रमों के अधीन सीमावर्ती राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं को दी गई कुल राशि नीचे दर्शाई गई है:—

वर्ष	धनराशि
1970–71	24,50,860·84 रुपये
1971 72	26,95,501·43 रुपये

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मंजूरी पत्र के अनुसार रुपए खर्च किया गया है राज्य के महालेखाकार/चार्टर्ड एकाउटेंटों इत्यादि के द्वारा स्वयंसेवी एजेंसियों के लेखों का परीक्षण किया जाता है और परीक्षित लेखों के प्राप्त होने पर नियन्त्रक अधिकारी महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व को इस आशय का उपयोग पत्र जारी करता है कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है, जिसके लिये उसे मंजुर किया गया था। केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा इन योजनाओं का निरीक्षण भी किया जाता है ।

प्रसूति सेवाओं में सुधार

2325. **श्री निहार लास्कर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'बैटर ओब-स्टेटरिक सर्विसिस अर्ज्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को इन समस्याओं की जानकारी है तथा इन्हें हल करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) (1) सेवाएं प्रदान करना, अस्पतालों में तथा घरों पर—

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अस्पतालो में प्रसूति सेवाओं वाले पलंगों की संख्या में

धीरे धीरे वृद्धि होती गई। जहाँ 1950–51 में इन पलंगों की संख्या 10,000 थी वहां 1970–71 में यह 47, 600 हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय 5092 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 31200 उप-केन्द्र हैं।

(2) कर्मचारियों का प्रशिक्षण, चिकित्सीय और नर्सिन्ग—

सेवायें प्रदान करने के हेतु कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये चिकित्सा कालिज और नर्सिन्ग स्कूल स्थापित किये गये हैं। प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिये सारे देश में सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

(3) परम्परागत दाइयों का प्रशिक्षण—

संस्थाओं में प्रशिक्षित कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या को ध्यान में रखते हुये दाइयों द्वारा किये जाने वाले धाय व्यवसाय के तकनीकों में सुधार करने के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

Distirbution of Chemical Fertilizers During 1969-70

2326. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The quantity of chemical fertilizers distributed during 1969-70;

(b) Whether the quantity of chemical fertilizers is sufficient keeping in view the vast area under cultivation in the country; and

(c) If not the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : The quantity of fertilisers available in the country in 1969-70 was sufficient with respect to the estimated demand for fertilisers based on agricultural production programmes undertaken by the States. This can be seen from the table below :

	(Lakh tonnes)		
	N	P	K
1. Estimated requirements of fertilisers in 1969-70	17·00	6·00	3·00
2. Opening stocks as on 1-4-69.	6·91	2·84	1·92
3. Actual production during 1969-70.	7·16	2·22	——
4. Actual imports.	6·67	0·94	1·20
5. Total availability.	20·74	6·00	3·12
6. Actual consumption.	13·57	4·16	2·10

Though the availability was enough to meet the demand existing in 1969-70 for fertilisers the per hectare consumption of fertilisers in the country is quite low. Unless the rate of fertiliser use per hectare is stepped up significantly, the yield per hectare would not increase.

The Government is aware of the need to raise the consumption of fertilisers in the country, and various steps are being taken towards this end. A massive promotional scheme for stepping up balanced use of fertilisers is under consideration; unden this scheme, intensive programmes of fertiliser demonstrations, audio-visual publicity. soil testing and farmer and dealer training will be implemented. Steps are also being taken to increase the

availability of credit to the farmers. Further, measures have been taken to streamline the fertiliser distribution system so that fertilisers are available to the farmer in time and nearer his farm. Use of fertilisers in the dry areas is also being promoted,

Foodgrains Procured By F. C. I. in Tikamgarh, Madhya Pradesh

2327. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The quantity of foodgrains (wheat) procured by the Food Corporation of india in Tikamgarh District of Madhya Pradesh during 1971-72;

(b) Whether the entire quantity of foodgrains (wheat) procured there had reached warehouses before rains and if not, the names of the places where the said foodgrains are lying at present indicating the quantity there of lying at each place; and

(c) The quantity of foodgrains destroyed by insects at the procurement centres and the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) 9,386 tonnes.

(b) Only a small quantity of about 269 tonnes procured by the co-operative societies in the interior centres which became inaccessible due to rains could not be lifted immediately after procurement. Even this quantity of 269 tonnes was lifted later on.

(c) No wheat is reported to have been destroyed by insects at the procurement centres.

Procurement of Foodgrains by F. C. I. Through Co-operative Societies

2328. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The details of the foodgrains procured by the Food corporation of India through Cooperative Societies in various States up to 30 June, 1971 together with the quantity there of; and

(b) The State-wise information of the procurement of these foodgrains ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculturs (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) : a statement is attached. **[Placed in the Library See No. L. T.—1700/72]**

विकलांगों की छात्रवृत्तियां

2329. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकलागों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ बढ़ा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो ये कितनी बढ़ाई गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां । केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलाँग छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है ।

ख) छात्रवृत्तियों की संख्या 1971–72 में 1781 हो गई, जबकि 1970–71 में वह 1,114 थी ।

परिवार नियोजन संबंधी विचार गोष्ठी

2330. **श्री वेंकारिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन मेडिकल एसोसियेशन द्वारा 15 मार्च, 1972 को आयोजित परिवार नियोजन की विचार गोष्ठी में यह अनुरोध किया गया था कि गर्भपात करने के लिये चिकित्सकों को अपना शुल्क कम कर देना चाहिये।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समूचे देश में कानून द्वारा एक निश्चित शुल्क लागू करने का है; और

(ग) क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई अन्य प्रस्ताव भी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस सम्मेलन द्वारा अपने प्रस्तावों में सम्मिलित की गयी सिफारिशों में इस विषय में कोई संकेत नहीं है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

कपास और तिलहन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये चार सूत्री योजना

2331. **श्री पी० वैंकटासुब्बया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कपास और तिलहनों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये और निकट भविष्य में आयात बन्द करने के लिये एक चार सूत्री आयात कार्यक्रम बनाया है :

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) ऐसा कोई चार-सूत्री कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। किन्तु निकट भविष्य में देश में पटसन और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ आपाती कार्यक्रम बनाये गये हैं।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1701/72]**

रूस से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार

2332. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने जिन अनेक व्यक्तियों को रूसी भाषा की उच्च शिक्षा के लिये रूस भेजा था क्या भारत लौटने पर उण्हें रोजगार नहीं मिला है; और

(ख) उन व्यक्तियों को देश में समुचित रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) : भारत रूस सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत रूसी भाषा में उच्च अध्ययन के लिये अब तक रूस भेजे गये 50 विद्वानों में से 21 विद्वान अपना अध्ययन पूरा कर भारत लौट आए है। इसमें से 15 विद्वानों को पहले ही उपयुक्त रूप से खपा लिया

गया है ।

(ख) सामान्यत: रूसी भाषा के अध्ययन के लिये पहले से ही नियुक्त उम्मीदवारों को प्रायोजित किया जाता है । लौटने पर वे अपने पहले ही पदों का पुन: कार्यभार संभालते हैं । अनियुक्त उम्मीदवारों के लिए यह सुविधा है कि वे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय रजिस्टर में अपना नामांकन करा सकते हैं जो उपयुक्त रोजगार तलाश करने में उनकी सहायता करती है ।

कटाई, गहाई और संग्रह के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम

2333. **श्री वेंकटासुब्बया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटाई, गहाई और अनाज के समुचित संग्रह की कला से किसानों को अवगत कराने की आवश्यकता अनुभव की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) इसकी मुख्य बातें हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी हां विस्तार निदेशालय, कृषि मंत्रालय ने किसानों के प्रशिक्षण और शिक्षण का कार्यक्रम केन्द्रीय परिचालित एक योजना के अन्तर्गत देश में अधिक उपज देने वाली किस्मों के चुने हुये 100 जिलों में अपनाया है । इस योजना के अन्तर्गत किसानों को अधिक उपज देने वाला किस्मों के उत्पादन के नवीनतम तौर-तरीकों तथा तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, कटाई, गहाई और अनाजों के समुचित भंडारण इत्यादि कलाओं का प्रशिक्षण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किसान प्रशिक्षण के एक अँग के रूप में दिया जाता है ।

Requirements of Hospital Beds in Trans-Yamuna and other Areas of Delhi

2334. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the requirements of hospital beds in trans-Yamuna and other areas of Delhi separately as also the number of beds actually available at present there, and

(b) the scheme formulated by the Government for the current year in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b). Trans-Jamuna area has an estimated population of 5 lakhs. Population of distant areas in west Delhi is approximately 8 lakhs. On the basis of 1 bed per 1000 population, the trans-Jamuna area would need approximately 500 beds and West Delhi area would also require 500 more beds. The number of existing beds in these areas is as under :

Trans-Jamuna area : 87 general beds

228 beds for mental patients

West Delhi area : 251 beds

During the 4th Plan period, two 500 bedded hospitals one in trans-Jamuna area at

Shahdara and the other in West Delhi at Hari Nagar are proposed to be set up by Delhi Administration. The work on these hospitals is expected to start during 1972-73.

Amount Sanctioned for Slums and Unauthorised colonies of Delhi

2335. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by the Planning Commission for slums and unauthorised colonies of Delhi in the current year and the amount sanctioned for this purpose in the new budget; and

(b) the scheme to be implemented this year in regard to these colonies of Delhi in the light of the current budget ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral)

(a) Plan allocation	1971–72	1972-73
	(Rs. in lakhs)	
(1) For Slum Clearance/Improvememt scheme	80	80
(2) For amenities in regularised unauthorised colonies.	10	26

(b) The schemes to be taken up during the current year include improvement of lanes and roads; concreting of lanes; provision of footpaths. drains and culverts; and earth filling works.

अनाज के लिए राज सहायता

2336. **श्री रामकंवर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनाज के लिए राज सहायता देने हेतु प्रतिवर्ष औसतन कितनी धनराशि रखी जाती है और

(ख) क्या अनाज के लिए राज सहायता बन्द करने का विचार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश में 1969–70 से राज सहायता देने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था दी गई थी :—

1969–70	32.00 करोड़ रुपये
1970–71	18.00 करोड़ रुपये
1971–72	50.00 करोड़ रुपये
1972–73	100.00 करोड़ रुपये

(ख) राज सहायता देने के लिए जिस धनराशि की व्यवस्था की गई है उसमें बफर स्टाक, जिसको बनाने के लिए सरकार ने एक नीति के रूप में निर्णय लिया है, की वहन लागत के लिए पर्याप्त धनराशि शामिल है। क्योंकि अधिप्राप्ति मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल और निर्गम मूल्य 78 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाता है, इसलिए पूरी इम्नामिक लागत वसूल नहीं की जा सकती है। उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के लिए राज सहायता दी जाती है। अतः जब तक अधिप्राप्ति मूल्य कम नहीं किए जाते और निर्गम मूल्य काफी बढ़ाये नहीं जाते, तब तक खाद्यानों पर दी जा रही राज सहायता को बन्द करना सम्भव नहीं है। मूल्य-नीति के दो उद्देश्यों, अर्थात् उत्पादक और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, को ध्यान में रखते हुए खाद्यानों पर दी जा रही राज सहायता की

राशि में कमी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

पारादीप पतन के लिए भूमि की आवश्यकता

2337 **श्री देवेन्द्र सत्पथी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पतन और उसकी विस्तार योजनाओं के लिए कुल कितनी भूमि की आवश्यकता का अनुमान है ।

(ख) क्या पारादी। पतन न्यास बोर्ड ने यह अनुमान लगाया है, और

(ग) उड़ीसा-सरकार ने उस आवश्यकता में से कितनी भूमि इस बीच पारादीप पतन न्यास को दी है और अपेक्षित भूमि कब तक उपलब्ध कर दी जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 2591 हेक्टेयर (लगभग 6,400 एकड़)

(ख) पारादीप क्षेत्र विकास सलाहकार समिति की उप-समिति जिसमें पारादीप पतन न्यास के अध्यक्ष भी शामिल थे, द्वारा अनुमान लगाया गया था ।

(ग) उड़ीसा सरकार अब 2391 हेक्टेयर भूमि, पारादीप पतन न्यास को आन्तरण करने के लिये सहमत हो गई है, जिसमें 597 हेक्टेयर निजि भूमि भी शामिल है जिसका पहले ही से अधिग्रहण किया जा चुका है । शेष 200 हेक्टेयर भूमि, राज्य सरकार द्वारा पतन न्यास से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् दी जायेगी ।

उड़ीसा के बालासौर जिले में कीतनिया नामक स्थान पर समुद्र से मछली पकड़ने की परियोजना

2338. **श्री अनादि चरण दास :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासौर जिले में कीतनिया नामक स्थान पर समुद्र से मछली पकड़ने की कोई परियोजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासहिब पी० शिंदे) : (क) तथा (ख). उड़ीसा सरकार ने गिल-जालों का उपयोग कर 10 विभागीय यंत्रीकृत मत्स्य-नौकाओं से सुबरनरेखा मुहाने के समीप तथा बंगाल की खाड़ी के समीपस्थ क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिये उड़ीसा के बालासौर जिले में स्थित कीतनिया नामक स्थान पर एक समुद्रीय मीन-हरण केन्द्र स्थापित किया है । प्रशिक्षित मछुओं को भी अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है । यह केन्द्र केवल प्रयोगात्मक आधार पर चलाया जा रहा है ।

कृषि पुर्नवित निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर मछुओं की सहकारी समितियों के माध्यम से कीतनिया में एक मीन-हरण परियोजना स्थापित करने का विचार है । इस योजना के अन्तर्गत 3 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 50 यंत्रीकृत नौकाओं (गिल-नेटर) को प्रारम्भ करने का विचार है । एपेक्स सोसायटी नौकाओं का स्वामित्व रखेगी और एपेक्स सोसायटी से सम्बद्ध प्रमुख समितियों के सदस्य इनका संचालन करेंगे । इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 20·56 लाख रुपये है ।

फार्मेसी परिषद्, दिल्ली राज्य का चुनाव

2339. **श्री राजदेवसिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मेसी परिषद् दिल्ली राज्य का चुनाव जून, 1971 को हुआ था;

(ख) क्या नेशनल फेडरेशन आफ फार्मेसिस्ट एसोसिएशन द्वारा बार-बार कहने के बावजूद भी उसके लिए अधिसूचना जारी नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मामले पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है तथा इह पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही हो जाने की सम्भावना है।

1971-72 वर्ष के बजट में ग्रामीण आवास तथा गन्दी बस्ती सुधार के लिये आवंटित 23 करोड़ रुपयों का खर्च न किया जाना

2340. **श्री राजदेव सिंह** :

श्री मोहन स्वरूप :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज-सहायता प्राप्त ग्रामीण आवास तथा गन्दी बस्ती सुधार के लिये वर्ष (1971-72) के केन्द्रीय बजट में आवंटित किये गये 23 करोड़ रुपये बिना खर्च किये हुये पड़े हैं ;

(ख) क्या ग्रामीण आवास के लिये उपलब्ध 15 करोड़ रुपये की समूची राशि मार्च 1972 के अन्त तक व्यपगत होने वाली है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस कार्य को राज्य सरकारों पर न छोड़ने और सह उद्यम करने के लिये मार्गोपाय अपनाने पर विचार कर रही है ताकि ग्रामीण आवास निर्माण कार्यक्रम की भविष्य में उपेक्षा न की जाये ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 1971-72 के दौरान केन्द्रीय बजट में ऐसी किसी रकम की व्यवस्था नहीं की गई थी।

(ख) 1971-72 के दौरान, ऐसी कोई रकम उपलब्ध नहीं थी और इसके व्यपगत होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सामाजिक आवास केन्द्रीय और राज्य सरकारों का एक संयुक्त प्रयास/प्रयत्न हो सकता है परन्तु इसका कार्यान्वियन आवश्यक रूप से ही राज्य सरकारों द्वारा तथा उन द्वारा मनोनीत अभिकरणों द्वारा किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थलों की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना बनाई गई है और उसे अक्टूबर, 1971 में राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया है। योजना में इस योजता के कार्यान्वियन के लिये राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान की सहायता देने की व्यवस्था है। राज्य सरकारें परियोजना-प्रस्ताव बना रही हैं और उनके द्वारा योजना के 1972-73 में कार्यान्वित किये

जाने की संभावना है । यह नई योजना 1957 में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई । उस ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अतिरिक्त है, जो अब राज्य क्षेत्र में है ।

बिहार में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

2341. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सभी चीनी मिलों को अपने नियन्त्रण में लेने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण ह ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) . जी नहीं । सभी संम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के बाद इस मामले पर मुख्यत: राज्य सरकार को ही निर्णय लेना होता है । जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, विशेषकर राष्ट्रीयकरण की मांग के सन्दर्भ में चीनी उद्योग के कार्यचालन और उससे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं की विस्तृत जाँच करने के लिए चीनी उद्योग जांच आयोग की पहले ही स्थापना की जा चुकी है । आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत सरकार इस मामले की आगे जाँच करेगी ।

दिल्ली में ईंटों की कमी तथा इनकी चोरबाजारी

2342. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ईंटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों द्वारा अपने मकानों के निर्माण के लिये ईंटों की प्राप्ति में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) क्या राजधानी में ईंटों की चोर-बाजारी जोरों पर है, यदि हां, तो चोर-बाजारी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) यद्यपि, ईंटें पकाने के कोयले के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली में ईंटों की समय-समय पर कमी हो जाती है, तथापि चालू मौसम में ईंटों की अभी तक कोई विशेष कमी नहीं हुई है । 20–1–72 से दिल्ली प्रशासन ने ईंटें लेने के लिये परमिट जारी करने की पद्यति आरम्भ की है, जिसका लाभ वास्तविक आवास निर्माताओं द्वारा उठाया जा सकता है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में ईंटों के भट्टे बनाना

2343. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनता की ईंटों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये दिल्ली में तथा इसके आसपास ईंटों के भट्टे बनाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा; और

(ग) ये भट्टे कब तक चालू कर दिए जायेंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी भवनों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

2344. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी भवनों में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों पर नियमित रूप से कार्य करने वाले दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के लिये कोई अवसर नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के सारे दिन चालू रहने वाले स्टालों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के तीन वर्ग हैं :—

1. प्रबन्धक (विक्रय)।

2. प्रबन्धक (सारा दिन चालू रहने वाले स्टाल के लिये)

3. विक्रय सहायक

सारा दिन चालू रहने वाले दुग्ध स्टालों के प्रबन्धक (विक्रय) तथा प्रबन्ध, अनुभव प्राप्त करने के पश्चात सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों के रूप में और तत्पश्चात दुग्ध वितरण अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के अधिकारी हैं। विक्रय सहायक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और इस समय उनकी पदोन्नति के लिये प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं है। फिर भी उनमें जो कर्मचारी नियमों के अन्तर्गत निर्धारित आवश्यक योग्यता रखते हैं वे दिल्ली दुग्ध योजना की तीसरी श्रेणी के पदों के लिये प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

सरकारी कार्यालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवाशर्तों में सुधार

2345. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की शर्तों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : विभिन्न सरकारी कार्यालयों में स्थित सारे दिन खुले रहने वाले दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें सरकार द्वारा इसी श्रेणी के लिये निर्धारित सामान्य सेवा नियमों द्वारा नियन्त्रित होती हैं। सरकार इन कार्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिये

कोई विशेष कदम उठाने पर विचार नहीं कर रही है ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटित किया जाना

2346. **श्री नवलकिशोर शर्मा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के कुछ राज्यों को, डकैती की समस्याओं के हल के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु, धनराशि का आवंटन कर दिया गया है, यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : जी, हां । राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश (अर्थात साथ लगे राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों) के डाकुओं से पीड़ित सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ अन्तर्राज्यीय सड़कों के 300·5 किलोमीटर के सुधार के लिए 2·39 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था करने के लिए जनवरी 1972 में भारत सरकार मान गई है और वह निम्न प्रकार है :—

राज्य	मान्य ऋण की राशि लाख रुपये	सुधार किये जाने वाली सड़कों की लम्बाई किलोमीटर
राजस्थान	7·00	11·00
उत्तर प्रदेश	134·50	134·50
मध्य प्रदेश	97·50	155·00
कुल	239·00	300·50

राजस्थान के जयपुर जिले में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति

2347. **श्री नवलकिशोर शर्मा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जयपुर जिले को- जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम हेतु केवल 12 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या तकनीकी कर्मचारियों के असहयोग के कारण जयपुर जिले में कार्य आगे नहीं बढ़ सका है और धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कार्यवाही करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जयपुर जिले को ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के लिए 1971–72 में 12·50 लाख रुपये आवंटित किये गए थे ।

(ख) प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण जयपुर जिले में 1971–72 में लगभग 4·64 लाख रुपए व्यय किये गए ।

(ग) समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है ।

बिनौला, सोयाबीन आदि से प्रोटीन निकालने के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर द्वारा परीक्षण

2348. **श्री नवलकिशोर शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने बिनौलों, सोयाबीन तथा अन्य ऐसे ही बीजों से प्रोटीन निकालने के लिए परीक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इन बीजों से निकाले गये सार से वार्षिक कितना प्रोटीन मिलगा ; और

(ग) देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिये प्रोटीन से कितना बहुप्रयोजनीय खाद्य तैयार किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने मूंगफली और सोयाबीन से प्रोटीन निकालने की विधि तैयार की है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में बिनौले से प्रोटीन निकालने की विधि तैयार की जा रही है।

(ख) स्वदेशी औद्योगिकी मानव उपभोग के लिए तेल उपलब्ध करती है और जो मूल्यवान अवशेष रहते हैं उनमें 50 प्रतिशत तक प्रोटीन हो सकती है और जिसका फिर विधायन करने से प्रोटीन आइसोलेट प्राप्त किया जा सकता है। यदि समूची सप्लाई का प्रोटीन निकालने के लिये विधायन किया जाए तो मूंगफली से 10 लाख मी० टन, बिनौले से 4 लाख मी० टन, तोरिया और सरसों से 3 लाख मी० टन और तिल से 1 लाख मी० टन प्रोटीन प्राप्त होगी।

(ग) मूंगफली और सोयाबीन जैसे तिलहनों से प्राप्त प्रोटीन युक्त सामग्री का बाला-हार और टोन्ड दूध जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। इन पदार्थों का उपभोग शिशु पोषण कार्यक्रमों में किया जा रहा है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाने में भी किया जाता है।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विशुद्ध प्रोटीन के लिए संयंत्र की स्थापना करना

2349. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विशुद्ध प्रोटीन के लिये संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : जी नहीं।

डूरेंड कप फुटबाल टूर्नामेंट

2350. **श्री वयालार रवि** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूरेंड कप फुटबाल टूर्नामेंट ब्रिटिश जनरल की स्मृति में होता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस टूर्नामेंट का नाम बदलने के लिये कदम उठाने का है; और

(ग) क्या सरकार इस टूर्नामेंट के लिये कोई वित्तीय सहायता देती है; और यदि हाँ, तो क्या यह सहायता इनके लेखों की उचित लेखापरीक्षा के बाद दी जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं। 1888 में स्थापित डूराण्ड कप ट्राफी का नाम वास्तव में, उस समय के विदेश

सचिव, सर मोर्टमार डूराण्ड के नाम से रखा गया है।

(ख) टूर्नामेंट को चलाने वाला स्वायत्त निकाय अर्थात डूराण्ड फुटबाल टूर्नामेंट सोसायटी का अपने नाम को बदलने का कोई विचार नहीं है।

(ग) जी नहीं।

केरल में गोदामों की क्षमता

2351. **श्री वयालार रवि :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भंडार करने की वर्तमान क्षमता में बाधा डाले बिना केरल में कितने महीनों तक खाद्यान्नों की सप्लाई की जा सकती है;

(ख) क्या 1972-73 में केरल में भण्डारों की अतिरिक्त क्षमता बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तीन महीने।

(ख) और (ग) : खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु गोदाम बनवाने का कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंपा गया है जोकि कई क्राश कार्यक्रमों के अन्तर्गत गोदाम बनवा रहा है। खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा भी कुछ गोदाम बनवाए जा रहे हैं। खाद्यान्नों के भण्डारण के लिये सहकारी समितियों के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता में से भी कुछ अंश का प्रयोग किया जाता है। ये एजेंसियाँ 1972–73 में केरल में निम्नलिखित अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के गोदाम बनवा रही हैं अथवा उनका बनवाने का विचार है :—

		(क्षमता मी० टन में)
भारतीय खाद्य निगम		97,500
केन्द्रीय भाण्डागार निगम		2,000
सहकारी क्षेत्र		10,000
	जोड़	1,09,500

विश्वविद्यालयों के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जाना

2352. **श्री वयालार रवि :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री विश्वविद्यालय के कार्यों विद्यार्थियों द्वारा भाग लिये जाने के बारे में अन्तर विश्वविद्यालय सेमिनार के बारे में 15 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : विश्वविद्यालय प्रशासन में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिए जाने से संबन्धित सिफारिशों सहित गजेन्द्रगड़कर समिति द्वारा की गई सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई हैं; इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये, विश्वविद्यालयों के अधि-

नियमों में संशोधन अपेक्षित हैं और इस बारे में और आगे कार्रवाई राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबन्ध है, केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों के लिए वैधानिक प्रस्तावों को बनाने में इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जा रहा है।

राजधानी में अस्पतालों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति

2253. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में अस्पतालों के सामान्य कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने दो पूर्णकालिक प्रशासकों को नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बात क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दोनों अस्पतालों नामतः विलिंग्डन अस्पताल तथा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में पूर्णकालिक चिकित्सा अधीक्षकों की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) अस्पतालों के कार्य संचालन की विस्तृत जांच करने के लिये नियुक्त कार्य-दल की सिफारिशों के अनुसार यह निश्चय किया गया है कि मुख्यतः बड़े केन्द्रीय अस्पतालों के प्रशासन सम्बन्धी कार्य की देख-भाल के लिये पूर्णकालिक चिकित्सा अधीक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए और इन अधीक्षकों पर चिकित्सीय उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। विलिंग्टन एवं सफदरजंग अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के पदों पर अस्पतालों के प्रशासन एवं संचालन में व्यापक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करने का विचार है।

1970-72 में उर्वरकों की खपत का लक्ष्य

2254. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में उर्वरकों की खपत का लक्ष्य क्या था और वास्तविक खपत कितनी हुई; और

(ख) वर्ष 1971-72 में सभी प्रकार के उर्वरकों के खपत का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1970-71 के लिये सारे देश के लिये उर्वरकों की खपत के लक्ष्य 17·26 लाख मीटरी टन एन० 5·64 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ और 2·52 लाख मीटरी टन के$_2$ ओ थे। इनकी तुलना में 14·79 लाख मीटरी टन एन०, 5·40 लाख मीटरी टन पी. ओ और 2·36 लाख मीटरी टन की के$_2$ ओ की वास्तविक खपत हुई।

(ख) वर्ष 1971-72 के लिये सारे देश के लिये उर्वरकों की खपत लक्ष्य 20·45 लाख मीटरी टन एन०, 8·07 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ और 4·2 लाख मीटरी टन के$_2$ ओ, निर्धारित

किये गये थे। फिर भी 1971-72 के लिये खपत के आंकड़े राज्यों से एकत्रित किये जा रहे हैं।

भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी छात्रों की छात्रवृतियां

2355. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है, जिन्हें भारत सरकार ने छात्रवृतियां और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत 1971–72 के दौरान, विदेशी छात्रों को 412 छात्रवृतियां प्रदान की गई हैं।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

2356. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने हेतु विज्ञान तथा औद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है; और यदि हां, तो इस संस्थान की स्थापना कहां की गई है;

(ख) क्या राजस्थान में इस प्रकार का संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) राज्य सरकार ने गोरखपुर में पहले ही से एक इन्जीनियरी कालेज की स्थापना कर दी है। स्वर्गीय श्रीमती कमला नेहरू की स्मृति में सुलतानपुर में एक विज्ञान तथा शिल्प-विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु एक स्वैच्छिक संगठन निधियां एकत्र करने का विचार कर रहा है।

(ख) राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी सम्मेलन

2357. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी अनुसंधान से संबन्धित प्रतिनिधियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरों, नई दिल्ली के सहयोग से 15 मार्च से 18 मार्च, 1972 तक स्वास्थ्य और चिकित्सीय परिचर्या

सम्बन्धी व्यावहारात्मक अनुसंधान पर एक सम्मेलन का नहीं, एक गोष्ठी का आयोजन किया था। इसमें विभिन्न विषयों के 46 वैज्ञानिकों ने भाग लिया जिनमें जन स्वास्थ्य प्रशासक सामाजिक विज्ञानी, मानव विज्ञानी, मनोविज्ञानी, प्रबन्ध-विशेषज्ञ, कार्यचिकित्सा विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सकों तथा देश के सभी भागों में स्थित अनेक संस्थानों से आये रक्षा सेवाओं के अधिकारी थे।

(6) स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए विश्व-विद्यालयों को सामाजिक विज्ञान विभाग में विशेष कक्षों को खोलने के लिए कहा जाय। इस प्रयोजन के लिए प्रख्यात सामाजिक विज्ञानियों को प्रोत्साहन देने होंगे ताकि वे चिकित्सीय और स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में अनुसंधान करें।

Whips Conference

2358. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) Whether no conference of whips in Parliament and State Legislatures has been held after 1969;

(b) If so. whether Government propose to hold any such Conference after the Elections to State Assemblies; and

(c) If so, when ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir,

(b) and (c) No decision to hold the next All India whips Conference has so far been taken.

रेडियो सेटों के माध्यम से शैक्षिक सुविधायें

2359. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक ने एक पुस्तिका (टेक्नोलाजी आफ एजूकेशन, पृष्ठ 9) में दावा किया है और रेडियो सेटों के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएँ देने पर कम खर्च आयेगा और इससे शिक्षण में बहुत अधिक समानता आ जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में इस अनुसन्धान का आधार क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी हां। जैसा कि पुस्तिका के प्रस्तावना नोट में स्पष्ट किया गया है, उसमें व्यक्त किये गये विचार लेखको के हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के नहीं है।

(ख) प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापकों को लगाने की परम्परागत पद्धति की तुलना में रेडियो को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने का निष्कर्ष, लेखक द्वारा स्वयं तैयार किए गए लागत के प्राक्कलनों पर आधारित है लेखक का यह भी विचार है कि जबकि अध्यापकों की कोटि में विभिन्न स्कूलों में अत्यंत महत्वपूर्ण अन्तर है। अतः रेडियो के प्रयोग से वर्तमान स्थिति में शिक्षा प्रतिपादन में वाधित एकरूपता प्रदान की जा सकेगी। परन्तु इस

तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार किया जाना है कि यदि रेडियो प्रसारणों का अध्यापन के हेतु प्रयोग किया जाता है तो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच आदान-प्रदान की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल स्तर पर व्यक्तिगत ध्यान देना अनिवार्य होता है। अतः अध्यापक द्वारा दी जाने वाली शिक्षा तथा रेडियो प्रसारण द्वारा दी जाने वाली शिक्षा में प्रति छात्र खर्चों की सीधी तुलना का कोई अधिक महत्व नहीं है।

शिक्षा विज्ञान में उच्चस्तरीय अनुभव प्राप्त करने के लिये लगाये गये व्यक्ति

2360. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय ने किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा-विज्ञान में उच्चस्तरीय अनुभव प्राप्त करने के लिये भारतीय नागरिकों को लगाया है।

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक ऐसी योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितये व्यक्ति भेजे गए।

(ग) क्या इन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त इस अनुसंधान का उचित उपयोग किया गया है; यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कितने प्रतिशत अनुभव का लाभ नहीं उठाया जा सका है और क्यों; और

(घ) क्या अनेक ऐसे मामलों में इसे विदेशी अनुभव के लिये चुने गए व्यक्तियों ने ऐसे पदों पर कार्य नहीं किया जहां उनके नये अनुभव से लाभ उठाया जा सकता था और यदि हाँ, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (प्रो० डी०पी० यादव) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

Repair of Damage to National Highway No. 31 Passing Through Danapur, Patna

2361. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether the National Highway No. 31 passing through Danapur town or Patna (Bihar District) was badly damaged in the last devastating floods as a result of which the residents of the town are facing great difficulties;

(b) If so, wheter Government have formulated any scheme for repairing the said Highway; and

(c) If so. the main features there of and the time by which the repair work is likely to be undertaken ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) National Highway 30 and not 31 passes through Danapur town of Patna District. The reach miles 6 to 8·75 of this road lies within the limits of the Danapur Municipality and Cantonment. Portions of this road within Danapur town are understood to have suffered damages due to the last floods. Government of India have, however, no information regarding difficulties, if any, experienced bythe residents of the town.

(b) No, sir. In terms of section 2 (1) of the N. H. Act 1956. the portions of the

road within the municipal limits of the Danapur town are not parts of the National Highway. Therefore development and maintenance of this portion would have to be looked after only by the state Government of Bihar and not by the central Government.

(e) Docs not arise.

ग्रामीण अनाज भंडारों से आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को पी० एल० 480 निधि का दिया जाना

2363. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण अनाज भण्डार व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु राज सहायता देने के लिये विभिन्न राज्यों को पी०एल० 480 निधि में से धन देने के लिये कोई राशि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धन–राशि आबंटित की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। पी० एल० 480, खन्ड 104 (के) के अधीन दी गई निधि में से पांच राज्यों अर्थात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के किसानों को निम्नलिखित क्षमता के धात्विक विन सप्लाई करने के लिए 40 लाख रुपये दिए जाने का विचार है :

1. प्रत्येक 1·4 मी० टन क्षमता के 400 विन।
2. प्रत्येक 2·5 मी० टन क्षमता के 400 विन।
3. प्रत्येक 5·5 मी० टन क्षमता के 200 विन।

किसानों को ये विन ब्याज–मुक्त ऋण पर दिए जायेंगे। किसानों को विन खरीदते समय विन की लागत का 40 प्रतिशत और शेष 60 प्रतिशत तीन समान वार्षिक किस्तों में देना होगा।

(ख) वर्ष 1971–72 के लिये निम्नलिखित राज्यों को 20 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है जो इस प्रकार है :

1 उत्तर प्रदेश सरकार	8 लाख रुपए।
2 मध्य प्रदेश सरकार	4 लाख रुपए।
3 बिहार सरकार	4 लाख रुपए।
4 हरियाणा सरकार	4 लाख रुपए।
जोड़ :	20 लाख रुपए

निर्धन राज्यों पर नौवहन संहिता थोपने का प्रयास

2363. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1972 के 'इकनामिक टाइम्स' में निर्धन राज्यों पर नौवहन संहिता थोपने का प्रयास शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) दूसरे विकासशील देशों की तरह भारत सरकार जानती है कि यूरोपियन नेशनल शिप-ओनर्स एसोसिएशनस द्वारा नियुक्त समिति द्वारा एक संहिता बनाई गई थी जिसे (सी ई एन एस ऐ संहिता) कहा जाता है और यह कि लाइनर कान्फ्रेन्स प्रणाली में एक अधिक समान व्यवस्था स्थापित करने में आवश्यकताओं को पूरा करने में यह समर्थ रही है । अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी द्वारा जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है उनका उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं, उदाहरणार्थ एक उपयुक्त कूट बनाने के लिए अंकटाड़ जोकि विकासशील देशों के पोत वणिकों और जहाज मालिकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा । तदनुसार हाल ही में जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन विधान के संबंध में अंकटाड कर्मी दल के तृतीय अधिवेशन में और बातों के साथ साथ यह भी फैसला किया गया कि एफ्रो-एशियन तथा लेटिन अमेरिकन दलों द्वारा लाइनर कान्फ्रेन्सों के लिये तैयार की गई आचरण संहिता के सम्बन्ध में सेन्टियागो में होने वाले आगामी अंकटाड अधिवेशन को दो प्रारम्भिक मसौदे भेजे जाएँ ।

Production of Wheat During 1971-72

2364. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the estimated production of wheat during the financial year 1971-72

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : Estimates of agricultural production relate to agricultural year (July-June). Firm estimates of production of wheat for 1971-72 are likely to become available after the close of the agricultural year i. e. sometime in July-August, 1972. However, according to present indications, production of wheat is expected to show a considerable increase over the record level of 23·2 million tonnes reached during 1970-71.

1971 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये दल का दौरा

2365. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों के एक दल को 1971 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर वहां के किसानों की दशा एवं उनको बीजों के लिये ऋण तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में आवश्यकताओं की जाँच करने के लिये भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) वर्ष 1971 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, वहाँ के किसानों की परिस्थितियों और बीजों के लिये ऋण और अन्य मदों की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए, संसद सदस्यों के किसी भी दल को, नहीं भेजा गया । हां. वर्ष 1971 के दौरान, अधिकारियों के केन्द्रीय दलों को बिहार, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, वहाँ के किसानों की अन्य आवश्यकताओं के साथ-साथ कृषि आदानों की आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिये भेजा गया था । इन दलों की सिफारिशों के आधार पर, कृषि मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित राज्यों को वर्ष 1971-72 के दौरान निम्नलिखित केन्द्रीय

सहायता मंजूर की गई—

(रुपये लाखों में)

राज्य का नाम	उर्वरकों	विपणन तकावी	कीटनाशक औषधि	बीज	कुल जोड़
1. बिहार	—	100·00	25·00	600·00	725·00
2. केरल	—	1·50	—	1·50	3·00
3. उड़ीसा	150·00*	150·00	—	—	300·00
4 उत्तर प्रदेश	1000·00	400·00	—	500·00	1900·00
5. पश्चिमी बंगाल	—	265·00	35·00	100·00	400·00
कुल जोड़	1150·00	916·50	60·00	1201·50	3328·00

गांवों में रोजगार जुटाने के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त (मार्जिनल) किसानों और कृषि-श्रमिकों को दी गई सहायता

2366. **श्री रग बहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में रोजगार जुटाने के 50 करोड़ रुपये के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कुल कितने छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि-श्रमिकों को सहायता पाने योग्य समझा गया है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को दिये गये अल्पावधि, माध्यम-अवधि और दीर्घावधि ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) छोटे किसानों, सीमान्त कृषकों तथा कृषि मजदूरों को केवल लघु कृषक विकास अभिकरण तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि मजदूरों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार के लिये क्रेश कार्यक्रम विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त कृषकों को सहायता देने के लिये नहीं बनाया गया है । फरवरी, 1972 के अन्त तक लघु कृषक विकास अभिकरण परियोजनाओं के अन्तर्गत सहायता के लिये हकदार 2·5 से 7·5 एकड़ तक भूमि रखने वाले 13·25 लाख छोटे किसानों का पता लगाया गया। इसी प्रकार सीमान्त कृषक तथा कृषि मजदूर परियोजनाओं के अन्तर्गत 6·95 लाख सीमान्त कृषकों का पता लगाया गया है, जिसमें सामान्यतः 2·5 एकड़ से कम भूमि वाले कृषक हैं और कृषि से 50 प्रतिशत से अधिक आय प्राप्त करने वाले कृषि मजदूर शामिल हैं । यह कार्य अनेक परियोजनाओं में चल रहा है ।

(ख) फरवरी, 1972 के अन्त तक लघु कृषि विकास अभिकरण सीमान्त कृषक तथा कृषि मजदूर परियोजना के क्षेत्रों में लघु। सीमान्त कृषकों तथा कृषि मजदूरों को 16·84 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण के रूप में, 2·03 करोड़ रुपये मध्यम-कालीन ऋण के रूप में, तथा 6·14 करोड़ रुपये दीर्घ-कालीन ऋण के रूप में दिये गये हैं ।

*उर्वरकों, बीज और कटिनाशक औषधि के लिये ।

एर्णाकुलम के अन्तर्जल में कृत्रिम द्वीप और उसमें बड़े टैंकरों के लिए घाट का निर्माण

2367. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एर्णाकुलम के अन्तर्जल में एक कृत्रिम द्वीप बनाने और वहां बड़े टैंकर ठहराने के लिए घाट का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) : गहरे दबाव वाले तेल वाहक पोतों को संभालने के लिए कोचीन पत्तन पर एक तेलघाट का निर्माण पत्तन के चौथी पंचवर्षीय योजना कार्य-क्रम में सम्मिलित है। तेलघाट की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान के चयन का प्रश्न अभी विचाराधीन है। अत: इस समय योजना की बातों को सम्बन्ध में ब्यौरा बताना इसकी मुख्य लागत, तथा आरम्भ एवं पूर्ण होने का समय बताना सम्भव नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ पर कोचीन उपमार्ग का निर्माण

2368. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ पर कोचीन उपमार्ग का निर्माण करने की योजना को केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है,

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है, और

(ग) क्या कोचीन उपमार्ग की मूल योजना में केन्द्रीय सरकार ने कुछ परिवर्तन किये हैं और निर्माण कार्य कब तक शुरू तथा पूरा हो जायेगा ?

ससदीय कार्य तथा नौदहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। चौथी पंच वर्षीय योजना में इस योजना की व्यवस्था है।

(ख) प्रस्तावित उपमार्ग लगभग 16·4 कि० मी० लम्बा होगा और पूर्ण होने पर यह नगर के बीच मौजूदा सड़क से लगभग 8·20 कि० मी० कम होगा यह दो-गली, पूर्ण रूप से पुलदार, तारकोल वाली, 150 फुट चौड़ी सड़क होगी। कार्य की कुल संभावित लागत, जैसा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है, लगभग 331 लाख रुपये है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल संरेखन में इसकी समता में, सुधार को दृष्टि में रखते हुए कुछ परिवर्तन करने पड़े। परियोजना संवीक्षाधीन है और कार्य, केवल संस्वीकृति और औपचारिकताओं के पूरा होने के पश्चात् ही शुरू किया जा सकता है। इसकी पांचवी पंच वर्षीय योजना में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

वायनाड, केरल के आदिवासी लोगों के लिये योजनाओं पर किया गया व्यय

2369. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र ने गत तीन वर्षों में वायनाड, केरल की पहाड़ियों में बसे आदिवासियों के लिए आवास, शिक्षा और चिकित्सा योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : यह जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

आदिवासी लोगों को चिकित्सीय सुविधायें देने सम्बंधी योजनायें

2370. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी लोगों को और अधिक चिकित्सीय सुविधायें देने सम्बंधी कोई योजना है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

(ख) ऐसी योजनाओं को केरल में कहां तक लागू किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी और योजनाओं को आरम्भ करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) सीमावर्ती क्षेत्रों में कुष्ठ रोग या फाइलेरिया तथा गल गण्ड जैसी बीमारियां अब सामान्यता फैली हुई हैं । इन रोगों का उन्मूलन करने के लिए मेडिकल चेस्टों, मोबाइल वेनों, औषधालयों, दाइयों, नर्सो तथा मिडवाइफों के पाठ्यक्रमों, क्षय रोग इत्यादि से पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता देने जैसी कुछ योजनायें पिछड़े वर्गों के राज्य क्षेत्र में शामिल की गई हैं । ये योजनाएं साधारण कार्य-क्रम की पूरक हैं ।

(ख) तथा (ग) : केरल सरकार ने आयुर्वैदिक औषधालयों तथा दाई प्रशिक्षण केन्द्रों की योजनाओं को राज्य चतुर्थ योजना में शामिल किया गया है । पहली योजना अन्दरूनी इलाकों में रहने वाले आदिम जातियों के लोगों के लाभार्थ आयुर्वैदिक औषधालयों की व्यवस्था करने के लिये है जबकि दूसरी योजना के अधीन कुछ आदिवासी स्त्रियों को आगजिलियरी और दाई के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है । ये योजनाएं वर्ष 1972-72 में भी चलती रहेगी । राज्य सरकार द्वारा किसी नई योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

परिवार नियोजन के अन्तर्गत किए गए आपरेशनों से हुई मौतें

2371. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **स्वास्थय और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षो में देश भर में कुल कितने आपरेशन किये गये;

(ख) इस क्षेत्र में पहले नम्बर पर आने वाले राज्य का नाम क्या है; और

(ग) देश भर में इन आपरेशनों से मरने वालों की कुल संख्या कितनी है ।

स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्य) : (क) फरवरी 1972 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षो के दौरान देश में कुल 4,721,146 (अन्तिम) नसबन्दी आपरेशन किए गए हैं ।

(ख) आरम्भ में फरवरी 1972 के अन्त तक सबसे अधिक नसबन्दी आपरेशन नामतः 1,773,315, महाराष्ट्र में किए गए हैं, यह 35·3 प्रति हजार जनसंख्या की दर है, जो कि सबसे अधिक है।

(ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर नसबन्दी आपरेशनों के पश्चात् कुल 129 मौतें हुई हैं।

Bungling of Food Grains Imported by F. C. I. During Transportation

2372. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Agriculture** pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India under takes transportation of goods imported from foreign countries through trains right from the ports to every nook and corner of the country;

(b) whether the regional employees bungle goods worth crores of rupees on the pretext of damage in transit; and

(c) the steps being taken by the Food Corporation of India to check such bungling?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Food corporation of India, as handling agents of the Government of India, arrange for transportation by rail of foodgrains, fertilizers, gift consignments and other commodities imported on Government account.

(b) No Sir, In accordance with the established procedure, loss or damage during transit is investigated and claims preferred.

(c) Does not arise.

Employment Due to Inter-State Water Transport Service from Patna to Ghazipur

2373. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) how far it is true that when Inter-State water transport service from Patna to Ghazipur was introduced, it was feared that enough goods traffic would not be forthcoming in the beginning; and

(b) the number of idle employees prior to the introduction of this scheme by the Department and the number out of them provided work so far?

The Minister of Parliamentary affairs and Shipping and Tranport (Shri Raj Bahadur)

(a) The traffic survey of the region conducted by the Government prior to iotroduction of river service on the Ganga between Patna and Ghazipur indicated that although sufficient traffic potential existed, the traffic offerings might be low in the initial stages of operation. In actual practice also, it has been observed that the traffic offerings in the first two months of operation of the service were considerably lower than the traffic offered in the subsequent two months.

(b) before the introduction of the scheme 81 employees were not fully utilised. They are all being fully utilised now.

Extension of Water Transport Service Introduced Between Patna and Ghazipur upto Allahabad

2374. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) Whether a demand has been made by the public to extend the water transport service introduced between Patna and Ghazipur up to Allahabad;

(b) Whether the Government of Uttar Pradesh have demanded 25 barges daily up to six month during 1972 for transporting stone from chunar; and

(c) If so, the action taken by Government there on ?

The Ministry of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport ((Shri Raj Bahadur) : (a) The Government has not received any request from the public regarding extension of the service to Allahabad. However, there has been a suggestion for extension of this service upto Mirzapur.

(b) No such demand has been received from the state Government.

(c) Does not arise.

Water Transport Service Between Patna and Ayodhya

2375. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether the Bhagwati committee had recommended the introduction of a water transport service between Patna and Ayodhya;

(b) If so, whether any survey has also been undertaken in this regard; and

(c) If so, the results thereof ?

The Minister of Parliamentary affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur : (a) The Bhagavati committee have not recommended any direct water transport service between Patna and Ayodhya. The committee, however, recommended the running of a river service on the ghaghara between Dohrighat and Revelganj (Chapra) on an experimental basis. It had also reeommended that the feasibility of extending this service upstream of Dohrighat towards Ayodhya may be investigated. For implementing this recommendation, Government of Uttar Pradesh have been requested to conduct a traffic study of the stretch between Dohrighat and Chapra with a view to formulate a detailed scheme for organising this service.

(b) A hydrographic survey of the Ghaghara river is in progress by the Inland water transport directorate in conjunction with the officers of the Government of Uttar Pradesh.

(c) Does not arise at this stage.

भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय जहाजरानी को हुई क्षति

2375. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत-पाक युद्ध से ठीक पहले तथा बाद में भारतीय जहाजरानी को हुई हानि की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है,

(ख) क्या-क्या हानि हुई; और

(ग) बंगला देश के बन जाने से भारतीय जहाजरानी को यदि कोई अधिक काम मिलना है तो कितना ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : **(क) तथा (ख)** . गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौवहन ने कोई व्यापार पोत नहीं खोया परन्तु यह सम्भव है कि भारतीय नौवहन कम्पनियों को युद्ध के कारण कुछ वित्तीय हानियां उठानी पड़ी हो। सभी भारतीय जहाजों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से नौसेना के नियंत्रण अधीन रखा गया था और तदनुसार उनका परिचालन नौसेना आधिकारियों द्वारा जारी की गई चालन और मार्ग सम्बन्ध हिदायतों के अन्तर्गत था इसके फलस्वरूप कुछ भारतीय जहाजों को मोड़ना पड़ा था उन्हें पत्तनों पर रोकना पड़ा और जिसके परिणामस्वरूप जहाज मालिकों को

अतिरिक्त खर्च या व्यापार में हानि उठानी पड़ी, इस कारण से जहाज मालिकों की कितनी हानि उठानी पड़ी इसकी सूचना हमारे पास नहीं है परन्तु ऐसा ज्ञात हुआ है कि जहाज मालिक जीवन बीमा निगम जिसके साथ युद्ध जोखिमों के सम्बन्ध में उनके जहाजों का बीमा हुआ है से मुआवजे का दावा कर रहे हैं।

(ग) 1965 से, भारतीय जहाज पाकिस्तानी पत्तनों पर नहीं जाते। बंगला देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के फलस्वरूप भारत और बंगला देश के बीच व्यापार शुरू हो गया है। भारतीय जहाजों के लिये बंगला देश के लिये था वहाँ से व्यापार में भाग लेना अब सम्भव हो गया है।

भिन्न-भिन्न राज्यों में डिग्री कालेजों के लेक्चरों के ग्रेडों में असमानता

2377. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में डिग्री कालेजों के लेक्चरों के ग्रेडों में काफी असमानता है जिस कारण उनमें भारी असन्तोष है;

(ख) क्या इस असमानता को दूर करने के लिये कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) . विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों के लिये संशोधित वेतन-मानों की योजना (1966-71) जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा शिफारिश की गई थी लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी है। वेतनमानों के पुनः संशोधन के लिये कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की अभिशासन समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में समिति का कार्य प्रारम्भिक स्तर पर है और उसकी सिफारिशें प्राप्त होने में अभी कुछ समय लगेगा।

बिहार में दरभंगा से फार्व्सगंज तक राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण

2378. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री दरभंगा फार्व्सगंज सीमावर्ती सड़क के निर्माण में प्रगति के सम्बन्ध में 2 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा से फार्व्सगंज तक राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण के लिये इस बीच स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) . दरभंगा से फार्व्सगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु बिहार में दरभंगा और फार्व्सगंज के बीच पार्श्ववर्ती सड़क की लुप्त कड़ी के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा मूल्यांकन की नई प्रणाली की सिफारिश

2379. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने 1961–71 की अपनी पुस्तिकाओं में से एक में (अध्याय 2 और 4) परीक्षा के कारण उत्पन्न होने वाला भय दूर करने के लिए मूल्यांकन की एक नई प्रणाली की शिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ तो केन्द्रीय संगठन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) क्या इसके द्वारा अब तक उठाए गए कदमों से भारत में सार्वजनिक परीक्षा की भूमिका बनी रहेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) से (ग) . "राष्ट्र के बच्चों की सेवा में" नामक पुस्तिका में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दस वर्षों में किये गये कार्य पर प्रकाश डालते हुए, रा० शि० अ० तथा प्र० परिषद् ने यह सुझाव दिया है कि परीक्षाओं से उत्पन्न होने वाले भय के भाव को हटा देना होगा । इसने कहा हे कि छात्र की एक श्रेणी से दूसरी में सफलता को सुनिश्चित करने वाली, लीक पर चलने वाली लिखित परीक्षाएं ही प्रगति की प्रमुख संकीर्ण बाधाएं हैं । बाद में, चौथे अध्याय में रा० शि० अ० तथा प्र० परिषद् ने उनके द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत वर्णन किया है । परीक्षाओं को यथार्थ, बनाने के लिये अपनायी जाने योग्य कार्यविधियों की ओर रा० शि० अ० तथा प्र० परिषद् ने ध्यान दिया है । इसने अनेक अध्यापकों तथा परीक्षाओं को इस सुधारी गई कार्य विधि में प्रशिक्षित भी किया है तथा अनेक प्रकाशन निकाले हैं । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आदि द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों ने परीक्षा सुधार के प्रश्न पर विचार किया है । विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये सुझावों का परीक्षण करना राज्य परीक्षा बोर्डों तथा विश्वविद्यालयों पर निर्भर करता है । यद्यपि और अधिक आंतरिक मूल्य निर्धारण करने के लिये सुझाव दिये गये हैं, किन्तु ऐसी समितियों ने सार्वजनिक परीक्षाओं को बिल्कुल हटा देने की सामान्य रूप से सिफारिश नहीं की है । शिक्षा आयोग ने भी जिसने इस समस्या की जांच की, प्राथमिक स्तर की समाप्ति पर जिला स्तर पर एक आम परीक्षा की तथा माध्यमिक पाठ्यक्रम की समाप्ति पर बाहय पब्लिक परीक्षा की सिफारिश की है । 1968 में निर्धारित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि परीक्षा सुधार का मुख्य लक्ष्य परीक्षाओं की विश्वसनीयता तथा प्रमाणिकता को बढ़ावा तथा मूल्यांकन को एक सतत् प्रक्रिया बनाना होना चाहिए, जिसका उद्देश्य विद्यार्थी को अपनी उपलब्धियों का स्तर ऊंचा उठाने में सहायक होना चाहिए, न कि निश्चित समय में उसके कार्य की कोटि को प्रमाणित करने में ।

बिहार में सार्वजनिक परीक्षा

2380. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने बिहार में सार्वजनिक परीक्षा से सम्बद्ध समस्याओं का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Central Wholesale Stores

2381. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether the Department of cooperation looks after the working of cental wholesale stores ;

(b) Tho total nuember of central wholesale stores in the country and the capital invested by the Government therein and whether the above information would be laid on the table of the house; and

(c) Whether a statement of the profit earned and loss incurred by these stores for the last three years to-date would be laid on the table of the house ?

The Deputy Ministr in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) Central/Wholesale consumers cooperative stores, like other cooperative societies, are registered under tee cooperative societies acts of respective states. The statutory and administrative powers in regard to the working of these cooperatives, including audit, supervision, inspection, supervision of management, liquidation of societies, etc., are vested in the state Governments concerned. General guidelines for future development and promotional assistance for the programme are, however, provided to the state governments by the department of cooperation of the central Government, apart from action under central sector schemes adopted in this respect.

(b) and (c) A statement is laid on the table of the house.

Statment

(b)	(i) Number of central/wholesale cooperative stores (at the end of June, 1970).	383
	(ii) Paid up share capital	Rs. 1076·22 lakhs
	(iii) of which Government contribution.	Rs. 700·90 lakhs

(c) Profit and loss incurred by the central wholesale cooperrtive stores*

Particulars	1967-1968	1968-69	1969-70
Profit	Rs. 81·40 lakhs	Rs. 66·88 lakhs	Rs. 68·45 lakhs
Loss	Rs. 141·94 lakhs	Rs 171·42 lakhs	Rs. 337·02 lakhs

राज्यों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का रद्द किया जाना

2382. **श्री ई० आर कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को, कम से कम इस नाम से समाप्त कर दिया है; और

Note : *(The information is based on the latest available statistics published by the Rescrve Bank of India).

(ख) उन राज्यों में ग्राम कल्याण कार्यक्रम अब किस प्रकार चलाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी की सस्ती लागत पर उत्पादन के सम्बन्ध में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधान

2383. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने देश में सस्ती लागत पर चीनी उत्पादित करने के लिये अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो जो अनुसन्धान किया गया है उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या संस्थान को पता चला है कि चुकन्दर तथा मीठी सरगम (जोवार) से भी चीनी उत्पादित की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कहां तक सफलता मिली है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी॰ शिन्दे) : (क) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने कम लागत से गन्ने तथा चीनी की प्रति हैक्टर 'अधिक उपज प्राप्त करने के लिये गन्ना उत्पादन तकनौलोजी विकसित की है । कच्ची सामग्री (गन्ना) चीनी मूल्य का एक मुख्य अवयव है, अत: इन अनुसंधान कार्यों का चीनी उत्पादन की लागत पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।

(ख) अनुसंधान कार्यक्रमों की मुख्य बातें ये हैं —

(1) संयुक्त फसलों के माध्यम से भूमि तथा अन्य आदानों को अधिक कारगर उपयोग करना ।

(2) गन्ने की मूढ़ी फसल की सफल प्राप्ति के लिये कृषि-तकनीकों का विकास करना ।

(3) उचित समय तथा स्थापना के माध्यम से उर्वरक आदानों में सुधार करना ।

(4) विशिष्ट वृद्धि नियन्ताओं का प्रयोग करके अनुकूल परिस्थितियों में गन्ने में चीनी की प्रतिशतता को बढ़ाना ।

(5) रोगों के विरुद्ध गन्ना "सैटों" का पूर्व उपचार और देश में उगाई गई गन्ने की किस्मों की सम्पूर्ण उपज की सम्भाव्यता प्राप्ति के लिये एक अच्छी बीज नरसरी कार्यक्रम की व्यवस्था करना ।

(ग) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तथा अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यों से विशेष रूप से देश के अर्द्ध-उष्ण क्षेत्रों में चुकन्दर की फसल की सम्भाव्यता सिद्ध हो गई है । अभी तक मीठी सोरगम से सफेद चीनी नहीं बनाई गई है, किन्तु प्रयोगात्मक तौर पर इस फसल से देशी खांड बनाई गई है । स्वादिष्टता, पौषकता तथा वाणिज्यिक विशेषताओं का अध्ययन किया जा रहा है ।

(घ) देश के उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों में और फल्टन (महाराष्ट्र) के कुछ स्थानों में

किसानों के खेतों में बड़े पैमाने पर चुकन्दर की खेती करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। श्री गंगानगर (राजस्थान) में और फाल्टन (महाराष्ट्र) में चीनी के दो कारखानों ने चीनी बनाने के लिये चुकन्दर कोसरिसंस्कृत करना शुरू कर दिया है।

नालन्दा में ह्यूनसांग स्मारक

2384. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालन्दा में ह्यूनसांग स्मारक बनाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ हैं :

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या करण हैं और

(ग) यह स्मारक कब तक तैयार हो जायगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) यह ठीक है कि नालन्दा में ह्यूनसांग स्मारक का कार्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है। तथापि, सागोन की दिल्हाबन्दी, पेरिस-पलास्टर की छतगीरी .अवशेष के लिये पीजिका इत्यादि जैसे कार्य की कुछ मदों को छोड़कर मुख्य हाल के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) स्मारक के स्थान और विशेष प्रकार के निर्माण कार्य के कारण विगत में कार्य की शेष मदों के लिए आमंत्रित निविदाओं के प्रत्युत्तर में पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं हुई। यदि भविष्य में संतोषजनक निविदाएँ प्राप्त हुई तो आशा की जाती है कि कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा।

दालों का उत्पादन

2385. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों के उत्पादन में निरन्तर कमी हो रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं: और

(ग) इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गत दशाब्दी में दालों के उत्पादन का स्तर प्रायः एक सा ही रहा है।

(ख) उसके मुख्यः करण निम्नलिखित है:—

(1) दालों की कृषि प्रायः वर्षा सिंचित क्षेत्रों में की जाती है,

(2) इनकी कृषि की अनाज की फसलों से प्रतिस्पर्धा है। किसान दालों की तुलना में अनाजों की खेती को अधिक लाभदायक समझते हैं,

(3) दालों की अल्पावधि अथवा/अधिक उत्पादनशील किस्मों की अनुपलब्धि,

(4) उर्वरकों का कम उपयोग,

(5) उपयुक्त व्यवस्था प्रणालियों का अभाव

(ग) निम्न उपायों का सुझाव दिया गया है :—

(1) बहु-फसली कार्यक्रम में दालों की अल्पावधि अन्तर्वर्ती फसलों का प्रचलन,

(2) दालों के साथ बीच की फसलों की बुवाई,

(3) राइजोबियन कलचर के प्रयोग सहित फौस्फेटिक उर्वरकों का दाल कृषि में प्रयोग,

(4) अरहर, मूंग तथा उड़द की नव विकसित अल्यावधि किस्मों के बीजों का वर्धन,

(5) दालों की अधिक उत्पादनशील तथा रोग-निरोधी किस्मों का विकास,

(6) कृषि तथा रोगों के नियन्त्रण के लिये सक्रिय तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी उपाय,

(7) पैकेज प्रणालियों को अपनाना ।

म्यूनिख ओलम्पिक्स, 1972

2386. **डा० कर्णी सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत का विचार म्यूनिख ओलम्पिक्स में, जहाँ युवा उत्सव और सांस्कृतिक समारोह होंगे, भाग लेने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : यद्यपि भारतीय ओलिम्पिक संस्था के औपचारिक प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, किन्तु ऐसा पता चला है कि विभिन्न खेलों में भारत द्वारा भाग लिए जाने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं । विभिन्न खेल संगठनों को प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने में और म्यूनिख ओलिम्पिक में भाग लेने के लिए टीमें भेजने के हेतु भारत सरकार सहायता करेगी ।

यह आशा की जाती है कि युवा और संस्कृति सम्बंधी कार्यकलापों में भारत के लिए भाग लेना संभव हो सकेगा ।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में वर्षा से भूमि को हुई क्षति की जांच

2387. **श्री गंजाधर मांझी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में भू-संरक्षण योजनाओं सम्बन्धी मेहरामल, मंचामारा और लतागांव गुली नियन्त्रण परियोजनायें 1971 की वर्षा में बह गई थीं, जिससे सरकारी निवेश को भारी हानि हुई और निर्धन अनुसूचित जन जातियों की भूमि को क्षति पहुंची;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जाँच का आदेश दे दिया गया है; और

(ग) उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो०शेर सिंह) : (क) से (ग) : जी हाँ । वर्ष 1971 के दौरान बेमिसाल वर्षा के कारण उड़ीसा राज्य के सूरतगढ़ जिले में मृदा संरक्षण योजना की बिहरामल, मंचामारा और लोटेगांव गुली नियन्त्रण परियोजनायें बह गई थीं । मामले की जांच की जांच की गई है और कार्यकारी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान सभी तकनीकी आवश्यकतायें पूरी की गई थीं । ढांचे गिरने के कारण कृषि भूमि को कोई हानि नहीं हुई है ।

Pay Scales of Laboratory Assistants in Schools/Colleges and University of Delhi

2388. **Shri Chhitrapati Ambesh** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the minimum educational quailfication prescribed for appointment to the posts of Laboratory Assistants in the Science Laboratories of Higher Secondary Schools, Delhi Colleges and the University of Delhi is Higher Secondary pass;

(b) whether the pay-scales of the laboratory Assistants working in Higher Secondary Schools, Delhi are higher than those of their counterparts working in Colleges and University of Delhi, and

(c) if so, the reasons for this discrimination and whether Government propose to bring at par the pay scales of the Laboratory Assistants working in the Higher Secondary Schools Delhi, Colleges and University of Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social welfare and in the Department of culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) : There are two categories of posts of Laboratory Assistants in Science Laboratories of Delhi University and the Colleges affiliated to the University, whereas there is only one category of Laboratory Assistants employed in Higher Secondary Schohls, Delhi. The qualifications as well as the scales of pay for these posts are as under :

Post	Minimum qualifications prescribed	Scale of pay
1. Laboratory Assistants in Delhi Higher Secondary Schools	**Essential**—Matric/Higher Secondary with Science from a recognise University/Board. **Desirable**—At least six months experience as Laboratory Assistant.	Rs. 125—10—195—EB—15—300.
2. Sr. Laboratory Assistants in Delhi Colleges and University of Delhi.	Higher Secondary in Science subjects with previous experience.	Rs. 130—50—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.
3. Jr. Laboratory Assistants in Delhi Colleges and University of Delhi.	Matric or equivalent with Science subjects.	Rs. 110—3—131—4—155 EB—4—175—5—180.

(c) : The pay scale of Laboratory Assistants in Higher Secondary were recently revised, along with certain other categories of Teachers in Delhi, There is no proposal under the consideration of the University Grants Commission for revision of pay scales of Laboratory Assistents of Delhi Colleges and Universities.

Central Aid to Madhya Pradesh for Irrigation Facilities

2389. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state.

(a) The area of cultivable land in Madhya Pradesh where the target of production has not been achieved on account of non-availability of irrigation facilities; and

(b) The assistance provided in the State during 1969-70 and 1970-71 for this purpose and the assistance proposed to be given during the financial year 1972-73 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) According to the latest statistics avoilable for the year 1970-71, the cultivable land in Madhya Pradesh was 221·63 lakh hectares, of which the area sown (net) was 183·52 lakh hectares. About 168·71 lakh hectares of area sown were not provided with irrigation facilities during that period.

(b) According to the pattern in vogue. Central assistance is not related to any individual programme scheme but it is provided by the Centre on block loan and grant basis in respect of Annual Plan as a whole,

Eradication of Unemployment in Madhya Pradesh

2390. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state ;

(a) Whether the Scheme to eradicate unemployment has started functioning in Madhya Pradesh; and

(b) If so, the number of persons provided employment in each Block, particularly in Development blocks in Madhya Pradesh ?

The Minister of State in thc Ministry of Agriculture (**Prof. Sher Singh**) **:** (a) Yes, Sir, The Crash Scheme for Rural Employment is being implemented in the State,

(b) As the labourers benefitted by the Scheme are employed for varying periods on different works, it is more appropriate to go by the number of mandays of emplyment generated rather than by the simple number of persons employed, The employment reported to have been provided till the end of February 1972 was nineteen lakh mandays in the State,

Central Aid to Jabalpur Agriculrure University

2391. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The amount of loans given to the Jabalpure Agrlculture University of Madhya Pradesh out of the loans sought from the world Bank; and

(b) Other facilities asked from the Government for the University ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No loan has been given to the Jawaharlal Nehru Krishi vish Vidayalaya, Jabalpur from the expected world Bank assistance. This University has also not been considared for such assistance,

(b) In accordance with the approved pattern of central financial assistance for establishment and development of Agricultnral Universities in the country, the I. C. A. R. have been giving hundred percent cantral assistance to this University on approved items of expenditure. The total amount of grants released to the University during the period from 1969-70 to 1971-72 is Rs. 1,28,94,795·00.

Report on Implementation of Crash Programme in Madhya Pradesh

2392. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether an officer of the Central Government has been posted at Bhopal for helping the Government of Madhaya Pradesh in implementing the crash programme for providing employnent opportunities in rural areas; and

(b) If so, Whether any report is being submitted to the Central Government by the said officer from time to time ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (**Prof. Sher Singh**) **:** (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

बम्बई–कौंकन–गोश्रा मार्ग को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना

2393. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **नौवहन श्रौर परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई–कौंकन–गोश्रा सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) इस मार्ग को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के बाद केन्द्रीय सरकार इसके लिये कितनी वित्तीय सहायता देगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) 8–3–1972।

(ग) सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के फलस्वरूप इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक विकास करने तथा अनुरक्षण की सम्पूर्ण लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

महाराष्ट्र में पत्तनों के विकास के लिये वितीय साहयता

2394. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से महाराष्ट्र में किन-किन पत्तनों का विकास किया जा रहा है, और

(ख) कितनी सहायता दी जा चुकी है तथा कितनी सहायता का आश्वासन दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) महाराष्ट्र में मिरियावे का छोटा पतन, विकासात्मक उद्देश्यों के लिये ऋण सहायता देने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में सम्मिलित हैं।

(ख) छोटे पत्तनों के विकास के लिये और योजना की प्रगति के आधार पर चौथी योजना में सम्मिलिखत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, इस योजना के लिये व्यवस्थित 107 लाख रुपये के परिव्यय की अपेक्षा अब तक 74 लाख रु० की ऋण सहायता दी गई है। शेष 33 लाख रुपये योजना काल के बाकी के दो वर्षों में दिया जायेगा।

Research by Central Fodder Research Institute Jhansi

2395 : **Dr. Govind Das Richharya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to State :

(a) The main scientific researches and tests conducted so far by the Central Fodder Research Institute, Jhansi under its jurisdiction; and

(b) The action taken to make available to the common farmers the benefits of the results of these researches and tests ?

The Minster of State in the Minisry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Indian Grassland and Fodder Research Institute an Jhansi is organised in to 5 Divisions relating to Plant Improvement, Soil science & Agronomy, Grassland Menagement, plant-animal relationship, Weed Ecolgy and control, and 4 sections consisting of Farm, Agricultural Engineering, Statistics and Library. The Institute carries out basic and applied research on grasses and different varicties of fodder crops for evolving high-yielding varieties and cultural practices for obtaining maximum yields.

In the Divisioh of plant Improvement, two promising cultures of Lucerne having superior ability to recover after each cut and higher seed setting ability have been identfied. These cultures give yield up to 880 Q/ha in either cuttings. Two promising cultures of cowpea, one each for single and double cut having, yield of 323 and 363 Q/ha green fodder respectively have been isolatod, These caltures having as high as 25% protoin on dry weight basis are being utilised in hybridisation programme aimed at evolving high-yielding nutritive varieties. Two promising sclections for single cut and one for multiple cuts were made in jowar. These cultures, in addition to giving high yield of green fodder, are found to be sweet having low HON content. Among other grasses, two promising selections yielding up to 1227Q/ha green fodder were selected in **Pennistum pedicellatum** which is considered as a promising substitute of jowar. These materials are now being adequately multiplied for large scale multi locational tests under different agro-climatic conditions of the country for determining their adaptability and agronomic stability,

Research work has been carried out in the Division of soil Science & Agronomy on devoloping modern agrenomic practices in the use of fortilizor application, soil water management, cultural practices and micronutriont studies both in respect of forage and seed production. Study has also been in progress on the feasibility and economics of introducing forage crops in the existing cropping patterns.

The Division of Grassland Management has carried out work on evolving efficient economical and practical methods of improvement, managment and utilisation of natural grasslands with a view to produce livestock products with maximum efficiency.

In the Division of Planr-Animal Relationship, research work has been carried out on the digestibility of differnt types of grasses and foddor crops. In order to increase the pace of screening a large number of varieties of forage crops in vitro technique for determination of digestibility has been standardised in the Institute, Technique has been developed for ensiling a 2:1 mixture of cowpea and green maize which was found to provide the maintonance requirements af the animals. An officient and economic mothod of making high-grade berseem hay has also been dovelopad.

The Division of weed Ecology & Control has carried out research on all aspects of woods and their control through the use of chemical herbicides.

The Agriculturae Engineering Section has developed an animal drawn irrigation channel-cum-bund former which can form channels of desired size in single operation. Simple and inexpensive smoke screen gonerator for protecting crops from frost during winter has also been deveoped. A country plough mounted seed drill for sowing lucerne and other crops on the ridge has been designed. The Institute has also devoloped a herbicide applicatior with different types of injection nozzles for spot application of herbicides/weedicides in the plants.

(b) The results of research conducted at the Indian Grassland & Fodder Research Institute are brought to the notice of Directors of Agriculture, Directors of Animal Husbandry, Milk Commissioners of the States and to the Directorate of Agricultural Extension in the Ministry of Food & Agriculture for dissemination to the farmers. In additian, research and popular articles are published in regional languages and are made available to the farmers. The Institute has recently established a Division of Extonsion, which will be directly responsible for making available the results of rcsearches to the farmers.

Setting up of Central Institute of Higher Study and Research in ayurvedic Literature at Jhansi.

2396. **Dr. Govind Das Richharia** : Will the Minister of **Health and Femily Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4557 on the 12th July, 1971 and state :

(a) The action proposed to be taken by Government against the officers responsible for the inordinate delay in implementing the scheme to establish a Central Institute for Advanced Studies and Research in Ayurvedic Literature at Jhansi: and

(b) The further time likely to be taken by Government in setting up the said Institute ?

The Mintsrer of State in the Ministery of Health and Family Planning Prof. (D. P. Chattopadhyaya) (a) There has been no inordinate delay on the part of any officer.

(b) It is rather difficult to assess the time, as legal, financial and other aspects involved in the setting up of the Institute are being examined.

Cases of T. B. M. and Lumber Puncture in Delhi Hospitals

2397- **Shri Narendr Singh Bisht** : Will the Minister of **Health and Fnmily Planning** be pleased to state :

(a) Whether in the case of children suffering from T. B. M. and similar other diseases lumber puncture is performed in Safdarjang and other Government hospitals in Delhi. and whether no cure of such diseases exists in the Allopathic system of medicine.

(b) Whether on account of taking out water from below the backbone, the child either loses his eyesight fore ever or become mentally retarded; and

(c) If so, the number of chiidren in whose cases such type of lumber puncture was performed in safdarjang Hospital. All India institute of medical sciences. Willingdon Hospital and Kalavati saran hospital, separately from January, 1971 to December, 1971 and the number out of them died in Hospital and of those, died after they were discharged from Hospital ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) Yes, lumber puncture is performed in safdarjang and in other Government hospitals in Delhi on cases of T. B. M. and many other conditions. both for diagnestic and treatment purposes. T. B. M. is curable with anti-tubercular treatment providid the patient comes up for timely treatment.

(b) No. it is not correct that the child loses his eye-sight or becomes mentally retadid as a result of lumber puncture.

(c) As lumber puncture is very common procedure for diagnostic and curative purposes no special records are maintained at any hospital. No data on the number of lumber punctures performed at the various hospitals between January. 1971 to December, 1971 is therefore available.

Treatment of Cases of T. B. M. Gouts and Eczema etc. Through Ayurveda and Homoeopathy

2398. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) Whether the diseases like T. B. M., gouts eczema and hysteria cannot be cured permanently by allopathy;

(b) If so, the diseases for which on permanent cure exists in allopathy; and

(c) Whether Government propose to make arrangements for the treatment of such diseases in hospitals through doctors qualified in Ayurcvedic and homoeopathic system of medioines, and if so, main features thereof ?

The Minister of state in the Ministry Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadyaya) : (a) and (b) . (i) T. B. M. is a disease caused by tubercular bacili and permanent cure can be achieved by instituting anti-tubercular treatment provided the patient

comes up for timely treatment.

(ii) Gout is a metabolic disorder involving uric acid metabolism and the disease can be kept well under control by dietary and other treatment.

(iii) Fczema is not a disease but it is a morphological complex seen on the skin which can be caused by various rsasons such as :—

(a) Infection

(b) Fungus Infection

(c) Suborhic Dermatitis

(d) Allergy

The allergies which cause eczema can also be of various types as follow:—

(a) Contact allergic dermatitis

(b) Drug dermatitis

(e) Atopic dermatitis

Of all the above causes, only atopic allergy, the liability of which is inherited, is difficult to be cured by allepathic medicins but it can be controlled. The rest can be cured by allopathic treatment.

(iv) Hysteria can be due to various psychological causes and the psychiatrists are able to cure the condition in most of the cases.

(c) Government of India has not started Homoeopathic hospitals so far. However, treatment of diseases like T. B. M., gouts, eczema and hysteria is available through qualified physicians in Ayurvedic and Homoeopathic systems working in Homoeopathic and Ayurvedic Inststutions.

Reopening of Mohani Sugar Mills Warsaliganj, Bihar

2399. **Shri Sukadeo Prasad Verma :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether as a result of closure of Mohani Sugar Mills, Warsaliganj in Gaya District of Bihar State the financial condition of farmers of this area has become miserable as sugarcane was the only cash crop of this area;

(b) Whether Gaya District is backward from the industrial point of view; and

(c) If the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government propose to reopen the Mohani Sugar Mills, warsaliganj, and if so, when ?

The Minister of state in the Ministry of Agricultnre (Prof. Sher Singh) : (a) The Mohani Sugar Mill. warsaliganj, has not been working since 1967-68 and the cane grown in the area is utilised mainly for manufacture of gur and khandsari, Closure of the sugar mill has affected the can growers of the area to some extent.

(b) Yes, Sir,

(c) The Government of Bihar had considered a proposal to run this mill on a co-operative basis, but due to the continued weak economic condition of co-operative mills, they could not proceed further.

उत्तर प्रदेश में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना

2400. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की भांति उत्तर प्रदेश में एक उर्दू

विश्वविद्यालय की स्थापना करना मान लिया है ।

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय की रूपरेखा भेजी गई थी, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो०एस० नुरूल हसन): (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न की उत्तर प्रदेश सरकार जो कि इस मामले से संबन्धित है जांच कर रही है । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं ।

मन्त्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

2401. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या बहुत से क्वार्टर मन्त्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों को, उनके अपने ही निर्धारित वर्ग में, 'विना वारी' के आवंटिन किये गये हैं ;

(ख) उनमें से ऐसे कर्मचारी कितने हैं जो अब मन्त्रियों के वैयक्तिक कर्मचारी नहीं रहे ; और

(ग) अपने निर्धारित वर्ग में क्वार्टरो के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवाहर के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अब तक दिल्ली । नई दिल्ली के सामान्य पूल में 243 रिहायशी एककों को मन्त्रियों के वैयक्तिक स्टाफ को तदर्थ आधार पर आवंटित किये गये हैं, इनमें से 241 को उचित टाइप में दिये गये हैं तथा शेष दो को उससे अगली निचली टाइप में दिये गये हैं ।

(ख) ऐसे कोई आँकड़े सम्पदा निदेशालय में उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) मन्त्रियो के वैयक्तिक स्टाफ को उनकी अपनी ही श्रेणी के क्वार्टरों के तदर्थ का आवंटन का कारण यह है कि उन्हें मत्रियों के कार्यालयों तथा निवास स्थानों पर समय असमय काम करना पड़ता है ।

सरकारी कर्मचारियों को उनके अपने वर्ग में क्वार्टरों का आवंटन

2402. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी अग्रता तिथि 31 दिसम्बर, 1944 और इससे भी पूर्व की है, उनके अपने वर्ग में विशेषकर टाईप-4 में क्वार्टर आवंटित नहीं किये हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है, और उनको अपनी वारी पर कब तक क्वार्टर मिलने की संभावना है ,

(ख) क्या इस श्रेणी के कर्मचारियों को सबसे अधिक कष्ट हुआ है और क्या उनकी सेवा निवृत्ति से पूर्व उन्हें निर्धारित वर्ग का क्वार्टर मिलने की कोई संभावना है, और

(ग) उनकी स्तिथि को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जानी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्रीं (श्री आई० के० गुजराल) (क) : 4-4-1972 तक दिल्लीं । नई दिल्ली में सामान्य पूल के विभिन्न टाइपों में जिस प्राथमिकता की तिथियों तक (क्वार्टर) दे दिये गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

टाइप	प्राथमिकता की जिस तिथि तक दे दिये गये हैं
i	14–1–1955
ii	3–3–1947
iii	28–8–1946
iv	11–5–1943
v	22–5–1950
vi	9–7–1960
vii	19–9–1962
viii	30–9–1962

टाइप iv के पात्र 702 कर्मचारी जिनकी प्राथमिकता की तिथियां 11–5–1943 से 31–12–1944 के बीच हैं, अभी आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कब वास उपलब्ध किया जायेगा। चौथी पन्च वर्षीय योजना के दौरान, दिल्ली। नई दिल्ली के सामान्य पूल में टाइप Iv में 2,066 रिहायशी एककों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ख) टाइप II (26.02 प्र० श०) तथा टाइप III (48.65 प्र० श०) में परितुष्टि की प्रतिशतता की तुलना में, टाइप Iv में परितुष्टि की प्रतिशतता अपेक्षाकृत काफी अच्छी (64.54 प्र० श०) है।

(ग) अपने कर्मचारियों के रिहायशी वास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, सरकार के पास निरन्तर निर्माण का एक कार्यक्रम है जो निधियो, निर्माण-सामग्री, भूमि की उपलब्धता तथा तकनीकी क्षमता पर निर्भर है।

त्रिपुरा और कछार जोन में नये विश्वविद्यालय की स्थापना

2403. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि क्या आसाम के त्रिपुरा और कछार जोन में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : त्रिपुरा में विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भीं सिद्धान्ततः यह निर्णय किया गया है कि मुख्यतः उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए शिलांग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय।

त्रिपुरा में मेडिकल कालेज की स्थापना

2404. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा में एक मेडिकल कालेज की स्थापना का कोइ प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : जी नहीं। त्रिपुरा में एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Improvement In Drains in the Servants Quarters of M Ps.

2405. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether in the new kitchens constructed in Servants quarters of **M. Ps.** at North and South Avenues, New Delhi no improvement has been made in the drains of quarters located on ground floor as a result of which water accumulates in the quarters and even iron meshes have not been provided ; and

(b) the steps being taken by Government for affecting improvement in the drains ?

The Minister of state in the Ministry of works and Housing (Shri I. K. Gujral) ; (a) No, Sir. Iron gratings have been provided over the open surface drains.

(b) Periodical cleaning of drains is being done.

Installation of Fans in Servant Quarters of Members of Parliament

2406. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works and Houisng** be pleased to state :

(a) whether Members of Parliament have been demanding installation of fans in their servant quarters for a very long time ;

(b) whether fan points have been fitted there ; and

(c) if so, the time by which fans are likely to be installed ?

The Minister of state in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) According to the present policy of Government, only fan points and clapms have been provided in the servants quarters. It is for the occupants to arrange their own fans, if they so desire. The question of Government installing fans in these quarters, therefore, does not arise.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल अफसरों को रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र"

2407. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री 3 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1010 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अधीक्षक इन्जीनियरों ने कुछ अस्थायी सेक्शनल अफसरों को भी "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी किये हैं, क्योंकि रोजगार कार्यालयों ने इसके लिए आग्रह किया था जबकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी गिये गये अनुदेशों के आधार पर कुछ अन्य अधीक्षक इन्जीनियरों ने ऐसा नहीं किया ;

(ख) क्या विभिन्न अधीक्षक इन्जीनियर गृह मन्त्रालय के नवीनतम अनुदेशों के अनुरूप केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अर्ध-स्थायी और स्थायी कर्मचारियों को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी नहीं कर रहे हैं; और

(ग) कितने अर्ध-स्थायी एवं स्थायी अवर इन्जीनियरों से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और कितने लोगों को यह प्रमाणपत्र जारी किये गये और कितनो के आवेदन पत्र विचाराधीन है तथा उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशानुसार, अस्थायी कर्मचारियों को अपना नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कराने के लिये "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। फिर भी, उन अस्थायी कनिष्ठ इन्जीनियरों को ऐसे प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं, जो इन्हें विशेष तौर पर मांगते हैं।

(ख) जी, नहीं। स्थायीवत तथा स्थायी कर्मचारियों को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी किये जाते हैं बशर्ते कि वे गृह मत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(ग) सूचना निम्न प्रकार हैं :—

प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किए गये "अनापत्ति" प्रमाणपत्रों की संख्या	निलम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	आवेदन पत्रों के निलम्बित होने के कारण
43	40	3	3 आवेदनों में से 2 ने, "ऐसे प्रमाण पत्र" जारी करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया, तथा तीसरे आवेदन के सम्बन्ध में, आदवेक से कतिपय सूचना मांगी गई है जिसकी अभी तक प्रतीक्षा है।

Demonstration by Aligarh University's Students Before Prime Minister's Residence

2408. **Shri Y. S. Mahajan** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether students of the Aligarh University demonstrated outside the residence of the Prime Minister on the 23rd March, 1972;

(b) if so, what were their demands : and

(c) the steps taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) About 250 stutents from the Aligarh Muslim Uuiversity demonstrated near the Prime Minister's residence on March 23, 1972;

(b) Their demands, as given in the Memorandum submitted by them. briefly are :—

(i) introduction of a Bill in Parliament for restoration of minority and residential character and autonomy of the Aligarh Muslim University, and

(ii) fullest justice to the recommendations of the eight man sub-committee appointed by Shri Fakhruddin Ali Ahmad in drafting the Bill.

(c) Government propose to introduce a Bill. generally on the basis of the recommendations made by the Gajendragadkar Committee; and taking into account all relevant factors.

चीनी उद्योग के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन

2409. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए नियुक्त आयोग अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगा ;

(ख) क्या इस बारे में कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) : चीनी उद्योग जांच आयोग को 31 अगस्त, 1972 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ख) : जी नहीं।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा राज्यों को दिए गये ऋण

2410. **श्री के० कोंड्डारामी रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने कुछ राज्यों को ऋण दिये हैं ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) क्या इस योजना में शेष राज्यों को भी सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वित्तीय सहायता किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं है। यह आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा प्राप्त तथा उचित छानबीन के पश्चात मंजूर की गई आवास योजनाओं के आधार पर सभी राज्यों को उपलब्ध की जाती है।

विवरण

क्रम संख्या राज्य । राज्य आवास बोर्ड का नाम	आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा मंजूर किया गया ऋण (14-3-72 तक) (लाख रुपयों में)	ब्याज की दर
1. गुजरात आवास बोर्ड	250	7½ प्र० श०
2. महाराष्ट्र आवास बोर्ड	695	6½ प्र० श०
3. केरल आवास बोर्ड	75	7½ प्र० श०
4. तमिलनाडु आवास बोर्ड	238	7½ प्र० श०
	625	6½ प्र० श०

5. दिल्ली विकास प्राधिकरण	300	6½प्र० श०
6. उत्तर प्रदेश	704	7½प्र० श०
	103	6½प्र० श०
7. राजस्थान	228	7½प्र० श०
	105	6½प्र० श०
8. हरियाणा	24	6½प्र० श०
9. पंजाब	100	7½प्र० श०
10. मध्य प्रदेश	39	7½प्र० श०

टिप्पणी :— गन्दी बस्ती उन्मूलना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये आवास जैसी योजनाओं में जिनमें 25 प्र० श० से अधिक व्यय सामाजिक प्रकार के कार्यों पर होता है, $6\frac{3}{4}$ प्र० श० ब्याज की सहायता प्राप्त दर पूंजी लगाई जाती है, जिसके समय पर भुगतान करने पर $\frac{1}{4}$प्र० श० छूट दी जाती है। अन्य सभी योजनाओं पर सामान्य ब्याज की दर पर (आज कल 8 प्र० श० है जिसके समय पर भुगतान पर ½प्र० श० छूट प्राप्त है) पूंजी लगाई जाती है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम पर नई दिल्ली में समाज-शास्त्रियों का सम्मेलन

2411. **श्री के० कोंड्डारामी रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में हुए समाज-शास्त्रियों के सम्मेलन में सामान्य रूप में ऐसी सहमति व्यक्त की गई थी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम इतना सफल नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए था और यदि हां, तो समाज शास्त्रियों ने इसके क्या कारण बताये हैं ; और

(ख) क्या समाज-शास्त्रियों के अभिमतों को ध्यान में रखते हुये वर्तमान कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का विचार किया गया है और यदि हां, तो ऐसे नये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) गोष्ठी के संवाददाता द्वारा दी गई सूचनानुसार चर्चा का संक्षिप्त सारांश संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1207/72]**

(ख) गोष्ठी जो 26 मार्च को समाप्त हुई उसमें दी गई टिप्पणियों की जांच की जा रही है ।

सप्रू हाउस लाईब्रेरी का विभाजन

2412. **श्री के० कोंड्डारामी रेड्डी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

सप्रू हाउस स्थित वर्तमान लाईब्रेरी में पुस्तकों, दस्तावेजों पत्रिकाओं समाचार पत्रों की कतरनों की संख्या कितनी कितनी है और इनका विभाजन किस आधार पर किया जाना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल

हसन) : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :—

(क) पुस्तकें	1,44,614
(ख) प्रलेख	1,38,000
(ग) हाल ही में प्राप्त पत्रिकायें	1,994
(घ) समाचार पत्रों की कतरने	8,60,000

जिस आधार पर यह पुस्तकालय विभाजित होने जा रहा है वह अभी तक इंडियन कार्डसिल आफ वर्ल्ड एफेयर्स तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

एग्रो-इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, केरल के कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापन

2513. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल एग्रो-इण्स्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के कर्मचारियों से उनकी शिकायतों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) यह अभ्यावेदन बोनस, पदोन्नति पद्धतियो, मकान किराया भत्ता तथा कुछ अन्य मामलों सम्बन्धी मांगों से सम्बन्ध था। चूंकि यह मामला पूर्णतया प्रशासनिक व्यवस्था के विषयो में था, अतः केरल कृषि-उद्योग निगम लिमि० से ही इसका सम्बन्ध था। निगम से अनुरोध किया गया कि वह इन मामलों पर विचार करें और की गई कार्यवाही से इस मन्त्रालय को सूचित करें। उन्होने सूचित किया है कि इन मामलों में से अधिकांश के बारे में निपटारा हो गया है और अब कोई बड़ा मामला अनिर्णीत नहीं है

चालू वर्ष में खाद्यान्न का आयात

2414. **श्री मती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितने खाद्यान्न का आयात करने का विचार है, और

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्यान्न आयात करने का कोई विचार नहीं है लेकिन पिछले वर्षो में किये गये वायदों के आधार पर लगभग 3 लाख टन खाद्यान्नों का आयात करने की सम्भावना है।

(ख) क्योंकि ये आयात पहले से किए गये वायदों से संबंधित होंगे जिसका भुगतान रुपयों में किया जाएगा तथा उपहार के रूप में आयात होगा इसलिए विदेशी मुद्रा की अनुमानित आवश्यकता 10 करोड़ रुपये से अधिक न होने की संभावना है।

ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के लिए क्विलोन, केरल को केन्द्रीय सहायता

2415. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण बेरोजगारी समाप्त करने के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल राज्य के क्विलोन जिले के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1971-72 में 19.58 लाख रुपए

(ख) 19.58 लाख रुपए ।

(ग) चूंकि इस योजना से लाभान्वित श्रमिकों को विभिन्न कार्यों में भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए काम में लगाया जाता है, अतः काम में लगाए गए व्यक्तियों की निरी संख्या की अपेक्षा पैदा किए गए रोजगार के श्रमदिनों की संख्या को लेना अधिक उपयुक्त है । राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फरवरी 1972 के अंत तक 2.70 लाख श्रमदिनों का रोजगार उपलब्ध किया गया था ।

कमला नेहरू स्मारक सामूहीय विकासन समाजन के लिए भवन अनुदान

2416. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य के क्विलोन स्थित "श्री कमला नेहरू स्मारक सामूहिक विकासन-समाजन" से भवन अनुदान दिये जाने के सम्बंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका सारांश क्या है तथा उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय की गई धनराशि

2417. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो बर्षों में केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथों पर कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

	राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल कार्य) रु० लाखों में	राष्ट्रीय राजमार्ग अनुरक्षण रु० लाखों में	कुल रु० लाखों में
1970-71	97.81	35.41	133.22
1971-72	135.75	25.04	160.79

(अंतिम नियतन)

1971-72 में राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल) कार्यों के लिए 160.05 लाख रुपये की बजट व्यवस्था थी, परन्तु अन्तिम नियतन वास्तविक आवश्यकताओं तक ही सीमित थे ।

आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली में तकनीकी सहायक का पद

2418. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी सहायकों के दो स्थान जिनमें से एक अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों के लिए तथा दूसरा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित है और जिनके लिए 14 तथा 16 मई को आल इन्डिया इंस्टीट्यूट आफ मैंडिकल साइसेज नई दिल्ली में साक्षात्कार किये गये थे, अभी तक रिक्त पड़ें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दोनों पदों पर इन जातियों के प्रत्याशियों की नियुक्ति करने के लिए इन्स्टीट्यूट के अधिकारियों ने कौन से कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो डी० पी० चट्टोपध्याय) : (क) जी हाँ।

(ख) इन पदो को भरने के लिए इस संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के उम्मीदवारों से नए आवेदन-पत्र मांगने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के कृषकों को दिये गये उर्वरक तथा बाढ़ ऋणों की माफी

2419. **श्री समर गुह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ हुई नई सरकार द्वारा राज्य के कृषकों को, जिन्हें पिछले पाच वर्षों में विभिन्न भागो में क्रमिक बाढ़ो का सामना करना पड़ा था, दिये गये कृषि ऋणों की बकाया, लगभग 9 करोड़ रुपये की राशि माफ करने के निर्णय की ओर दिलाया गया हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन ऋणों में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये उर्वरक ऋण जैसे ऋण भी सम्मिलित है ;

(ग) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा माफ किए जाने वाले कृषि ऋणों में से केन्द्रीय ऋणों की राशि क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य के ऐसे कृषकों को, जिन्हें पिछले पाँच वर्षों में 3 बाढ़ों का सामना करना पड़ा है ; दिये गये उर्वरक और अन्य बाढ ऋणों को माफ करने के संबंध में उसी प्रकार का निर्णय लेगी ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने कृषि ऋण अधिनियम 1884 के अधीन राज्य सरकार द्वारा कृषको को 31-3-71 तक दिये गये उन सामूहिक ऋणों की माफी की स्वीकृति दी है, जिनकी वापसी की काफी अवधि बीत जाने के बाद भी वसूली न हो सकी थी । यह निर्णय (1) विद्यमान आर्थिक संकटों तथा (2) कृषकों को बैंकों तथा अन्य ऋण संस्थाओं की उदार ऋण क्रियाविधियों का लाभ दिलाने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि इनका वे सामूहिक ऋणों की अदायगी न किये जाने की अवधि में लाभ न उठा सके थे । 31–3-71 को बकाया सामूहिक ऋणों की कुल राशि लगभग 8.90 करोड़ रुपये बतायी गयी है । व्यक्तिगत मामलों में जिला अधिकारी तथा मन्डल आयुक्त अपने अधिकारों के अनुसार अधिकृत सीमा तक ऋण से छूट स्वीकार करेंगे । अन्य मामलों में ऋण की माफी का अधिकार राजस्व बोर्ड को ही प्राप्त है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिया गया उर्वरक ऋण राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त 'क' में उल्लिखित अधिनियम के अन्तर्गत विपरित नहीं किया जाता। अतः यह राज्य सरकार द्वारा सामूहिक ऋणों की माफी के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत नहीं आता।

(ग) प्रश्न ही नहीं हाता।

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले विभिन्न वाढ़ राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषको को प्रत्यक्ष रूप से ऋण न दिया जा कर सम्बन्धित राज्य सरकार को पुर्नअदायगी की विशिष्ट शर्तो के अन्तर्गत दिया जाता है। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा उर्वरक तथा अन्य ऋणों की माफी का प्रश्न ही नहीं होता।

लक्षद्वीप तथा मिनिकाय द्वीपों के तटों पर फास्फेट के बहुत बड़े निक्षेपों का होना तथा कृषि के उत्पादन के लिये उनका उपयोग

2420. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या लक्षदीप तथा मिनिकाय द्वीप समूह के तटों पर करोड़ों रुपयों के मूल्य फास्फोट के निक्षेप बेकार पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये इनके उपयोग के बारे में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इनका उपयोग करने की दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। यह फास्फेट के भण्डार केरल तट से दूर अरब सागर में लक्ष्य द्वीप मिनिकाय और अन्य सम्बन्धित द्वीप समूहों के तटों पर हैं। यह माल गुआनो व्युत्पत्ति और दाने के समान अच्छी रेत के आकार का है, इसमें लगभग 12.16 प्रतिशत पी 2 ओ 5 के तत्व हैं जिनमें अधिकांश सिट्रेट सोल्योबल अर्थात् पौद उपलब्द है। अनुमानित भण्डार कई लाख मीटरी टन है। इनमें पी 2 ओ 5 तत्व कम है अतः इन्हें फास्फेटिक उर्वरक बनाने के लिये उद्योग में उपयोग नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) : इस माल के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किये परीक्षणों से पता चलता है कि यह कम फास्फेटिक युक्त सामग्री फसल उत्पादन के लिये विशेषकर लवणीय मृदा क्षेत्रों में काफी अच्छी है। इस माल को सीधे उर्वरक के रूप में प्रयोग करने के लिये प्रक्रिया सने की कोई जरूरत नहीं है। यह ढ़ीली है अतः खनिज की कोई समस्या नहीं है।

भारतीय संसाधनों और कूड़ा आदि के प्रयोग और साथ ही लक्ष्यद्वीप, मिनिकाय और सम्बंधित द्वीपों के तटों पर फासफेट के महान् भंडारों के प्रयोग के प्रस्ताव सहित, फास्फेट उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने वैज्ञानिक और तकनीलोजी पर राष्ट्रीय आयो गके पेनल को प्रस्तुत किये हैं। आगे कार्यवाही पेनल की सिफारिशों पर निर्भर करती है।

दिल्ली के मनोहर पार्क एवं अन्य कालोनियों में दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो खोलना

2421. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनोहर पार्क, मदन पार्क, चुन्ना मल पार्क, अशोक पार्क, जयदेव पार्क, दिल्ली–35, में दिल्ली दुग्ध योजना का कोई दुग्ध डिपो नहीं है,

(ख) क्या इन कालोनियों में लगभग 20,000 लोग रहते हैं और दूध प्राप्त करने में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और

(ग) यदि हां, इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) यद्यपि इन क्षेत्रों में दिल्ली दुग्ध योजना का कोई दुग्ध डिपो नहीं है, तथापि निकटवर्ती क्षेत्रों में 2 फरलांग से एक मील तक के फासले पर 4 प्रातःकालीन और 4 सांयकालीन डिपो हैं ।

(ख) इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का सही संख्या ज्ञात नहीं है । परन्तु दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि इस क्षेत्र को टोकनधारियों की संख्या बहुत कम है । जैसा कि ऊपर बताया गया है ये टोकनधारी अपना दूध निकटवर्ती डिपुओं से लेते हैं ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के विस्तार कार्यक्रम के आगामी क्रम में क्षेत्र के टोकन धारियों की मांग के अनुसार वहां एक या दो दुग्ध केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं ।

महानगरों में बस सेवा में सुधार के लिए तमिलनाडु के मन्त्री का अनुरोध

2423. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के परिवहन मंत्री ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में बस सेवा में सुधार के लिए सहायता देने में पहल करें, ?

(ख) यदि हां, तो उनके अनुरोध का सारांश क्या हैं, और

(ग) इन नगरों में बस सेवा के सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तमिलनाडु के परिवहन मंत्री की ओर से सरकार को ऐसी कोई भी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों को प्रयोग किये जाने की धमकी के समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व

के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे :—

अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम के विरुद्ध भीषण हवाई और नौसैनिक कार्यवाही की जाने तथा परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किये जाने की धमकी के समाचार।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत सरकार वियतनाम की हाल की घटनाओं से गम्भीर रूप से चिन्तित है। पिछले वर्ष के अन्त तक, दोनों पक्ष पेरिस में विचार-विमर्शकर रहे थे और यह आशा की जाती थी कि शांतिपूर्ण समझौता हो जाएगा।

राष्ट्रपति निक्सन द्वारा 1971 में रखा गया 8 सूत्री प्रस्ताव, संयुक्त राज्य की प्रारम्भिक स्थिति से एक कदम आगे था। लेकिन, दिसम्बर 1971 के अन्त में अमरीकी पक्ष ने वियतनाम में बमबारी फिर शुरू कर दी। 1 फरवरी, 1972 को, राष्ट्रपति निक्सन की 8 सूत्री प्रस्ताव के उत्तर में अस्थायी क्रांतिकारी सरकार ने दो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए, जिनका स्वरूप हमने रचनात्मक समझा और जिनसे शांतिपूर्ण समझौते के और मार्ग ढूंढने में सहायता मिलती। लेकिन अमरीकी पक्ष की ओर से कोई रचनात्मक उत्तर नही मिला। 23 मार्च 1972 को, अमरीकी पक्ष ने पेरिस शांति वार्ता में शामिल न होने का निश्चय किया और संयुक्त राज्य अमरीका ने यह बमबारी इस आधार पर और तेज कर दी कि उन्हें आक्रमण की आशंका है। इसका परिणाम यह हुआ कि विसैन्यकृत क्षेत्र के दक्षिण में वियतकांग के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। अप्रैल के प्रथम सप्ताह से भूमि पर के अड्डो तथा विमानवाही जहाजों से संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा बमबारी और भी तेज कर दी गई है।

भारत सरकार ने हमेशा इस बमबारी का विरोध किया है और वह आशा करती है कि यह बमबारी तुरत बन्द हो जाएगी। वियतनाम की भूमि से सभी विदेशी सैनिक हटा लिए जाएंगे और वियतनाम की जनता को अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करने दिया जाएगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : खेद है कि वियतनाम में अमरीका सरकार के नग्न आक्रमण के बावजूद भी मन्त्री महोदय केवल यही कहते कि भारत सरकार हमेशा बमबारी का विरोध करती आ रही है और आशा है कि बमबारी शीघ्र बन्द हो जायेगी परन्तु मैं नहीं समझा कि दुनिया का आजका सबसे बड़ा साम्राज्यवादी तथा अपराधी प्रेजीडैंट निक्सन इसको बंद कर देगा।

अमरीका वियतनाम में अणु अस्त्रों का उपयोग भीं करेगा हाल में ही सातवें बेड़े की शक्ति दुगनी कर दी गयी है। इतनी अतुल शक्ति के बावजूद भी अमरीका वियतनाम में उतर नहीं सकेगा।

हमने वियतनाम को पूर्ण मान्यता प्रदान कर दी है। मुझे आशा है कि भारत सरकार अमरीकी साम्राज्यवादियो के इस निर्मम आक्रमण की अवश्य निंदा करेगा। परन्तु इसके साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ कि लेकिन अमरीकी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार करने के के लिये हमने अब तक क्या किया है।

पाकिस्तान के साथ हमारे तथा बंगला देश के चौदह दिन के युद्ध के दौरान अमरीका का हमारे प्रति क्या रवैया रहा सर्व विदित है क्या सरकार इसे भूल सकती है? अमरीका अपना सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में ले आया था। परन्तु उसको भी वापस जाना पड़ा। उसी प्रकार वियतनाम से भी उन्हें वापस जाना पड़ेगा। आज अमरीका के लोग भी इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं।

हमें सैगोन की सरकार की मान्यता वापिस ले लेनी चाहिए। दक्षिण वियतनाम सरकार को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही है ? प्रधान मन्त्री की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

अमरीका आज सारे संसार को बरबाद करना चाहता है। यदि हम श्री निक्सन की निंदा नहीं करते तो हम अवश्य ही कुछ खो बैठेंगे। आज सारे देश की सहानुभूति मुक्ति संग्राम में लगे वियतनाम के लोगों के साथ है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार मेरी सभी बातों पर ध्यान देगी तथा सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देगी।

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक वियतनाम में अणुशस्त्रों के संभावित प्रयोग का प्रश्न है इस बारे में मैं बता चुका हूँ कि हम ऐसी किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध हैं क्योंकि इससे विश्व में स्थिति खतरनाक हो जायेगी। मुझे प्रसन्नता है कि वाशिंगटन से एक सरकारी वक्ता ने कहा है कि अणु-शस्त्रों के प्रयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या सरकार सैगौन स्थित मुख्यालय की दक्षिण वियत-नाम सरकार की मान्यता को वापस लेने को तैयार है। हमने उन्हें व्यवहारिक रूप में मान्यता दी हुई है। हमारा एक महावाणिज्य दूत भी वहां पर है। हनोई में हमने दूतावास स्थापित करके अपने प्रतिनिधित्व का स्तर ऊंचा कर दिया है। इस समय हमारा विचार सैगोन से महावाणिज्य दूत को वापस बुला लेने का नहीं है। जहां तक अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार का प्रश्न है मैं बता चुका हूँ कि सैगौन में हमारा महावाणिज्य दूत कार्यालय है। इसके साथ साथ हम अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता नहीं दे सकते हैं। अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनु-सार मान्यता देने योग्य भी नहीं है। **(व्यवधान)** परन्तु हम इस सरकार से तथा इसके कुछ नेताओं से अपना निकट का सम्पर्क बनाये हुये हैं।

मैं बताना चाहता हुँ कि भारत जैसा बड़ा देश बमबारी के विरुद्ध हैं और हमारी निश्चित धारणा है कि बमबारी बन्द की जानी चाहिए। संसार के अधिकांश देश हमारे विचार का समर्थन करते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : माननीय मन्त्री ने बताया है कि विदेशी सेनाओं को वहाँ से चले जाना चाहिए। ये विदेशी सेनाये कौन सी है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूँ कि वह जानते हैं कि विदेशी सेनायें कौन सी हैं ?

वहां से विदेशी सेनाये हटाए जाने से मेरा तात्पर्य यह है कि वहां दक्षिण कोरिया जैसे अम-रीकी मित्र राष्ट्रों के सेनाये भी हैं। ये सेनाये वहां से हटाई जानी चाहिए।

श्री पी० वेंकटासुब्बाया (नन्दयाल) : मन्त्री महोदय ने बताया है कि वाशिंगटन प्रशासन के वक्तव्यानुसार अमरीका अणुशास्त्रों का प्रयोग करने नहीं जा रहा है। परन्तु जो कुछ वे कहते हैं वह ठीक नही होता है। बंगला देश स्वतन्त्रता संग्राम के दिनो के हमें ऐसा ही अनुभव हुआ है। वियतनाम के लोगो द्वारा अपनी मुक्ति के लिए किये जा रहे संग्राम के साथ समस्त मानवता की सहानुभूति है। अमरीका अपने अच्छे से अच्छे हथियारों का प्रयोग करके भी इस मुक्ति संग्राम को नहीं रोक सका हैं तथा देस भक्ति की भावना को नहीं दबा सका है। **(व्यवधान)**। इससे पता चलता है कि वहाँ की जनता सेगौन सरकार के साथ नही है। हमें कुछ दायित्व निभाने हैं। हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की सभापतित्व करता रहा है। दूसरे अपने प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में हमने सदैव ही पददलित लोगों की सहायता की है। बंगला देश में भी हमने ऐसा ही किया है।

और वियतनाम में भी आज ऐसी ही स्थिति चल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते तथा सुरक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते क्या हम सरकारी रूप से सुरक्षा परिषद में इस मामले को उठाकर वियतनाम की जनता के पक्ष में जन-मत जाग्रत करने के प्रयत्न करेंगे जिससे कि ये आततायी, वियतनाम से निकाले जा सकें और वियतनाम की जनता जिस प्रकार की सरकार चाहें वहां बना सकें।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने वियतनाम में अमरीका द्वारा अणुशास्त्र प्रयोग करने की संभावना पर चिंता व्यक्त की है। मैं राज्य सभा में बता चुका हूँ कि सरकार ऐसी संभावना को इस स्थिति में एक वहुत ही भयंकर तत्व समझती है। हम पूर्णतया इसके विरुद्ध हैं। यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम इस के विरुद्ध समस्त संसार की विचार धारा जाग्रत करेंगे। अमरीका के इस सरकारी वक्तव्य से थोड़ा संतोष मिलता है कि अमरीका का अणुशास्त्रों के प्रयोग का कोई विचार नही है। इसके उपरान्त भी यदि कोई ऐसा विचार अमरीका सरकार के मस्तिष्क में है तो उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए और हमें विश्व में ऐसा ही वातावरण बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। अमरीका यदि वियतनाम से अपना सातवाँ बेड़ा वापस बुला लेता है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है।

यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते हमारे कुछ दायित्व है परन्तु अब खुले युद्ध की स्थिति में नियंत्रण आयोग कुछ नहीं कर सकेगा। परिस्थिति ही ऐसी है जिसमें आयोग कुछ कर सकने योग्य नहीं रहा है।

मामले को सुरक्षा परिषद में उठाने का सुझाव दिया गया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत है कि यह मामला कभी भी सुरक्षा परिषद के सम्मुख नहीं आया है और वास्तव में संयुक्त राष्ट्रसंघ में कभी उठाया ही नहीं गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने वियतनाम की स्थिति के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं जिनका प्रभाव अमरीकी विचार धारा पर पड़ा है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी विचार धारा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दी है परन्तु बहुत से कारणों से मामला सुरक्षा परिषद में अभी तक नहीं उठाया जा सका हैं जिनमें ऐतिहासिक कारण भी एक है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है तथा प्रश्नों के जो उत्तर दिये। उनमें कुछ बातों की सराहना की जा सकती है। परन्तु मन्त्री महोदय की यह बाब मेरी समझ नहीं आयी की अमरीका ने वियतनाम में अणुशास्त्रों का प्रयोग करने से इन्कार किया है। क्या पहले हमारा यह अनुभव नहीं रहा है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने से इन्कार करने पर भी वे ऐसा करते रहे हैं। सातवाँ बेड़ा इस उपमहाद्वीप की घटनाओं में हस्तक्षेप करने के लिए ही भेजा गया था परन्तु अमरीका ने यही कहा कि सांतवां बेड़ा ढाका से घिरे 15 अमरीकी नागरिकों को स्वदेश ले जाने के लिए भेजा गया था। सरकार को अपने अनुभव के आधार पर ही कार्यवाही करनीं चाहिए।

क्या सरकार ने इस युद्ध पर नयी परिस्थितियों के संदर्भ में, पैंकिंग वाशिंगटन वार्ता तथा गुप्त रखे गये निर्णय, विचार किया है ? इसे मैं इसलिए संगत समझता हुं कि अमरीका ने इस वार्ता के पश्चात ही विश्व पर्यन्त युद्ध भड़काने वाली नीति अपनाई है। अरब क्षेत्र की घटनाये भूमध्य सागर तथा हिन्द महासागर में अमरीकी अड्डे बनाया जाना, इस बात का प्रमाण हैं। पैंकिंग वार्ता के पश्चात ही अमरीका ने पैरिस की वियतनाम वार्ता अपनी ओर से ही रद्द कर दी थी।

इसके पश्चात वियतनाम में बमबारी आरम्भ की गयी। क्या सरकार इन सब कार्यों की प्रतिक्रिया से परिचित है। सरकार को इस विषय में गम्भीर होना चाहिये। कल अमरीका वियतनाम में अणु शास्त्रों का प्रयोग कर सकता है यदि वहां वे सफल हो जाते हैं तो भविष्य में हम सभी अमरीकी साम्राज्यवादी तांडव के शिकार होंगे।

जहां तक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने का प्रश्न है सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुये बताया है कि वे इस सरकार से सम्पर्क रखने के लिये तैयार हैं। यह भी बताया गया है कि सरकार सम्पर्क बढ़ा रही है। इस खतरनाक परिस्थिति में किस प्रकार के सम्पर्क स्थापित किये जा रहे हैं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि अस्थायी क्राँतिकारी सरकार को मान्यता देना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमने बंगला देश को मान्यता दी थी तब भी साम्राज्य वादियों तथा उनके मित्रराष्ट्रों ने ऐसा ही प्रश्न उपस्थित किया था। सैगोन में कठपुतली सरकार है। हमारी सरकार को उसका समर्थन नहीं करना चाहिये। सैगोन में केवल सरकार की स्थिति मात्र ही बनी हुयी है। किसी भूमि पर उसका नियंत्रण नहीं है, वहाँ की जनता पर भी उस सरकार का नियंत्रण नहीं है। स्थिति भी इसलिये बनी हुयी कि वहाँ लाखों अमरीकी सैनिक हैं तथा अणुबम सहित अनेकों भयावह हथियार हैं। भारतीय परम्परा का अनुसरण करते हुये मैं यह कहना चाहता हूँ कि अस्थायी क्रांतिकारी सरकार क मान्यता देने का यह स्वर्ण अवसर है। और उसको शीघ्र मान्यता दे दी जानी चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें अमरीका के सरकारी वक्तव्य को सत्य नहीं समझना चाहिये। मैंने इसे सत्य समझने के बारे में नहीं कहा है मैंने तो यह बताया है कि ऐसी बात कही गयी है। साथ ही मैंने यह भी बताया है कि हमें अणुशस्त्रों के प्रयोग के विरुद्ध आवाज उठाते रहना चाहिये जिससे उनका ववतव्य उनकी नीति का रूप ले ले और ऐसी स्थिति बन जाये कि अमरीका अणुशास्त्रों का प्रयोग न कर सके।

जहाँ तक संसार के विभिन्न भागों में अमरीका तथा उसके मित्र राष्ट्रों की कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति निक्सन की पैंकिंग यात्रा के पश्चात अमरीका सरकार की कई कार्यवाहियों पर हमने ध्यान दिया है। हम इन सभी घटनाओं के प्रति जागरक हैं और अपने हितों की रक्षा के लिये आवश्यक कदम उठायेंगे यह निश्चित है।

अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के सम्बन्ध में मैंने सरकारी नीति स्पष्ट कर दी है। हम उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाये हुये हैं।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : वियतनाम में बढ़ते हुये युद्ध के विषय में सरकार का क्या विचार है, क्योंकि यह अणुशस्त्रों के प्रयोग का ही प्रश्न नहीं है अपितु वहाँ काफी विनाश किया जा चुका है जैसा कि कारनैल विश्वविद्यालय के अध्ययन से पता चलता है कि 63 लाखटन तक के बम वहाँ गिराये जा चुके हैं जो द्वितीय विश्वयुद्ध तथा कोरियाई युद्ध में गिराये गये बमों की मात्रा से दो गुने से भी अधिक हैं।

समाचार मिला है कि सातवे बेड़े की शक्ति को दुगनी कर दिया गया है और वायुसेना कमांडर को बदल दिया गया हैं। क्योंकि नया कमांडर वियतनाम में अत्यधिक बमबारी करने के लिये उचित समझा गया है। अमरीका ने भूमि विनाश तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति को नष्ट करने, बनों को नष्ट करने आदि के अनेक परिक्षण किये हैं। भय यह है युद्ध में आने वाले व्यय

को कम करने तथा अमरीकी जनता की विचारधारा को प्रभावित करने के लिये अमरीका सरकार युद्ध में जनशक्ति के स्थान पर मशीनों के प्रयोग को स्थान दे सकती हैं। सरकार कि इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है।

क्या सरकार का विचार यह है कि वियतनाम में युद्ध को तेज किया जाना अमरीका तथा चीन के किसी निर्णय का परिणाम है जो अमरीकी राष्ट्रपति की पैंकिंग यात्रा के पश्चात किया गया था क्या सरकार को वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानो से वियतनाम समस्या का कोइ हल दृष्टिगत होता है, और यदि नहीं तो क्या सरकार, इन्डोनेशिया की अन्तरिम सरकार की तरह एशियन रिलेशन्स कान्फ्रेंस बुलायेगी जो इस दिशा में सरकारी कार्यवाही का प्रथम कदम होगा और क्या सरकार वियतनाम के प्रश्न पर जन मत जाग्रत करने के लिये कोलम्बो शक्तियों जैसी कूटनीति अपनायेगी ?

क्या सरकार वियतनाम के प्रश्न पर विश्व की चेतना जगाने के लिये और सरकारी एजेन्सियों की सहायता करने का भी विचार करेंगी।

श्री स्वर्ण सिंह : वियतनाम में बढ़ते हुये युद्ध के प्रति सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया है। निरन्तर बमबारी का हमारी सरकार ने जोर दार शब्दों में विरोध किया है। विनाश के सम्बन्ध में सरकार के विचार माननीय संदस्य के विचारों से मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के विनाश कारी हथियारों तथा बमों के प्रयोग के समाचारों से सरकार की चिन्ता और बढ़ जाती है। आधुनिक शस्त्रास्त्रों के प्रयोग से वियतनाम के लोगों की कठिनाइयां बहुत बढ़ जायेंगी यह निश्चित है अपनी मुक्ति तथा स्वतंत्रता के लिये बहादुरी से लड़ने वाले दुर्भाग्यशाली वियतनामी निवासियों के साथ हमारी सहानुभूति है।

राष्ट्रपति निक्सन तथा चीनी नेताओं के बीच पैंकिंग के वार्ता के फलस्वरूप युद्ध की कार्य वाही तेज हुयी है इस प्रश्न पर विश्व की राजधानियों में विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

वियतनाम के प्रश्न पर मानवता आज जिस रोग से पंगु है उसके सम्बन्ध में बता चुका हूं। कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी नहीं है जो इस समस्या को हल कर सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में तथा लुसाका में हुये तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में वियतनाम की समस्या के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये गये थे। विचारों की ये अभिव्यक्तियां वियतनाम समस्या के सम्बन्ध में विभिन्न देशों द्वारा किये गये उनके मूल्यांकन की द्योतक हैं। इससे परे ना हो संयुक्त राष्ट्र संघ में और नाही अन्य किसी संस्था में कोई ठोस कार्यवाही की गई है। जेनेवा सम्मेलन में जिन संस्थाओं की स्थापना की गई वे भी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं। सरकारी अथवा गैर सरकारी रूप में इस समय एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का कोई विचार नहीं है।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

टाइम्स आफ इन्डिया द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों को गलत छापना

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : On 4th April the Prime Minister had replied

to the debate on Motion of Thanks on the Presidents Address. The nextday the report of her speech was published in the news papers. I had been to Bombay that day. I saw in "Times of India" The following words as said by the Prime Minister. It has reported in 'Times of India' that "The Prime Minister said the Jansangh President tried to build up a Platform for his party but you can not build up a platform in the air. This i, what Mr. Vajpayee is endeavonring to do, she said amind langhter"

This is very strange. I was present in the House when Prime Minister made her speech. But I did not bear Prime Minister saying these words perhaps the Prime Minister would have given her speech to Press before the delivered that in the House. On my return to Delhi I again went through her speech and did not come across those words. This is really a strange thing. Is it that a report of Prime Minister's speech was released to the press before she delivered her speech in the House and the reporter will fully added the words "amind langhter" himself? The whole matter should be throughly gone into and if the news agency or the paper concerned is found guilty, the matter should be refered to the Privilege Committee.

Shri S. M. Banerjee : Sir, some times it heppen, that during intruption and laughter, some body says something which is not audible to us but Press people pick that up. Therefore I submit that while expunging these intruption may also be checked.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही को ध्यान से देखूंगा। इस बीच, जैसी कि सदन की प्रक्रिया है, मामले की पुष्टि तथा टिप्पणी के लिए समाचार पत्र के पास भेजता हूँ। जैसा श्री एस० एम० बनर्जी ने कहा है कि कार्यवाही में व्यवधान आजाने से बहुत सी बातें सुनी नहीं जाती हैं। परन्तु प्रधान मन्त्री के भाषण में ऐसे व्यवधान नहीं आये जिससे उनके शब्द न सुने जा सकते थे। मैं स्वयं कार्यवाही रिकार्ड को देखूंगा। **(व्यवधान)**

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : श्री बाजपेयी जी ने जो कहा है, कि सदन में भाषण देने से पूर्व प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण की रिपोर्ट समाचार पत्र में दे दी, उसका कोई आधार नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं किया गया बताया जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमें यह तथ्य दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिये कि प्रेस सूचना ब्यूरो के कर्मचारी सरकार तथा सत्ता रूढ़ दल के सदस्यों का प्रचार करने के बहुत इच्छुक रहते हैं। यदि किसी ऐसे कर्मचारी ने ऐसा किया है तो संवाददाता को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। प्रेस सूचना ब्यूरो पत्र कारिता के साथ अन्याय कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : हमें जन सम्पर्क अधिकारी तथा व्यवधानों की ओर भी ध्यान देना है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हुं।

(1) (क) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित

अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 3344, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(दो) एस० ओ० 602, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था।

(ख) उपर्युक्त मद (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये सख्या एल० टी० 1687/72]

पशु कल्याण बोर्ड के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम 1962 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास, के वर्ष 1970-71 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1688/72**]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य-सभा ने 3 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में अवक्रय विधेयक, 1972 पास किया है।

(दो) कि राज्य-सभा 6 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 मार्च 1972, को पास किये गये वायुयान (संशोधन) विधेयक, 1972 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

अवक्रय विधेयक

HIRE-PURCHASE BILL

(राज्य सभा द्वारा पारित रूप में)

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अवक्रय विधेयक 1972 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

लोक लखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

30 वां और 31 वां प्रतिवेदन

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : मैं लोक सेवा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन

प्रस्तुत करती हूँ :

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सम्बन्ध में समिति के 122 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिसों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 30 वां प्रतिवेदन।

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में समिति के 111 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 31 वां प्रतिवेदन।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में आग लगने की घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : FIRE IN COCHIN REFINERY

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : प्रति वर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल साफ करने के लिये 27-4-63 को भारत सरकार, अमरीका की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी और इन्कम बादर्स एन्ड कम्पनी लि0, कलकत्ता के बीच हुए फारमेशन एग्रीमेन्ट के अनुसार सरकारी क्षेत्र में कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से एक कम्पनी स्थापित की गई। परिष्करणशाला (रिफाइनरी, 19-9-1966 को चालू हुई तथा मई, 1967 से इसमें वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है।

2. कम्पनी का 9 निदेशकों के निदेशक-बोर्ड द्वारा प्रबन्ध किया जाता है; जिसमें पांच निदेशक, भारत सरकार, दो निदेशक फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी तथा दो निदेशक अन्य अंशधारियों (शेयर होल्डर्स) द्वारा नामित किए गए हैं। इस कम्पनी के अध्यक्ष (चेयरमैन) भारत सरकार के एक मनोनीत व्यक्ति हैं। इस कम्पनी की स्थापना से 10 वर्षों की अवधि के लिए अथवा समस्त दीर्घ-कालीन विदेशी मुद्रा ऋणों की अदायगी की अवधि तक (इन दोनों में से जो भी बाद में हो) फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के एक मनोनीत व्यक्ति इसके प्रबन्ध निदेशक होंगे।

3. इस परिष्करणशाला में एक कच्चे तेल के संग्रह टैंक में दिनांक 3-4-1972 को सायं 7.45 बजे तक आग लग गई तथा उस आग पर 1-1/2 घण्टे अर्थात 9-15 बजे सांय तक नियंत्रण किया गया। प्रबन्धकों ने बताया है कि फ्लोटिंग एक (तैरती छत) के प्रतिस्थापन से पहले टैंक संख्या 20 को साथ किया जाना था और इस उद्देश्य के लिए दो दरवाजों को टैंक-दिवारों में काटा जाना था। एक दरवाजे को सफलतापूर्वक काट लिया गया तथा जब दूसरा दरवाजा कटने की अन्तिम स्थिति में था, जब आग उत्पन्न हो गई। आग लगने का सही कारण अभी मामूग नहीं है।

4. प्रबन्धकों ने बताया है कि आग लगने से होने वाली क्षति केवल क्रूड आयल (कच्चा तेल) टैंक संख्या 20 तथा टैंक बांध के भीतर मिलाने वाले पाइप तक सीमित रही थी और टैंक को इतनी क्षति पहुंची है कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है तथा कुछ मामूली जलन की चोटों के सिवाय कोई गंभीर व्यक्तिगत चोटें नहीं आई थी।

5. प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि यद्यपि परिष्करणशाला के तेल साफ करने वाले यूनिट पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, तथापि इसे बन्द करना पड़ा क्योंकि तेल साफ करने वाले

यूनिट को अशोधित तेल की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पर इस आग का प्रभाव पड़ा था, किन्तु परिष्करणशाला का मिट्टी के तेल एवं लाईट एन्ड सैक्शन (खण्ड), इंटरमीडिएट स्टोरेज (मध्यवर्ती पदार्थ संग्रहालय) से उपलब्ध संभरण सामग्री पर कार्य करता रहा है तथा टेंक ट्रक एवं वैगन लदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 6. अप्रैल, 1972 की शाम को कच्चे तेल के शोधन करने का कार्य पुन: चालू हुआ।

6. टैंक का बीमा किया हुआ था। कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने सूचित किया है कि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि इस समय हानि का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टैंक का गत 5 वर्षो से उपयोग होता रहा है तथा इसका मूल्य घट गया है ; कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने, मूल्य ह्रास को खाते में डालने के बाद तथा बीमा कम्पनी से राशियों को प्राप्त करने के पश्चात्, लगभग 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की शुद्ध हानि का अनुमान लगाया है। नये संग्राहालय (स्टोरेज) के निर्माण और अन्य क्षति की बहाली पर होने वाली लागत लगभग 40 लाख रुपये हो सकती हैं। ये केवल प्रारंभिक अनुमान है।

7. प्रबन्धकों ने बताया है कि यद्यपि टैंक-दिवार में दो दरवाजों का काटना आवश्यक था और कार्य निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुसार तथा वरिष्ठ अनुरक्षण एवं सुरक्षा पर्यावेक्षकों की उपस्थिति में किया जा रहा था, तथापि सरकारी क्षेत्र की एक परिष्करणशाला में आग की एक बड़ी घटना है और सरकार तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए रुचि रखती है तथा यह निर्धारण करना चाहती है कि क्या कोई लापरवाही की गई थी तथा यह भी देखेगी कि क्या कोचीन एवं अन्य परिष्करणशालाओं के लिए कोई सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए।

8. सरकार ने एक जांच समिति को नियुक्त करने का निर्णय किया है।

दिल्ली सहकारी सोसाइटी विधेयक
DELHI CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी सोसाइटियो सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस समय दिल्ली में बम्बई सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1925 लागू है। महाराष्ट्रऔर गुजरात राज्यों द्वारा इसके स्थान पर अन्य अधिनियम बनाये गये हैं।

दिल्ली महानगर परिषद् ने इस पर विचार किया और एक व्यापक विधेयक की सिफारिस की। परन्तु उसमें मुख्य मंत्रियों तथा सहकार विभाग के मंत्रियों के 1968 के सम्मेलन में स्वीकृत कुछ उपबन्ध नहीं थे। महानगर परिषद् के विधेयक में कुछ उपलब्ध जोड़ कर उसे चौथी लोक सभा में रखा गया जो कि सभा के भंग किये जाने पर व्यपगत हो गया।

प्रस्तावित विधेयक में कुछ और उपबन्ध भारतीय राष्ट्रीय सरकारी संघ की सिफारिशों के अनुसार जोड़े गये हैं। इस विधेयक में खुली सदस्यता की व्यवस्था की गई है और सदस्यता के आवेदन के अस्वीकार किये जाने पर अपील की व्यवस्था की गई है। कुछ विशेष प्रकार की सोसाइटियों की सदस्यता पर कुछ व्यक्तियों के लिये रोक लगाई गई है और प्रबन्ध व्यवस्था में कुछ विशिष्ट पदों पर लम्बे समय तक बने रहने पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। प्रबन्ध समिति के सदस्यों

के लिये स्वीकार किये गये ऋणों का ग्राम सभा द्वारा अवलोकन किये जाने की व्यवस्था की गई है।

संघ राज्य क्षेत्र में इस समय 2400 के करीब सोसाइटियां हैं जिनका शेयर धन 5 करोड़ रुपया है तथा जमा विधि 31 करोड़ रुपया है। यह लगभग 10 लाख रुपए के वार्षिक ऋण देती हैं। यहां पर लगभग 30 सरकारी उपभोक्ता स्टोर हैं जो वर्ष में 10 करोड़ रुपये का माल बेचते हैं। 151 गृह निर्माण सहकारी समितियों को दिल्ली प्रसाशन द्वारा भूमि दी गई है। इस प्रकार इस बारे में व्यापक कानून की आवश्यकता है। अतः मेरा अनुरोध है कि सभा विधेयक को पारित करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी सोसाइटियों सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : सहकारी सोसाइटियों पर नियंत्रण के लिए व्यापक विधेयक लाना तो अच्छी बात है, परन्तु विधि से ही तो उनके दोषों को दूर नहीं किया जा सकता आमूल मूल सुधारों को लागू करने से ही स्थिति सुधर सकती है।

पिछले 25 वर्षों में सहकारी सोसाईटियों का कार्य तो काफी बढ़ा है, परन्तु उनमें विद्यमान बुराइयों को समाप्त किये बिना सहकारी आन्दोलन पनप नहीं सकता। बैंकिंग आयोग की अभी हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सहकारी आन्दोलन कुछ व्यत्तियों का व्यवसाय बन गया है, जिन्होंने इसके सभी उद्देश्यों को भुला दिया है, हमने महाराष्ट्र के एक सहकारी को धन का प्रदर्शन करते हुए देखा है। शासक दल के लोग सहकारी सोसाइटियों को लाभ कमाने का साधन बताते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि निहित स्वार्थ वाले व्यत्तियों को इनमें स्थान न मिले।

खण्ड 20 द्वारा उप-राज्यपाल को सदस्य बनाये जाने अथवा सदस्यता पर रोक लगाने का पूर्णाधिकार दिया गया है। इस बारे में कोई मार्ग दर्शन नहीं किया गया है।

खण्ड 31 द्वारा किसी व्यवित को तीन सहकारी सोसाइटियों से अधिक का सदस्य बनने पर रोक लगाई गई है। प्रबन्ध समिति के सदस्यों को केवल एक ही सोसाइटी का सदस्य बनाया जाना चाहिए।

सहकारी सोसाइटियों को जीवन का अंग बनना चाहिए न कि किसी भी प्रकार लाभ कमानें का साधन।

इस बारे में गठित की गई सभी समितियों ने अपनी रिपोर्टों में प्रबन्ध और नियन्त्रण के प्रशिक्षित व्यक्तियों के संवर्ग बनाये जाने के लिए कहा है।

इन सोसाइटियों का महत्व निर्विवाद है। योजना के हाल ही के मूल्यांकन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी कृषि ऋण सोसाइटियों की स्थापना पर बल दिया गया है। उनके अभाव में देश की कृषि की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty Minutes past Furteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर चौंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at thirty four minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker In The Chair]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस देश में कृषि के विकास में मुख्य बाधा भूमि के टुकड़े-टुकड़े करके उसका अलाभकर बनाना है । सहकारी खेती द्वारा ही इसे लाभकर बनाया जा सकता है । छोटे किसानों को सहकारी ऋण दिये जाने भी आवश्यक हैं । परन्तु सहकारी बैंकों का दुरुपयोग अधिक होता है, सदोपयोग कम । बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैंक व्यक्तियों को अनधिकृत व्यापार के लिये ऋण देते हैं । जब तक इन कदाचारों को रोका नहीं जाता, केवल विधि बनाने से काम नहीं चलेगा ।

एक अन्य बात सहकारी क्षेत्र की प्रगति में बाधक है वह है इन सहकारी बैंकों द्वारा देय राशि का निरन्तर बढ़ता जाता । यह राशि 1950-51 में 6.59 करोड़ रुपए थी और यह 1970-71 में बढ़ कर 493·60 करोड़ हो गई । बैंकिंग आयोग ने उसके अनेक कारण बताये हैं । इस व्यवस्था में सुधार करना अति आवश्यक है । रिजर्व बैंक इस बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । उसका अब तक का कार्य प्रशंसनीय रहा है । परन्तु रिजर्व बैंक तो अनुदेश अथवा निदेश देता है, जोकि परामर्श मात्र होते हैं । यदि निरीक्षण और लेखापरीक्षण का कार्य रजिस्ट्रार की अपेक्षा रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाये तो साधनों का उपयोग उचित ढ़ग से हो सकेगा ।

इन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उर्वरकों और कृषि उपकरणों का वितरण किया जाना चाहिए ।

नगरों में हमें सुपर बाजार रखने की आवश्यकता नहीं, अपितु इनके स्थान पर अलग अलग दुकानें रखनी चाहिए ।

सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियां नगरीय क्षेत्रों में महत्तवपूर्ण कार्य कर सकती हैं । हमें सरकारी योजनाओं का समुचित प्रचार करना चाहिए, जिससे जन साधारण उनसे परिचित हो जायें ।

खण्ड 5 के उपबन्धों से होने वाले लाभ खण्ड 6 द्वारा समाप्त हो जाते हैं ।

खण्ड 28 (1) में व्यवस्था की गई है कि जो प्रबन्ध समितियां छोटी हैं उनका प्रबन्ध प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाये ।

खण्ड 32 के अधीन शक्तियां रिजर्व बैंक को देना अधिक उपयोगी होगा ।

अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में मुझे इन बातों का अनुभव प्राप्त हुआ है। इन सोसाइटियों के प्रबन्धक ने नोटिस की अवधि में खातों में फेर-बदल करते हैं।

खण्ड 78 के अधीन गठित होने वाले अधिकरणों का मैं समर्थन करता हूं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि उसमें मामलों में दक्ष व्यक्तियों को ही लिया जाये।

इन टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : This Bill should have came much earlier, In this Bill, we do not find any provision for better management of Co-operative societies.

So many scandels were there in the Co-operative societies of Delhi. Very claver people have entered in Co-operatives in Delhi.

We are very much in fauour of Co-operative movement But the commpition and injustice pervelant in the system result in the negation of (E) uses. The Bill should aim at removing these evils from the Co-operative system. Currupt persons should be replaced by honest ones. There are Co-operative societies whare no elections have been held even since their inception. Nor their accounts have been audited.

It is not proper to ignore a sector where so much money has been invested. Adequate machinery on the lines of the Committee on public undertakings should have been set up to keep a watch and control on these socieies then under clauses 53 to 56. The registrar has been given wide powers; including highest inspection and audit authority which is quite objectionable which would increase bureaucracy. I, therefore, suggest that there should a Co-operative under takings committee to supervise the activities and accounts of these socities.

The condition of the co-operatives in my state is very disappointing. Mismangement and ambezzlement is prevalent everywhere and the Government is unable to do anything. That is why I suggest that there should be a Co-operative undertakings commttee to supervise over them.

While encouraging Co-operative movement we have to ensure that the various Co-operatives like super Bazars and other agencies are working satisfactory and earning dividants. It will not be profitable to intrist this job to the Registrar. The condition in super Bazars of Delhi too is not good. They are selling mostly such items as are not in public demand. The Hon Minister should look into these affarirs and ensure that these bazars deal with all such items as can fetch good profits, and also that they are supplied to consumers at cheap rates.

These matters are attended to we certainly propose to support this Bill.

Shri Shive Nath Singh (Jhunjhun): So far there was no such measure for Delhi, This measure is a unique one is much as it provides for removing many defect and loopholes in the rules concerning Co-operatives. Firstly it aims at eurbing the entry of such elements in Co-operatives as are either against or do not have faith in Co-operatives, Besides this measure also seeks to eliminate the Continious hold of a person in the managment by prohibiting the Continuity of an individ dival for more than two terms. So. I welcome this measure,

But let me point out that we do not find so much zeal and enthusiam for Co-opratives as we had been having about ten years also. We had taken this movement as a strong effective instrument for economic development; particularly in our villages by way of providing loans etc, to the small agriculturists for purchasing tractors, seeds and fertilizers There has been an urgent need of saving farmers from exploitation by the middlemen and we have

been demanding States trading in agricultural produce. But since the executor of state trading would take a long time ; the Co-operatives were the best via media. So, the Government should set up units at village level which may be viable units, to help the farmers in effecting imrprovements in their lands purchasing tracors' pumpsets etc. This could surely play a sweetrole in the economic development of the rural areas. Let the Hon. Minister look in to it-

The super Bazars were established to enable the consumers to get commodities at reasonable prices. But they are proving white elephants because the high officials of our Government are employing their own persons to oblige them. There are about three thousand highly paid Officers on deputations in the Super Bazars at present. I suggest that thier deputation system should he stopped forth with and let the employees of the Bazars stand on their own legsand work with mutual croperatives To-day, the Super Bazar in Cannaugt place is having a deficit of Rs. one core. Why it is so, when they are geting every thing on a whole sale and reasonable prices. The loss is due to very high expelnses as management. Neither the shereholders nor the cousumers are at present getting benefit.

I, therefor, appeal that these concerns should be run on purely Co-operative. basis and also with sincere Co-operative spirit.

In the sugar Co-operative sector also Government should not have their adminisrtror but only the representative to handle finances. Rest of the affairs like running the factries, sales-pruchases etc. Should be done by the Co-operateve societies themselves. But even in this Bill, we find the provision of deputing an Adiminstrator. by the Government an administrator Once deputed, never tries to leave that place because he gets a chance of free looting. So the Clause providing for the deputation of an Administator should be elected and provision should be made for fresh elections and recontiution of the managing committees in case of unsatisfactory working. In no case an Adminestator is appointed he should remain there for not more than six months.

Clause 23 (C) of This bill provides for voting rights of the Govrnments nominees in the managing Committee. All the nominees should not be given seprate voting rights.

Finally, I welcome the restricions imposed for the vasted interests. But once again 9 appeal for a second thought in regard to appointment of an Administrator. Let us have an assurance that he would not under any circumstances be allowed to Continue for a second term.

With these , words these I welcome the Bill.

* **श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : दिल्ली सहकारी समिति विधेयक, 1972, वर्ष 1925 में प्राप्त किये गये बम्बई सहकारी समिति अधिनियम के स्थान पर लाया गया है।

सहकारिता कानूनों को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिये कि वे आज की नवीन परिस्थितियों में किसानों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यही सहकारिता का मूल उद्देश्य है। राष्ट्रीय बैंक इतना कार्य नहीं कर सकते जितना कि ये सहकारी समितियां कर सकती हैं। किसानों का इनमें विश्वास है और वे इन पर निर्भर करते हैं। संभव है सहकारिता क्षेत्र में अनेक त्रटियां, अक्षम्य त्रुटियां भी हों, परन्तु मूलतः तो यह आन्दोलन बहुत अच्छा

* तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated verersion based on English translation of the speech delivered in Tamil.

और लाभकारी है। हमें इसकी त्रुटियाँ, दोषों तथा अन्य कदाचारों को दूर करना चाहिये। ऐसा करके ही हम किसानों की बीज, उर्वरक तथा उर्वकतायें आदि की आवश्यकताएँ पूरी कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि सहकारिता के स्थान पर कोई अन्य आयोजन इतना सफल और लाभप्रद नहीं हो सकता।

आज सहकारी बैंकों में अनेक कमियां हैं। जब किसान इन बैंकों से लिए गये ऋणों का भुगतान अपने जेवर गिरवी रखकर के करना चाहता है तो उसे बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि रिजर्व बैंक के निर्देश हैं कि जेवरों पर दिया गया ऋण बैंक की कुल जमाराशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। तो क्या किसान किसी अन्य बैंक में अपने जेवर गिरवी रखकर वहाँ से रुपया लाकर अपना ऋण उतारे किसान भी चाहते हैं कि सहकारी बैंक सफलता से चलते रहें परन्तु जब उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो फिर वे कैसे अपना ऋण चुकायें ? अतः मंत्री महोदय से मेरी अपील है कि वह यह प्रतिबंध हटा दें।

सरकार प्रतिदिन घोषणा करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की और अधिक शाखायें खोली जायेंगी ताकि किसानों की सहायता की जा सके दूसरी ओर 5 प्रतिशत के प्रतिबंध के कारण अन्य वाणिज्य बैंकों को इन क्षेत्रों में मुनाफाखोरी का प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही सहकारी बैंकों को भी हानि पहुंच रही है, यहाँ तक कि उनके कर्मचारियों को वेतन देने के लिये भी ध्यान नहीं होता। अतः जेवरों को गिरवी रखकर ऋण का भुगतान करने पर 5 प्रतिशत के प्रतिबंध को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए।

राज्य सहकारी बैंक केन्द्रीय बैंकों को ऋण देते हैं तथा केन्द्रीय बैंक सहकारी सँस्थाओं को परन्तु जब कोई गाँवों में सहकारी संस्था नियमाधीन दीवालिया घोषित हो जाती है तो उसे सबसे पहले उस बैंक का ऋण चुकाना होता है जबकि होना यह चाहिए कि वे पहले सहकारी बैंकों का ऋण चुकायें ताकि ये बैंक अपने सीमित वित्तीय साधनों में जीवित रह सकें। विधेयक में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिये।

किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि पदार्थों के विक्रय के लिये बाजार-समितियां बनाई गई हैं परन्तु साथ ही राज्य व्यापार निगम, खाद्य निगम आदि के हस्तक्षेप बन्द किया जाना चाहिये ताकि किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके।

राज्य स्तर पर रजिस्ट्रार का ही दायित्व है कि वह सहकारी संस्थाओं को सफलतापूर्वक तथा लाभ में चलाये; तो फिर उसे अपना कार्य भी प्रभावी ढंग से करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि सहकारी क्षेत्र का वर्तमान त्रुटियां दूर हो जायें तो रजिस्ट्रार को अपना कार्य करने के लिये पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए।

अन्त में मैं कहूँगा कि सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का कल्याण करने के लिये इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन तथा सहायता व संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि देश के करोड़ों किसानों का भला हो।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का दिल से समर्थन करता हूँ।

श्री के० सूर्य नारायण (एलूरू) : उपाध्यक्ष महोदय सहकारिता आन्दोलन के साथ मेरा 30–40 वर्ष से सम्बन्ध रहा है। मैंने पाया है कि जनता का इस आन्दोलन के बारे में कोई

बहुत अच्छा विचार नहीं है। सहकारी क्षेत्र में केवल सशक्त और समर्थ लोग ही पनप सकते है। यद्यपि सरकार तथा विरोधी दलों ने भी सहकारिता के उद्देश्यों को स्वीकारा है परन्तु फिर भी सहकारिता अधिनियम में त्रुटियां तथा ग्रह-बद्ध राजनीति के कारण यह आन्दोलन जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाया है।

राज्य सरकारें हर वर्ष अनेक अधिनियम पास करती हैं परन्तु इन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता। अनेक सम्मेलनों में भी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं, इन सुझावों को स्वीकार भी किया गया है परन्तु उनको क्रियान्वित करने में रुचि नहीं दिखाई जाती।

दिल्ली सहकारी समिति विधेयक में यह एक अच्छा प्रावधान है कि समिति का कोई भी पदाधिकारी दो अवधियों अधिक समय तक अपने पद पर नहीं बना रह सकेगा। परन्तु इसे क्रियान्वित भी किया जाना चाहिये। केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों से भी कहे कि वे अपने अधिनियमों में भी इसी प्रकार के प्रावधान करें। वस्तुतः तो सभी राज्यों में दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम जैसे अधिनियम क्रियान्वित किये जाने चाहिए। इससे छोटे किसानों व दस्तकारों, गरीब भूमिहीनों तथा अन्य ऐसे लोगों को लाभ होगा।

सहकारिता अधिनियम में अनेक दोष हैं। उदाहरण के तौर पर सुपर बाजारों में भारी घाटा हो रहा है। इसका कारण यह है कि यद्यपि वहाँ सरकारी निर्देशक तथा अन्य अधिकारियों की भरमार है परन्तु उनमें आपस में काफी साँठ-गांठ है और किसी अधिकारी के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। साथ ही अधिकारी गण सहकारी संस्थाओं के लिये धन एकत्रित करने में कोताही से काम लेते हैं। तो लोगों में विश्वास पैदा नहीं करते और केवल अपनी मेज पर बैठकर समय गुजार देना ही अपना दायित्व पूरा हुआ मान लेते हैं। इसी के फलस्वरूप सहकारी आन्दोलन के अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाते और जनता को उसमें रुचि नहीं बढ़ पाती है।

मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि सहकारिता सम्बन्धी सभी अधिनियमों और कानूनों की त्रुटियां दूर की जायें तथा फिर इन अधिनियमों आदि को भली प्रकार क्रियान्वित किया जाये। दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम जैसे अधिनियम सभी राज्यों में बनाये जायें तथा क्रियान्वित किये जायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Dr. Laxmi Narain Pandey (Mandsaur) : Enacting some Act by itself does not solve the problem. We have to ensure that the Cooperative Societies that the we have set up work according to our expectations. We had thought of benefiting the small farmer or small trader but we could not achive that aim despite giving all sorts of encouragement and assistance to the co-oprative movements. That is why people naw have no liking for co-operatives.

But I do not mean that Co-operative movement is not a frod movement. The sprit behind this endeavour is quite appreciable indeed and it should be propagated too, but first of all it should be ensured that the committees responsible for running the Co-operative societies work properly and devotedly.

There have been a mention of the commettees not couducting elections even up to 12 years and also that on the dissolution. or Closure of a society the Adminstrator contenues

there for several years, although the Act provides for his stay for 6 months only. That cause the loss of faith of the people, who have invested have amounts in the form of shares. Let us know as too why the shareholders are not geting their divident or interest on their shares ? Let us asess as too how many of our Co-operative societes, agricultural committees and other villages samitis are self relaints even after giving assistance for a long time Government has not able to make the co-operative socities self dependnt. This shows that some defect is some where.

The report of Banking commison shows that these socities whether they are working in the country side or in the cities are not giving benifit to the public which was expected of them.

There are so many Complaints of different nature about these socities though out of the country. Members do not pay back the loans takening and only paper transactions are doen. Now, in Delhi, these societies have demanded have more facilities. But now the government want to take these scceties is their own hands.

Now I come to the Bill. The Lt. Governor should not be given such wide powers as has been given in section 20 (2) of the Bill. The Chairman should not have the right of double vote, even when there are equal votes in a divison.

श्री अण्णासाहिब शिन्दे : अध्यक्ष सदस्यों में से ही होता है आदि उसे निर्णायक मत देना होता है ।

Dr. Laxminarain Pandey : According to section 32, (1), if the registrar thinks that a particular society is not working satisfatorily and is negligent, he can dissolve the society and appoint any body as its adiministrator. It has also been said in this section that the registrar can at his discretion, increose the term of the society, which should not be more than three years. The practice should be that there should be immediate elactions just after the dissolvtion of the society. Such unlimited rights should be given to the registrar.

In section 78 (1) it has not been made clear as to what will be the frame work of the authority to be formed by the Lt. Governor under this section, It is also not clear as to what will be its duties and wether its members will be nominated or elected.

It would be batter to refer it to a select committee so that all these defectes could be removed from the Bill, and only then it could be useful otherwise it will remain simply a govenmental revolution and nothing elsee. Please try to save it from that fate.

Shri Dalip Singh (outer Delhi) : According to clause 31 (5) one can not be an office bearer of a co-operative for more than two tirms. It is not proper when public like a man and he is elacted he should not be disqualified in this way.

In clause 31 sub-clause (9) (A) it has been stated that the government monince will be appointed but nothing has been said about government share in the committee, in this clause, the registrar or Lt. Governor has been given the power of superseding the management any time and that too without assiging any reason. This unlimited power can be misused or abused at any time. There fore I will suggest that such powers should not be given to him.

Shri Darbara Singh (Hosiar Pur) : It is a good sign that this Bill has been fromed on the lines of Maharashtra Co-oprative Act, becouse there the Co-operatives are working in a very sound way.

In Delhi, there are a Number of house building societies. They have got lot of capital a proper checking should be done in to thair Account and working. It is good that no person can be office bearer of a sociey for more than three years and also of not more than three socities. This will end the monopoly of interstedpersons the Co-operative system should be simikffed so that they may get loan direct without paying ore intrest.

There should be a time bound programme regarding the nomination of government officials. The money lenders should be eleminated from these Co-operatives.

In ihe end I may give one suggestion that such a Bill should be passed regarding the Co-operatives societies of other states also, because there is a lot of lmnghing and mismanagement there with these words I support this Bill.

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : सभी सदस्यों ने सहकारी आन्दोलन की सराहना की है और यह इच्छा व्यक्त की है कि इसे और सुधारा जाये जिससे कि गरीब जनता और ग्रामीण लोग इससे और लाभ उठा सकें। इस विधेयक को लाते समय हमने इन सब बातों को ध्यान में रखा है और इसे यथाशक्ति पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है।

हमने इस विधेयक में उपबन्ध किया है कि एक व्यक्ति दो बार अर्थात् छः वर्ष से अधिक समय तक किसी समिति का प्रबन्ध अधिकारी नहीं रह सकता और न ही एक व्यक्ति तीन समितियों से अधिक के प्रबन्ध मण्डल में रह सकता है। यह उपबन्ध इस उद्देश्य से किया गया है कि एक ही व्यक्ति अपना एकाधिकार बना कर न बैठ जाये क्योंकि वे किसी न किसी तरह अपने हितों के लिये स्वयं को वहां बनाये रखते हैं और उन्हें हटाना कठिन होता है। अतः इस सम्बन्ध में श्री दलीपसिंह का सुझाव मान्य नहीं हो सकता।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए]
Shri R. D. Bhandare in the Chair

बही-खातों में गड़बड़ी करने अथवा उन्हें समाप्त किए जाने के भय की दशा में तुरन्त कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा उपबन्ध विधेयक में किया गया है।

मौलाना इसहाक सम्भाली के इस सुझाव का मैं आदर करता हूँ कि महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में सदस्यों से सलाह ली जानी चाहिए जिससे उनके अनुभव का लाभ भी मिल सके। मैं उनकी इस बात को भी मानता हूँ कि समितियों का लेखा परीक्षण शीघ्र कराया जाये क्योंकि कुछ मामलों में 20 साल तक से लेखा परीक्षण नहीं किया गया। हम इसके लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री गौडर द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गये नियन्त्रण के सम्बन्ध में उठाए गये प्रश्न पर विचार करेंगे। हम उनके इस सुझाव को भी मानते हैं कि सहकारी समितियों से राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम विपणन आदि का कार्य करें। इस सम्बन्ध में हमने खाद्य निगम को हिदायतें दे दी हैं कि वह अपने कार्य में सहकारी समितियों से सहायता लें।

राज्य विधान में इस विधेयक के मुख्य सिद्धान्तों को रखने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है और इस सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों से बात करेंगे।

हम श्रीमती मुकुल बनर्जी के इस सुझाव से सहमत हैं कि इन समितियों के प्रबन्ध में छोटे किसानों और अनुसूचित जातियों का बहुमत होना चाहिए। इसके लिए हम एक संशोधन ला रहे हैं। संसद द्वारा इसे स्वीकार किये जाने पर हम इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बात करेंगे।

ऐसे मामलों में जहां प्रजातांत्रिक ढंग से चुनावों को पिछले लम्बे समय से टाला जा रहा है हम कठोर कार्रवाई करेंगे तथा चुनावों को टालने के अधिकार जहां तक सम्भव होगा कम

किए जायेंगे।

विधेयक में किए गये उपबन्धों के द्वारा समितियों में होने वाले कदाचार पर कुछ सीमा तक रोक लगेगी। भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी तथा उद्देश्य से इस विधेयक में उप-राज्यपाल को कुछ शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों का उपयोग करते समय वह निर्वाचित प्रतिनिधियों की सलाह लेगा।

यद्यपि यह सुझाव आया है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये। पर मैं यह चाहता हूँ कि इस विधेयक को सभी सदस्य अपना समर्थन देकर पास करेंगे क्योंकि इस पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा हो चुकी है।

श्री भानसिंह भौरा (भटिण्डा) यह कैसे तय किया जायेगा कि अमुक किसान छोटा किसान है। पंजाब में छोटा किसान कहलाने के लिए बड़े-बड़े जमींदार अपनी पत्नियों से कानूनी तलाक तक ले रहे हैं।

Shri Ishaq sambhle : There should be be something like public undertaking for this and registrar. could not be made all in all. You may give name fomers to him, but there should be some supermision also.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : जहां तक छोटे किसान की परिभाषा का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्य अपनी स्थिति के अनुसार कोई मापदण्ड निर्धारित करेंगे।

इस सम्बन्ध में सरकारी उपक्रम बनाने के सुझाव का उपबन्ध पहले ही से विधेयक में है। कभी-कभी ऐसा होता है कि निर्वाचित लोग भी अनुचित दबाव डालते हैं और कार्रवाई न करने को कहते हैं। अतः इसके सम्बन्ध में हम बाद में गहराई से विचार करेंगे।

एक प्रबन्धक को पहली बार केवल एक वर्ष के लिए ही नियुक्त किया जायेगा पर यदि आवश्यकता हुई तो केवल कुछ विशेष मामलों में इस अवधि को बढ़ाये जाने का उपबन्ध विधेयक में किया गया है। समान्यतः यह समय एक साल ही रहेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में सहकारी सोसाइटियों सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खण्ड वार विचार करेंगे। खण्ड 2 से 30 तक के लिये कोई संशोधन नहीं अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 30 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The mosion was adopted

खण्ड 2 से 30 विधेयक के साथ जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 30 were added to the Bill

खण्ड 31

Clause 31

सभापति महोदय : खण्ड 31 पर श्रीमती मुकुल बनर्जी के दो संशोधन हैं।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : जी हां। मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करती हूँ। मैंने सुझाव दिया है कि अधिकांश स्थान आर्थिक दृष्टि से कमजोर सदस्यों के लिये आरक्षित किये जायें क्योंकि सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य ही यही है कि कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाया जाये। अथवा उनके स्थानों पर बड़े जमींदार लोग विभिन्न हिस्सों को अपनी पत्नी तथा पुत्र आदि के नाम में करके स्थिति का लाभ उठाते हैं। मुझे याद है कि सहकारिताओं के बारे में नागपुर संकल्प का उद्देश्य वस्तुतः ही सेवारत सहकारिताओं को सहायता देना है क्योंकि सहकारिता का अर्थ ही छोटे किसानों की सहायता करना और उन्हें लाभ पहुंचाना है।

शहरों में भी हमने कमजोर वर्ग की सहायता की है और अनेक युवकों को उनका लाभ पहुंचा है। आज हमने "मिनी बस" के सम्बन्ध में भी विचार किया था। साथ ही यह भी विचार किया गया था कि किसी एक या अधिक व्यक्तियों को दुकान आदि देने के स्थान पर शिक्षित बेरोजगारों को सहकारिता की ओर प्रोत्साहित किया जाये। उससे भी समाज के निर्बल वर्ग को लाभ होगा।

श्री अण्णा साहिब शिन्दे : माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव के बारे में मैं पहले ही एक संशोधन पेश कर चुका हूँ। हमने उनके सिद्धान्त का अन्वेषण किया और जैसा कि मैंने कहा, प्रबन्ध समितियों में छोटे किसानों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये अधिकांश स्थान सुरक्षित किये जायेंगे। मैं पहले ही संशोधन दे चुका हूँ **(व्यवधान)**

श्रीमती मुकुल बनर्जी : तब मैं अपने संशोधन वापस लेती हूँ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये

The ameandment were, by leave. withdrawn

संशोधन किया गया

पृष्ठ 13—

(3) (क) पंक्ति 3 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Provided that in the case of a primary agricultural credit society such number of seats. being not less than one-half of the total number of members of the committee, shall be reserved for members belonging to the scheduled castes and the aforesaid economically weaker sections of the members as may be prescribed, and if no such persons are elected, the committee shall co-opt the required number of members from amongst the person entitled to such representation."

['बशर्ते कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति के मामले में कुछ स्थान, जो समिति के सदस्यो की कुल संख्या के आधे से कम न हों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों और आर्थिक रूप से पिछड़े उपरोक्त वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे, और यदि ऐसे कोई व्यक्ति चुने नहीं जाते, तो समिति उक्त प्रतिनिधित्व के हकदार व्यक्तियों में से सदस्यों की अपेक्षित संख्या को सहयोजित करेगी"]

(ख) पंक्तियां 4 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

Explanation ; For the purpose of this sub-section,—

(i) "Scheduled Castes" means any of the scheduled castes specified in part I of the

schedule to the constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) order, 1951;

(ii) "primary agricultural credit society" has the meaning assigned to it in clause (cii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 2 of 1934.

["**व्याख्या**—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) "अनुसूचित जातियों" से तात्पर्य है संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची के भाग एक में निर्दिष्ट कोई भी अनुसूचित जातियां;

(ii) "प्राथमिक कृषि ऋण समिति" का वही तात्पर्य है जो भारतीय रिजर्व [1934 का 2 बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ग ii) है।"]

(श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 31 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 31, संशोधित रूप में विधेयक के साथ जोड़ दिया गया

Clause 31. as amended, was added to the Bill

खण्ड 32 से 98

Claus 32 to 98

सभापति महोदय : खण्ड 32 से 98 में कोई संशोधन नहीं है। उन सबको सभा में मतदान के लिये रखता हूं

खण्ड 32 से 98 विधेयक के साथ जोड़ दिये गये

Clauses 32 to 98 were added to the Bill

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री अण्णा साहिब शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया "कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय स्तर पर सिद्धान्तों की बात की है। वे सिद्धान्त अच्छा है और मेरा उत्साह बढ़ता है, परन्तु सहकारिता आन्दोलन शासक दल के लिये वर्ष 1947 से दलगत लाभ का साधन रहे हैं और उनमें भ्रष्टाचार तथा दुर्विनियोजन का बोलबाला है।

श्री सोमनाथ चैटर्जी ने महाराष्ट्र के एक चीनी उद्योग के एक बहुत धनिक सहकारी का जिक्र किया है जिसकी पुत्री की शादी में एक लाख व्यक्ति आमंत्रित थे (**व्यवधान**) मैं आमन्त्रित व्यक्तियों का नाम नहीं लूगा।

सहकारी क्षेत्र ने अपने कार्यकरण से देश के लोगों को प्रभावित नहीं किया है। वे निकाय तो सामान्य तौर से जाँच कराने वाले संयुक्त स्टाक कम्पमियों की तरह कार्य करते हैं गुजरात मत्स्यपालन सहकारी ढाँचा ने सरकार से अत्याधिक धन लेकर भी उचित मूल्यों

पर माल सप्लाई नहीं किया । इसी प्रकार दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री ब्रह्मप्रकाश ने भी दिल्ली में सहकारिता के नाम पर लूट मचाई । उनके द्वारा गबन खबरें बिलट्ज तथा अन्य समाचार पत्रों में अनेकों बार आईं ।

मैं मन्त्री महोदय से विशेष रूप से यह जानना चाहूँगा कि दिल्ली में इस आई० सी० एस अधिकारी सहकारी संस्था में इन वरिष्ट नौकरशाहों दूसरों की कीमत पर सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने का अधिकार किन स्थितियों में दिया गया ?

आन्ध्र प्रदेश उर्वरक परिवहन गबन-कांड में देश को सहकारी क्षेत्र के माध्यम से दो करोड़ रुपये का गबन हुआ । हमें इस सम्बन्ध में जानकारी दीजिये । इससे न तो छोटे उत्पादकों और न ही उपभोक्ताओं को ही कोई लाभ हुआ ।

महाराष्ट्र में चीनी सहकारी उद्योग में, नियन्त्रण हटाने के 9 मास में 12 कारखानों ने 8 करोड़ रुपये का अधिक लाभ कमाया चीनी उद्योग का काफी बड़ा भाग सहकारिता के अधीन आता है परन्तु क्या कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि इसके माध्यम से चीनी की स्थिति सुधरी है अथवा उपभोक्ता को कोई लाभ हुआ है, छोटे उत्पादकों को भी कोई लाभ नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त सुपर बाजार में 15·000 रुपये प्रतिवर्ष के खर्च पर एक आई० सी० एस० की नियुक्ति के विरोध में सुपर बाजार के अध्यक्ष ने जो कि एक संसदस्य भी है ने त्याग पत्र दिया है । उसका क्या हुआ ।

सभापति महोदय : श्री बसु, नियमों का पालन कीजिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पूरी तरह नियमों का पालन कर रहा हूँ । स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा इसकी शाखाओं आदि ने आंध्र प्रदेश गुजरात तथा पंजाब के सहकारिता क्षेत्र को भारी धनराशियाँ दी हैं परन्तु पश्चिम बंगाल को बहुत ही कम धन दिया गया है । सरकार तो केवल उनकी सहायता करती है जो गबन करते हैं तथा उनके राजनैतिक उद्देश्यों को लाभान्वित करते हैं ।

श्री अण्णा साहिब शिन्दे : वस्तुतः जब श्री बसु का दल पश्चिम बंगाल में शासक था उस समय सहकारी क्षेत्र की बहुत ही दुर्दशा थी । मैं उनकी बात का तब भी कोई यकीन करता यदि उनके दल ने सहकारिता के बारे में कोई अच्छा सा सुझाव दिया होता । में उनके साथ किसी विचार में नहीं उलझना चाहता हूँ । मेरा विश्वास है कि सहकारिता को राजनीति को बाहर रखा जाना चाहिये क्योंकि हम इस आन्दोलन को सफल तथा स्वच्छ बनाना चाहते हैं । हमें हर कदाचार की भर्त्सना करनी चाहिये और अपने लाखों लोगों के भाग्य को उभारने के लिये इस आन्दोलन को स्वच्छ और प्रभावी बनाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय मेरे इस आरोप का उत्तर दें कि क्या सुपर बाजार के अध्यक्ष को त्याग पत्र देने को बाध्य नहीं किया गया है और क्या आई० सी० एस० अधिकारी आवास सहकारी संस्था को आयोजना का विषय बनाया गया । ये संस्थायें दिल्ली में है ।

सभापति महोदय : ऐसी बातें विचार के समय उठाई जानी चाहिए थीं । ताकि मंत्री महोदय उनके विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दे सकते । अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

संघ लोक सेवा आयोग के 20 वें और 21 वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव
Motioy Rc. Twentic'th and Twenty First Reports of the U. P. S. C.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के क्रमशः 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1970 और 1 अप्रैल, 1970 से 31 माच, 1971 तक की अवधि के 20वें और 21वें प्रतिवेदनों पर, जो 27 मार्च, 1971 तथा 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर रखे गये थे, और 21वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन पर, जो 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि संघ लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों को तथा साथ ही उसकी सिफारिशों को न मानने के कारण बताने वाला एक ज्ञापन सभा के दोनों सदनों में पेश किया जाये। मुझे खेद है कि इन प्रतिवेदनों पर इससे पूर्व विचार नहीं हो सका, क्योंकि कहीं अन्य अधिक महत्वपूर्ण मामलों के कारण कार्य-मंत्रालय समिति इनके लिये समय निश्चिय नहीं कर पाई। वर्ष 1969-70 में कोई ऐसा मामला था जहाँ सरकार के प्रतिवेदन की सिफारिशें न मानी हों। वो 1970-71 में ऐसे चार मामले थे जिन्हें पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया, जिनके कारण बताने वाला ज्ञापन सभा-पटल पर रख दिया गया। हमें यह परम्परा बन्द रखनी है कि केवल अत्यन्त विशिष्ट मामलों को छोड़ कर संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को मान लेते हैं।

Shri Omkar Lal Berwa : Mr. Charman, there is no question in the House.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठें, घण्टी बजाई जा रही है ...अब गणपूर्ति है। मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

श्री राम निवास मिर्धा : असाधारण परिस्थिततियों में लोक हित को देखते हुए आयोग की सिफारिशों को मानना संबधित मंत्री के लिये आवश्यक नहीं होता, परन्तु सामान्य रूप से सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है। असहमति के समय आयोग को समूचे कारण बता दिये जाते हैं और आयोग को अपनी सिफारिशों का औचित्य पुनः सिद्ध करने का अवसर दिया जाता है। इसके पश्चात् भी असहमति रहने पर नियुक्ति संबधी मामले को मंत्री मंडल की नियुक्ति समिति के सामने रखा जाता है। अन्य मामलों में यदि संबधित मंत्रालय उचित समझे तो उन मामलों को कारण बताते हुए डिपार्टमेन्ट ऑफ पर्सोनल को भेज दिया जाता है। इतना कुछ बताने का मेरा उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि आयोग की सिफारिशों पर गंम्भीरता से विचार किया जाता है तथा उन्हें बहुत महत्व दिया जाता है। उदाहरणार्थ, 1963 64 में हमने कुल 14,425 मामले आयोग को भेजे और सभी मामलों पर आयोग की सिफारिशों को हमने स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार 1964-65 में 12,900 मामलों में से केवल एक को छोड़ सभी सिफारिशों को सरकार ने मान लिया। वर्ष 1965-66 में भी 14821 मामलों में से केवल एक ही मामले में असहमति रही तथा 1966-67 में भी 11,821 में से केवल एक ही ऐसा मामला था जिसमें विचार भिनन्ता रही। वर्ष 1967-68

तथा 1968 में केवल दो-दो मामलों पर असहमति रही जबकि 1969-70 में सभी सिफारिशें मान ली गईं। इससे स्पष्ट है कि सरकार संविधान द्वारा इस निकाय को दिये गये महत्व को बखूबी समझती और मानती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मामला अखिल भारतीय सेवाओं तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में भाषा के माध्यम का था। दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प में अन्य बातों के महत्व मद उपबंध भी किया गया था कि परीक्षाओं की भावी योजना प्रक्रिया संबधी पहलुओं और समय संबधी संघलोक सेवा आयोग के विचारों को मानने के बाद अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिये वैकालिपक माध्यम के रूप में संविधान की आठवी सूची में दी गई सभी भाषाओं और अंग्रेजी के लिए अनुमति दी जायेगी।

[श्री के० एन० तिवाड़ी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwary in the Chair]

इसके अनुसार वर्ष 1969 में श्रेणी भाषाओं का उपयोग किया गया और भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि के भर्ती व परीक्षाओं हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को दो अनिवार्य विषयों-प्रस्ताव तथा सामान्यज्ञान में उत्तर देने के लिये अंग्रेजी आदी सूची में वर्णित भाषाओं में से किसी भी एक का उपयोग करने की अनुमति दी गई। अन्य विषयों में भी यह विकल्प देने के पर संघ लोक सेवा आयोग गत अनुभवों को दृष्टि में रखते हुए विचार कर रहा है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1964 से सहायकों के ग्रेड की परीक्षाओं के लिये भी अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी प्रस्ताव तथा सामान्यज्ञान के विषयों में संबधित प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी गई है। साथ ही आशुलिपिक परीक्षाओं में भी सामान्यज्ञान तथा आशुलिपि टेस्टों के लिये हिन्दी अथवा अंग्रेजी का उपयोग करने की अनुमति वर्ष 1971 में दी गई है। सरकार तथा आयोग दोनों ही संसद के संकल्प को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने को उत्सुक हैं।

इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्वाधीनता को अनेक बार स्पष्ट किया गया है। सरकार उसके कार्य में कभी दखल देना नहीं चाहती। अतः इन प्रतिवेदनों पर विचार करते समय केवल इन्हीं बातों की आलोचना की जाये जिनके लिये सरकार उत्तरदायी है।

मुझे आशा है कि इस विषय पर चर्चा काफी ज्यादा रहेगी तथा माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझाव मिलेंगे जिन पर हम कार्यवाही कर सकें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के क्रमशः 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1979 और 1 अप्रैल 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि के 20वें और 21वें प्रतिवेदनों पर, जो 27 मार्च 1971 तथा 22 दिसम्बर, 1971 को सभा पटल पर रखे गये थे और प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन पर, जो 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : संघ लोक सेवा आयोग अपने वर्तमान ढांचे कार्यकरण तथा भूमिका में सर्वथा अनुपयुक्त है । इस संगठन ने इसकी परिक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के विश्वविद्यालयों का उनके पाठ्यक्रमों से कोई संबंध या तालमेल नहीं रखा है । इसके अधिकांश सदस्य तथा अध्यक्ष या तो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं या करने वाले हैं । इसके प्रायः सभी सदस्य सिविल कर्मचारी थे या कोई अवकाश प्राप्त अधिकारी । इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार 40 प्रतिशत व्यक्ति जोकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम से केन्द्रीय सेवाओं में लिये गए सेवा–पृष्ठ भूमि वाले परिवारों से संबंधित है । यह न तो उचित है और न ही रुचिपूर्ण प्राक्कलन समिति ने अपने 47वें प्रतिवेदन में पाठ्यक्रम के बारे में लिखा था कि जबकि भारतीय प्रशासन सेवा इत्यादि की परीक्षाओं के लिये वैकल्पिक विषयों में विश्व-इतिहास, यूरोपीय इतिहास तथा ब्रिटिश इतिहास को तो सम्मिलित किया गया है परन्तु हमने देश के अत्यन्त समीपवर्ती देशों के तथा दक्षिण पूर्वी ऐशियाई देशों के इतिहासों की सर्वथा उपेक्षा की गई है । इसी भांति भाषा विज्ञान को जिसे कि देश के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवाओ आदि की परीक्षाओं में शामिल नहीं किया गया है ।

वर्ष 1947 से ही इस निकाय के द्वारा नौकशाही शक्तिशाली होती चली आई है ।निम्न वर्ग के कर्मचारियों की तुलना में उच्चवर्ग के अधिकारियो की नियुक्तियां बहुत बड़ी सख्या में हुई है । मेरा सुझाव है कि संघ लोक सेवा आयोग को, अपने वर्तमान ढांचे में, केवल केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं, प्रतिरक्षा सेवाओं, सचार तथा रेलवे आदि सेवाओं हेतु नियुक्ति संबंधी कार्य करना चाहिये राज्य संवर्गों के लिये नहीं । भाषा यी कठिनाइयों के कारण तथा स्थानीय परिस्थितियों सांस्कृतिक विभिन्नताओं आदि की दृष्टि से राज्यों को अपनी आवश्यकतानुसार नियुक्तियां करने का अधिकार होना चाहिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : आयोग राज्य सरकारों के लिए भर्तियां नहीं करता है

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सेवाओं में कुछ विशेष क्षेत्रों के लोगों के आधिपत्य को प्रोत्साहन दिया है । पश्चिम बंगाल तथा केरल की सरकारों ने कहा भी था कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिये और आगे नियुक्तिया न की जाये क्योंकि इनसे कोइ लाभ नहीं होता है । ऐसा ही सुझाव द्रमुक सरकार द्वारा गठित राजामन्ना समिति के प्रतिवेदन में भी दिया गया है जिसने यह भी कहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के भर्तियां तथा उनका नियंत्रण प्रादेशिक आधार पर किया जाना चाहिये । इस प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के सरकारी भाषायें बन जाने पर अखिल भारतीय सेवाओं के लिये किसी केन्द्रीय एजन्सी द्वारा जो कि स्थानीय परिस्थितियों पर परिचित नहीं होगी नियुक्तियां किये जाने से अशान्ति से ही रहेगीं । गैर-कांग्रेसी सरकारें तो यही समझेंगी कि केन्द्रीय एजन्सी द्वारा नियुक्त अधिकारी-गण उनके कार्यक्रमो को मन से क्रियान्वित नहीं करेंगे ।

राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के लिए 25 प्रतिशत कार्य निर्धारित किया गया है । ।संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य विशेष में सामन्तशाहों के वर्ग का चयन करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन कर रखा है । वर्ष भर में संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिनीधि उस राज्य में आता है तथा राज्य द्वारा किये गए चयन मात्र का ही अनुमोदन कर देता है । यह प्रकिया बड़ी त्रुटिपूर्ण तथा अवाँछनीय है । इसके पात्र तथा योग्य व्यक्तियों को उनके अधिकारों तथा अवसरों से वन्चित कर दिया जाता है ।

संघ लोक सेवा आयोग के मामले में भी सरकार अवांछनीय तथा अनावश्यक हस्तक्षेप करती है। प्राक्कलन समिति के 47 वें प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि नियुक्तियो के लिये साक्षात्कार परीक्षाओं में संबंधित मन्त्रालयों के प्रतिनिधि को भी आमन्त्रित नहीं किया जाता है। इसमें आगे कहा गया है कि साक्षात्कार बोर्ड में मन्त्रालय के प्रतिनिधि का सालाहकार के रूप में उपस्थित होना इस आयोग की चयन सम्बन्धी स्वाधीनता में बाधक होता है। यह बात मौखिक गवाही के समय प्राक्कलन समिति के सामने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी स्वीकार की हैं। श्री मिर्धा हमारे सामने गलत बातें कहते रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण तथा वर्णन मिलते हैं जिनमें सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता तथा सिफारिशों की अवहेलना की गयी है। इसके अतिरिक्त यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार द्वारा की गई पुनः नियुक्तियों पर अपनी चिन्ता प्रकट की है फिर भी सरकार ने उनकी कोई परवाह नहीं की और ऐसे मामलों की संख्या विशेष रूप से श्री मिर्धा के विभाग में बढ़ती ही जा रही है।

इसके पश्चात पुलिस द्वारा जांच का प्रश्न आता है। पुलिस किस बात का सत्यापन करती है ? क्या यहि कि क्या अमुख व्यक्ति शासक दल का समर्थक है अथवा इसने चुनावों में साशक दल के लिये कार्य किया है। एक रुचिपूर्ण बात यह है जिस व्यक्ति का भविष्य बड़ा उज्जवल होता है और जिसने देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देना है उसके चरित्र आदि की जांच वस्तुत: एक मामूली पुलिस वाला करता है और अपने सुपरिन्टेन्डेंट्स के हस्ताक्षर करा कर भेज देता है।

सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते परन्तु हाल ही में घनबाद छात्र संघ आयोग काँग्रेस के ही सदस्यों ने आकर रेलवे कर्मचारीयों के केबिनों पर स्टेगनों से हमला किया इसका क्या रहस्य है। रेलवे कर्मचारी भी तो सरकारी कर्मचारी होते हैं।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय आरक्षित पुलिस, औद्योगिक सुरक्षा दल और सीमा सुरक्षा दल की भर्ती को संघ लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत क्यो नहीं रखा गया है।

संविधान के अनुच्छेद 320 को पूरी तरह से दुरूपयोग किया गया है सरकार ने एक परिपत्र जारी किया हैं जिसमें गुप्तचर सेवाओं की भर्ती को संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से अलग किया गया है। सरकार को बताना चाहिए कि यह परिपत्र क्यो जारी किया गया है।

क्या यह सच है कि गृह मन्त्रालय इन गुप्तचर सेवाओ पर गुप्त नियंत्रण रखना चाहती है ?

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : Views of Shri Jyotirmoy Bosu on the report of the commission reflect his negative thinking. We use continuing the same set up and concept of the UPSC, as adopted during the British regime, the UPSC should consider to amend its syllabi in view of the changed conditions in the country.

Presently, the UPSC is headed by persons who served the Britishers who are not in favour of public sector Chairman of the UPSC and 50 percent of its members should come from the public and they alone can assess the requirement of the country. I hope the Home Ministry will pay necesssary attention towards this issue. Besides this promotion cases of the officers should be considered on the basis of their past performance. The standerd of newly selected JAS, IPS and I.F.S. officers is very poor. Pay grades of these officers need also to the raised similarily fee of Rs. 35/- charged for various UPSC examinations should also be reduced to Rs. 2/- or 5/-.

The age limit of 25 years prescribed for UPSC examinations and after recruitments to Government services should be raised with a view to removing the unemplayment. UPSC should dispose of all the cases of confirmation, retirement and integration referred to it within 3 to 6 months.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : जैसा कि श्री बसु तथा श्री कपूर ने कहा संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान ढाचा देश की जरूरतों को पूरा नहीं करता। अवकाश प्राप्त अधिकारियो तथा राजनीतिज्ञों को इस संस्था का अध्यक्ष बनाने से हम उन सामान्य हितो का विरोध कर रहे हैं। जिसमें हमारे राष्ट्र की अपार निष्ठा है। नौकर शाही की पृष्टभूमि वाले लोग सर्वसाधारण की नियुक्ति के पक्ष में नहीं होते ।

अनेक निर्देश तथा नियम होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों की नियुक्ति पर इतना विचार नहीं किया जाता जितना किया जाना चाहिये।

संघ लोक सेवा आयोग के सामने उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की पुलिस द्वारा लगभग दो बार जांच होती है। कभी-कभी तो लगता है कि पुलिस जाँच अधिकारी ही उम्मीदवार का चुनाव करता है।

जो लोग अधिक आयु के हो जाते हैं, उन्हें नौकरी से वर्जित किया जाता है। नौकरी के लिये वर्तमान आयु सीमा बढ़ायी जानी चाहिये।

संघ लोक सेवा आयोग ने अपने आप को लोगों से और उनकी आकांक्षाओं से विमुख कर दिया है। आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि संघ लोक सेवा के ढाँचे में परिवर्तन किया जा सके।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : मेरी समझ में यह नहीं आता कि परिक्षाओं में केवल हिन्दी ही को क्यों प्राथमिका दीं जाती है ? मेरे विचार में अंग्रेजी के होते हुये किसी भी भाषा को स्थान नहीं मिलना चाहिये अथवा सभी राष्ट्रीय भाषाओं को स्थान मिलना चाहिये।

मौखिक परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ग्राम्य क्षेत्रों से जो लोग इन परीक्षाओं में बैठते हैं वे इस परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं जानते जिसके फलस्वरूप वे असफल हो जाते हैं

कुछ पदों की सीधी भरती और कुछ पदों का संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भरना केवल भृष्टाचार या भाई-भतीजावाद को बनाये रखना ही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को समान दर्जा नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिये।

देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा के उम्मीदवारों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। ऐसे केन्द्र आसाम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल में भी खोले जाने चाहिये।

श्री सी० टी० दंडपाणि (धारापुरम) : सरकार संघ लोक सेवा आयोग से सहयोग नहीं करती और इसकी सिफारिसों पर भिन्न निर्णय लेती है। इस प्रकार के हस्तक्षेप से सिद्ध होता हैं कि मंत्रियों और विभागों द्वारा अनियमित नियुक्तियां की जा रही है तथा प्रशासन द्वारा माई-भतीजावाद तथा पक्षपात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार स्वयं भर्ती नियमों का उलंघन करती है। एक ओर राज्य सरकारें सभी राज्यों में अपने ही व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहती हैं

तो दूसरी ओर संघ लोक सेवा आयोग नियुक्त करके राज्य सरकारों पर थोंप देता है जो हमारे संविधान के संघीय ढाँचे के विरुद्ध हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने टिप्पणी की है कि "संघीय पद्धति में राज्यों की आवश्यकता के लिये केन्द्रीय द्वारा नियन्त्रित एक अखिल भारतीय सेवा की व्यवस्था करना एक असामान्य बात है। मैं संघ लोक सेवा आयोग के बने रहने का दृढ़ता से विरोध करता हूँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के स्थान पर राज्यों के अपनी सेवाओं की व्यवस्था स्वयं करने देना चाहिये।

अनुसूचित जातियों में से योग्य व्यक्तियों को न लेकर साधारण उम्मीदवारों को लिया जाता है।

संघ लोक सेवा के गठन में राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीदवारों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में परीक्षा देने के विकल्प का मामला विचारधीन रहा है। हमारे लिए दोनों भाषाएं विदेशीं हैं। परिशिष्ट VII A में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, केन्द्रीय सेवाओं के आँकड़े दिये गए हैं। 560 हिन्दी छात्रों की परीक्षा ली गयी और 22 की सिफारिश की गई। बंगाली के 35, गुजराती के 15, कन्नड के 11, मराठी के 10, उड़ीया के 5, पंजाबी के 46, सिंधी के 3, तमिल के 54, तेलगू के 16 उम्मीदवारों की परीक्षा ली गई और उनमें से किसी की सिफारिस नहीं की गयी। इस प्रकार हिन्दी के एकाधिकार का हम विरोध करेंगे।

केन्द्रीय आसूचना को संघ लोक सेवा आयोग के अधीन रखा जाना चाहिये।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : It is very essential that the business of a free nation be carried on in it's own language. I visited Tanzania it is conducting its official business in swaheti. Had we adopted a systematic programme we would have been able to implement the provision of constitution with regard to the introduction of Hindi in 15 years. Does the Government owe no responsibility towards language ? I am surprised to find in the U.P.S.C. report that it is not possible in the foreseeable future to publish question papers in all Indian languages. In the previous report it was mentioned that something would be done in the matter after assessment. In the present report it has been left out. Because of English medium Harijan and Adivasis are deprived of their share, Only those students who can afford to study in a expensive public Schools get benefits. This is not in accord with democracy. I urge upon the Government to arrange for the examination in all Indian language

In urgent cases it may be that some posts may be filled without consulting the U.P.S.C., But the schedule 14-G. gives 96 examples where appointments of selected persons were not effected.

We called for emergency commssioned officers to serve the nation in war but when the war is over they have been thrown out. The persons appointed on the basis of efficiency are not given benefit of seniority. This aspect may be decided in consultation with U.P.S.C.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : निर्वाचन आयोग आदि जैसे कार्यालयों में जो कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से अस्थायी है क्या सरकार उनको खपाने पर विचार करेगी ?

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : संघ लोक सेवा आयोग में प्रशासन सुधार आयोग अथवा उसके सिफारिशों का उल्लेख नहीं किया गया।

क्या संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान गठन से हमारी समाजवादी ढ़ंग के समाज की स्थापना को योग दान मिल सकेगा ? क्या पुराने ढंग के नियुक्ति के नियमों से हमारा उक्त लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा । मैंसूर राज्य की 1000 लिपिको की आवश्यकता थी जिसके लिए 10 रुपये के 10000 से 150000 रुपये के आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

सभापति महोदय : इसका विषय से क्या सम्बन्ध है ।

श्री बी० वी० नायक : क्या सेवाओ के विकेन्द्रीय करण द्वारा इस पद्धति को सरल और सस्ता नहीं बनाया जा सकता ? क्या छात्रों में प्रमाणिक प्रतियों लेने की प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता । चरित्र प्रमाण पत्रों की प्रथा को पूर्णत समाप्त कर देना चाहिए ।

Shri Shivenath Singh (Jhunjhnu) : It has been pointed out by the U.P.S.C. at page 11 of their report that the number of vacancies at the time of examination is less and increases after that. Are suitable persons selected for the Jobs ? We find that persons who speak English fluently and are of fair complexion are selected for various jobs.

Mr. Chairman : I find that public a speech is being made on every topic. The report before you is not touched.

Shri Shiv Nath Singh : Adivasis living in forests should be preferred for Agricultural jobs.

The experiments made in the field of language should be carried forward. We should give up English and adopt Hindi and other state languages as medium. The staff thus recruited will be better.

The officers of I.A.S. cadre who serve in the states should not come under the perview of U.P S.C. but come under the state Governments.

Dr. Kailash (Bombay—South) : If some legal question arises in respect of the selection of members of U.P.S.C. Can we change them ? Can we change I.A.S. officers who do not have faith in socialism.

It is being asserted that no recommendations have their way in the U.P.S.C. Would the Government inquire into this ? The children and the relatives of officers are selected. Is the Government and the commission not concerned with the percentage fixed for S.D. & S.T.

The U.P.S:C. should give importance to Hindi and other Indian languages. These matters should be attended to urgently.

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं उन सदस्यो के प्रति आभारी हूं जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर विचार प्रकट किये हैं । उनके द्वारा व्यक्त कुछ तथ्यों पर मैं प्रकाश डालूंगा । उनके सुझावों का हम ध्यान रखेंगे ।

आयोग के गठन के बारे में विभिन्न विचार व्यक्त किये गये है । कहा गया है कि केवल सेवा निवृत सरकारी अधिकारी ही उसमें स्थान पाते हैं । उसमें वर्ग प्रतिनिधित्व समुचित नहीं है । आयोग का गठन संविधान की

Shri Satpal Kapoor : Is there any difficulty in changing the constitution.

श्री राम निवास मिर्धा : अब तक का अनुभव यह सिद्ध करता है कि संविधान की व्यवस्था संतोष प्रद रही है ।

Dr. Kailash : Every body says that there is discontentment ?

Mr. Chairman : Please let him speak.

Shri Ram Niwas Mirdha :

संविधान में परिवर्तन अधिक नहीं किये जाने चाहिये ।

अब भी केवल 50 प्रतिशत सदस्य सेवा निवृंत अधिकारी हैं वह भी इसलिये कि संविधान में 10 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव की व्यवस्था है जोकि महत्वपूर्ण बात है । उसमें न्यायिक और

विधिक अनुभवी व्यक्ति भी हैं और सुरक्षा तथा राजस्व के अनुभवी व्यक्ति भी है। उसमें किसी एक सेवा का एकाधिकार नहीं है।

गैर-सरकारी सदस्यों में तकनीकी व्यक्ति वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, अनुसूचित जातियों के व्यक्ति तथा अल्प संख्यकों के प्रतिनिधि भी हैं। आयोग का बदला जाना उचित नही है।

भाषा के माध्यम के बारे में विचार प्रकट किये गये हैं कि वर्तमान चयन पद्धति ग्रामीण लोगों और पिछड़े समुदाय के लोगों के विरुद्ध जाती है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। शिक्षा विश्व-विद्यालय स्तर हर क्षेत्रीय भाषाओं में दी जा रही है। इसका ध्यान रखते हुए हमने आयोग से अनुरोध किया है कि वह न केवल हिन्दी अपितु सभी क्षेत्रीय भाषाओं की सम्भावना पर विचार करे।

श्री सी० टी० दंडपाणि (धुरापुरम) : राज्य सभा में तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने सुझाव दिया है कि अंग्रेजी के अलावा हिन्दी को स्थान देने की चेष्टा की जाये।

श्री राम निवास मिर्धा : आयोग ने 3 में से 2 अनिवार्य पत्रो को हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में भी लेना आरम्भ कर दिया है। हमने इण्टरवीयू के लिये अंग्रेजी के अलावा हिन्दी को भी लिये जाने का सुझाव दिया है। कहीं पर तो कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : जब तक सभी भाषाएं नहीं स्वीकारी जाती हिन्दी को नहीं लिया जाना चाहिए। क्या आप उन लोगों को पीछे रखना चाहते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : हमने सभी भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाने के लिये कहा था। आयोग की रिपोर्ट में इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई। हम कोई तिथि निर्धारित नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि आयोग सदन के सदस्यों की भावनाओ का आदर करते हुए कोई कार्यवाही करेगा। भाषाओं सम्बन्धी आकड़े सही रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये।

तमिलनाडु के बहुत कम लोग तमिल का पेपर देते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : वे अंग्रेजी चाहते है तमिल नहीं।

श्री राम निवास मिर्धा : पुलिस की जांच के बारे में कई बार चर्चा की गई हैं।

रिक्त स्थानों का 25 प्रतिशत राज्यों की सेवाओं से पदोन्नति द्वारा लिया जाता है शेष सीधी भरती द्वारा। उनका चयन एक संयुक्त बोर्ड द्वारा किया जाता है।

Shri Hari Singh (Khurja) : The scheduled caste candidates are either not invited or are rejected out right. Will the Hon. Minister throw light on it ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस बारे में व्यक्त भय निराधार है क्योंकि पिछले कई वर्षों से सभी आरक्षित स्थान अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों से भरे गये हैं। मुझे इस पर गर्व है। वे लोग प्रगति कर रहे हैं और अवसरो पर ठीक उतरें हैं।

श्री हंसदा के इस सुझाव, कि पूर्वी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये एक प्राशिक्षण केन्द्र होना चाहिए, मैं सहमत हूँ। ऐसी अधिक संस्थाए स्थापित करने पर हम विचार करेंगे और राज्य सरकारों को भी ऐसा करने को कहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अनियमितताओं को दूर करने तथा आसूचना विभाग को आयोग कार्यक्षेत्र से बाहर रखने की बात कही थी।

श्री राम निवास मिर्धा : तकनीकी सेवाएं आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। उनके लिये परीक्षाएं होती हैं, वैसे ही चयन नहीं किये जाते। केन्द्रीय आसूचना सेवाओं के कर्मचारियों का चयन उचित प्रक्रियाओं के बाद ही होता हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैंने प्राकल्लन समिति के प्रतिवेदन उद्धृत किये है।

श्री राम निवास मिर्धा : कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वेतन तथा प्रवरता में कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए।

आम राय और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए वय सीम 24 से बढ़ाकर 26 वर्ष करदी गई है।

सभापति महोदय : मैं अब प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के क्रमशः 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च 1970 और 1 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि के 20वें और 21वें प्रतिवेदनों पर, जो 27 मार्च, 1971 तथा 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर रखे गये थे, और 21वे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन पर, जो 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

जो पक्ष में 'हैं' हाँ कहें और जों विपक्ष में हैं 'ना' कहें

श्री सी० टी० दण्डपाणि : हम भाषा के विषय पर भी मतदान चाहते हैं।

श्री के० सूर्यनारायणन : सभा में गण पूर्ति नहीं है

सभापति महोदय : घन्टी बज रही है। लों बीज खाली हो गई है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के क्रमशः 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च. 1970 और 1 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि के 20वें और 21वें प्रतिवेदनों पर, जो 27 मार्च, 1971 तथा 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर रखे गये थे, और 21वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन पर, जो 22 दिसम्बर, 1971 को सभा- पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

पक्ष में 42 विपक्ष में8

Ayes : 42 Noes : 8

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 11 अप्रैल, 1972/22 चैत्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, April 11, 1972/ Chaitra 21, 1894 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar

P.L.S.48 XII.20 . 72 (N)
490

© 1972 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
अशोका प्रिंटिंग वर्क्स, गोविन्दपुरी
मोदीनगर द्वारा मुद्रित।

© 1972 By The LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED AT ASHOKA PRINTING WORKS, GOVINDPURI MODINAGAR.